द्वितीय माला, खंड ५२--अंक २१

मंगलवार, १४ मार्च, १९६१
२३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 10-5-
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

(खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

१ रुपया (देश में) ४ शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड ५२--अंक २१ से ३०--१४ से १७ मार्च १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ से ६ चैत्र, १८८३ (शक)

अंक २१ मंगलवार, १४ मार्च, १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, से ८०८, ८१० से ८१४, ८१६ से ८१९, ८२१, ८२३, ८२५ और ८२७ से ८२९ . . . २३३१--५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २३५५--५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१५, ८२०, ८२२, ८२४, ८२६ और ८३० से ८४४ . . . . . . २३५७--६६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६० से १६४८, १६५० से १६७१ और १६७३ से १६८५ . . २३६६--२४१६

स्थगन प्रस्ताव--

१. रुद्रसागर स्थित तेल कूप में कथित दुर्घटना . . . २४१६--१७

२. चीनियों द्वारा भारतीय क्षेत्र का कथित अतिक्रमण . . २४१८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

नागा विद्रोहियों द्वारा रेलगाड़ी पर आक्रमण . . . २४१८--१९

सभा पटल पर रखा गया पत्र--

उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१--पारित किया गया . २४२०

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६१--पारित किया गया . २४२०--२१

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . २३२१--५१

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक--

विचार के लिए प्रस्ताव २४५१--५३

"पूर्व की यात्रा करो" वर्ष के बारे में आधे घंटे की चर्चा २४५४--५८

दैनिक संक्षेपिका २४५९--६६

अंक २२--बुधवार, १५ मार्च, १९६१/२४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ८५८ . २४६७--९१

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५१ से ८९२ . . . . २४९१—२५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८६ से १७३६, १७३८ से १७८२ और १७८४ से १७९२ . . . . . . २५०७—५३

दिनांक १८-१२-५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००५ के उत्तर में शुद्धि २५५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अमेरिकी गेहूं २५५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २५५५–५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनासीवां प्रतिवेदन २५५६

सभा का कार्य २५५६–५७

समिति के लिए निर्वाचन—

प्रविधिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद . २५५७

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—

विचार के लिए प्रस्ताव . २५५७—६१

खंड २, ३ और १ . २५६०

पारित करने का प्रस्ताव . २५६१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . २५६१—९४

आरामदेह कारों के आयात के बारे में—आधे घंटे की चर्चा . २५९३—९६

दैनिक संक्षेपिका . २५९७—२६०४

अंक २३—गुरुवार, १६ मार्च, १९६१/२५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०७ और ९०९ २६०५—३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ २६३०—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९०८ और ९१० से ९२५ २६३२—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९३ से १८४३ २६४०—६०

विषय सूची पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

चल सम्पत्ति और बैंकों में जमा धन के बारे में भारत-पाकिस्तान वार्ता की कथित असफलता २६६०--६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६२--६३

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . २६६३

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा २६६३--२७१४

दैनिक संक्षेपिका २७१५--१९

अंक २४--शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१/२६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९२९, ९३२ से ९३७, ९४० से ९४३, ९४५, ९४७, ९४८, ९५० और ९५१ २७२१--४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३८, ९३९, ९४४, ९४६, ९४९ और ९५२ . . . . २७४५--४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४४ से १९१५ २७४८--७७

स्थगन प्रस्ताव--

सिक्किम और भूटान की सीमा पर चीन द्वारा कथित सैनिक तैयारियां २७७७--७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दण्डकारण्य के शरणार्थियों का पुनर्वास . . २७७९--८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७८१--८३

राज्य सभा से सन्देश . . २७८३

तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में शुद्धि . २७८३--८४

सभा का कार्य . २७८४

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . . २७८४--२८१०

लेखा अनुदानों की मांगें, १९६१--६२ . . . . २८११--१६

विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, १९६१--पारित . २८१६--१७

बीमा (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २८१७--१८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

उनासीवां प्रतिवेदन २८१८

विषय-सूची

पृष्ठ

सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों के कार्यवाहियों के बारे में संकल्प—
अस्वीकृत . . . . २८१६—२२
सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प . २८२२—४०
दैनिक संक्षेपिका . . २८४१—४७

अंक २५—सोमवार, २० मार्च, १९६१/२९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९६३ . . . २८४९—७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९८७ . . . २८७१—८२
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१६ से १९७०, १९७२ से १९८० और १९८२ से १९९१ . २८८३—२९१८
विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में २९१८
सभा पटल पर रखे गये पत्र २९१८
राज्य सभा से सन्देश . . २९१८–१९
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २९१९
तम्बारम् के निकट विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य २९१९–२०
श्री कृष्ण मेनन . .
बीमा (संशोधन) विधेयक—
विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . २९२०—२६
खण्ड २, ३ और १ . २९२०—२३
पारित करने का प्रस्ताव . . . २९२३—२६
अनुदानों की मांगें—
शिक्षा मंत्रालय . . . . . २९२७—७६
दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २९७७—८२

अंक २६—मंगलवार, २१ मार्च, १९६१/३० फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ से ९९५, १००९, ९९६, ९९९, १००० से १००३ और १००५ . . . . . २९८३—३००९
तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर में शुद्धि . . . २९८८—९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . ३००९–१०

विषय सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६७, ६६८, १००४, १००६ से १००८ और १०१० से १०१६ . . . . . ३०१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६२ से २०४१ और २०४४ से २०५५ . ३०१६—४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०४५

बिहार और उड़ीसा में सीमेंट की कमी

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०४५–४६

राज्य-सभा से सन्देश ३०४६

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया । ३०४६

अनुदानों की मांगें . . . ३०४६—३११०

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . . ३०४७—६३

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३०६४—३११०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१११—१६

अंक २७—बुधवार, २२ मार्च, १६६१/१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१८ और १०२० से १०३५ . ३११७—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६, १०३६ से १०४३ . . ३१४२—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०५६ से २११५ और २११७ से २१३७ . ३१४६—७६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राजस्थान में बाली दुर्ग में विस्फोट ३१७६–८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१८०–८१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अस्सीवां प्रतिवेदन ३१८१

सदस्य द्वारा वक्तव्य में शुद्धि ३१८१

अनुदानों की मांगें—

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३१८२—३२०३

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . . . ३२०४—३७

उड़ीसा में प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३२३७–३८

दैनिक संक्षेपिका . ३२३९—४४

विषय सूची—(जारी) पृष्ठ

अंक २८—गुरुवार, २३ मार्च, १९६१/२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०४६, १०४९, १०५०, १९५२ से १०५८, १०६१, १०६३ और १०६५ . ३२४५—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४५, १०५१, १०५९, १०६०, १०६२, १०६४ और १०६६ से १०८० . . . . ३२७०—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३८ से २१८१ और २१८३ से २२०६ . ३२७९—३३०७

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में सरकार द्वारा अर्जित भूमि का आवंटन ३३०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३३०७

प्राक्कलन समिति

एक सौ दसवां प्रतिवेदन . . ३३०७

अनुदानों की मांगें . . . . ३३०७—५६

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . . ३३०७—३६

विधि मंत्रालय . ३३३७—५६

दैनिक संक्षेपिका ३३५७—६१

अंक २९—शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१/३ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३३६३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८५, १०८७ से १०९४ और १०९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . ३३६३—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०७ ३३९०—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २२०७ से २२५८ और २२६० से २२९९ . ३३९७—३४२३

राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . ३३२४—३०

श्री जवाहरलाल नेहरू

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४३०—३१

विषय सूची--(जारी) पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एकसौ उन्नीसवां प्रतिवेदन . ३४३१

सभा का कार्य . ३४३१–३२

अनुदानों की मांगें . . . ३४३२—४८

विधि मंत्रालय . . . . . . ३४३२—४८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अस्सीवां प्रतिवेदन . . ३४४६

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में ३४४६

पुरस्थापित किये गये विधेयक : ३२४६–५०

१. दानकर (संशोधन) विधेयक, १६६१ (धारा २२, २३, २५, २६ और ३५ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . ३४४६

२. भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १६६१ (धारा ६८ और ६६ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . . . ३४४६

३. सहायक बैंक विलय विधेयक, १६६१ [श्री रामकृष्ण गुप्त का] ३४५०

४. संविधान (संशोधन) विधेयक, १६६१ (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का] . . . ३४५०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५कक का रखा जाना) [श्री त० ब० विट्ठल राव का] वापिस लिया गया

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . . ३४५०—५८

तेलों का जमाये जाने पर रोक विधेयक [श्री झूलन सिंह का]—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . . ३४५६—६२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४६३—६८

अंक ३०—सोमवार, २७ मार्च, १६६१/६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से ११११, १११३ से १११५, १११७ से ११२१, ११२३, ११२६ से ११२८ और ११२४ . ३४६६—६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३४६४—३५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०८, १११२, १११६, ११२२, ११२५ और ११२६ से ११३५ . . . . . ३५०१—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७० से २३६० और २३६२ से २३७३ . ३५०६—५७

विषय-सूची—जारी

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३५५७–५८
दामोदर घाटी निगम के कलकत्ता क्षेत्र को पर्याप्त बिजली का न मिलना	
उड़ीसा में मध्यावधि चुनाव के बारे में वक्तव्य	३५५८–५९
१९६१ की भारत की जनगणना के बारे में वक्तव्य	३५५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३५६०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३५६०
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन	३५६०
उड़ीसा का आय-व्ययक—१९६१–६२—उपस्थापित	३५६१—६६
अनुदानों की मांगें—	
गृह-कार्य मंत्रालय	३५६६—३६१४
दैनिक संक्षेपिका	३६१५—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वातस्व में पूछा था ।

G GIPND—LS III—123(Ai) LSD—12-5-61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, १४ मार्च, १९६१
२३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वक्फ जायदाद का प्रशासन

†*८०४. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राज्यीय वक्फ सम्मेलन ने सरकार से वक्फ जायदाद के प्रशासन की जांच करने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्मेलन ने वक्फ जायदाद के कुप्रशासन के बारे में चिन्ता प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वक्फ जायदाद से गैर-कानूनी कब्जा करने वालों को निकालने के लिए केन्द्रीय विधान बनाने का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा इस मामले पर अभी विचार नहीं किया गया है, परन्तु सार्वजनिक वक्फ (सीमा का विस्तार) अधिनियम, १९५९ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार बोर्ड को उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की शक्ति देने का विचार कर रही है, जैसी कि उत्तर प्रदेश में प्रथा है ?

†**श्री हाथी** : सम्मेलन में इस सम्बन्ध में भी विचार किया गया था, परन्तु सरकार अब उस बारे में विचार कर रही है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार हिन्दू धार्मिक धर्मस्व बोर्डों तथा ईसाई संस्थाओं के सम्बन्ध में जांच करने का विचार रखती है ?

†**श्री हाथी** : मैं नहीं समझता कि ऐसा किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त :** क्योंकि धार्मिक न्यासों का नियमन करने वाला एक विधेयक पहले ही संयुक्त समिति के विचाराधीन है, क्या उसके बारे में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा । ताकि वक्फ के सम्बन्ध में भी एक नये विधेयक पर विचार किया जाये ।

†**श्री हाथी :** मैं नहीं समझता कि सरकार की ऐसी इच्छा है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जाना चाहता हूं कि क्या हुकूमत को इस बात का इल्म है कि वक्फ का बहुत सा रुपया वक्फ के कारिन्दे अपनी मोटी मोटी तन्ख्वाहों और दूसरी गर-जरुरी चीजों पर खर्च करते हैं और अगर यह दुरूस्त है, तो इस सिलसिले में हुकूमत क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री हाथी :** उस सम्मेलन में सम्पत्तियों के कुप्रशासन के प्रश्न पर भी विचार किया गया था, और इस बारे में कुछ सिफ़ारिशें भी की गई थीं । सरकार उन पर अब विचार कर रही है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** दिसम्बर में हुए सम्मेलन में यह भी सुझाव दिया गया था कि सरकार को देश की सभी वक्फ़ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करना चाहिय । इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हाथी :** इस प्रश्न का सम्बन्ध उस सम्मेलन से है जोकि २६ दिसम्बर, १९६० में हुआ था ।

सरकारी प्रकाशनों में "वनस्पति" का विज्ञापन

+

†*८०५. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री रघुबीर सहाय :
पंडित कृ० चं० शर्मा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पत्र और पत्रिकाओं में 'वनस्पति' सम्बन्धी विज्ञापनों के मामले में और जांच की गयी है ;

(ख) १९५९ और १९६० में इन विज्ञापनों से कितनी आय हुई ;

(ग) क्या ये विज्ञापन सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं ; और

(घ) वनस्पति के बारे में सही जानकारी देने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रचार किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) मामले की जांच कर ली गई है ।

(ख) वनस्पति के विज्ञापनों से प्राप्त हुए राजस्व की राशियों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

१९५९	१७,५२६.४० रुपये
१९६०	१२,५६६.५० रुपये

(ग) इन विज्ञापनों में कुछ भी आपत्तिजनक मामला नजर नहीं आया ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि वनस्पति निर्माता वनस्पति को रंग देने के सुझाव के विरुद्ध गंदा प्रचार कर रहे हैं, जबकि सरकार ने वनस्पति में रंग मिलाने के सुझाव को एक नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अ० म० थामस : मैं समझ नहीं सका कि 'गन्दे प्रचार' से क्या तात्पर्य है। जहां तक सरकार को ज्ञात हुआ है, इन प्रचार विज्ञापनों में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार ने वनस्पति को रंग देना एक नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है या नहीं ?

†श्री अ० म० थामस : यह सच है कि सरकार ने उसे एक नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है कि जब भी कोई उपयुक्त रंग मिल जायगा तो वनस्पति में अनिवार्य रूप से रंग मिलाया जाया करेगा। परन्तु यह रंग अभी तक नहीं मिला है।

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बार-बार पूछा गया है। मैं ने उस प्रश्न की अनुमति इसीलिये दी है कि उस का स्पष्टीकरण किया जा सके। जहां तक गन्दे प्रचार का सम्बन्ध है, वनस्पति बेचने वाले प्रत्येक विक्रेता को यह कहने का अधिकार है कि "मेरा घी सब से बढ़िया है।"

†श्री म० ला० द्विवेदी : क्या इसमें सरकार की अपनी नीति का ही विरोध नहीं है कि सरकारी पत्रों तथा पत्रिकाओं में वनस्पति को रंग देने की नीति के विरुद्ध विज्ञापन छापे जा रहे हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह अपनी नीति पर स्थिर है और ज्यों ही कोई उपयुक्त रंग मिलेगा, वनस्पति में वह रंग मिलाया जाया करेगा। परन्तु इस से यह तात्पर्य नहीं है कि इस दौरान में कोई विज्ञापन ही न छापा जाय।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा संभवतः यह शिकायत की जा रही है कि सरकार की नीति तो यह है कि वनस्पति में रंग मिलाया जाय, परन्तु फिर भी सरकार उसी नीति के विरुद्ध विज्ञापन क्यों स्वीकार कर रही है ?

†श्री स० का० पाटिल : सरकारी पत्रिकाओं द्वारा भी ये विज्ञापन वैसे ही स्वीकार कर लिये जाते हैं जैसे अन्य पत्रिकाओं द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। हम यह नहीं चाहते कि हम इन विज्ञापनों से प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित रह जायें।

†श्री त्यागी : यह तो सिद्धान्त का विषय है। उदाहरणार्थ क्या सरकार ऐसे विज्ञापन छापने के लिये तैयार है जिन में यह कहा गया हो कि समाजवादी ढंग का समाज देश के लिये हानिकारक है ? उसी प्रकार से क्या सरकार इन विज्ञापनों को भी प्रकाशित करेगी ?

†श्री स० का० पाटिल : इस में आपत्तियां हैं। हमारे रासायनिक निदेशक का भी यही मत है। वैसे अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग मत हैं। हम यह नहीं कह सकते कि ऐसे विज्ञापन प्रकाशित ही न कराये जायें।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सभा में दिये गये इस बयान को पढ़ा है कि हम अभी तक इस प्रकार के प्रचार का सामना नहीं कर सके हैं और इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाहियां की जायेंगी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाहियां की गई हैं ?

†श्री अ० म० थामस : मैं नहीं समझता कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा कहा है। इसी समिति ने, जिस ने रंग मिलाने के सम्बन्ध में सिफ़ारिश की थी, उस सम्बन्ध में कई सुरक्षा संबंधी कार्यवाहियां निर्धारित की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली-लन्दन बस-सेवा

+

*८०६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री पांगरकर :
श्री सिद्धय्या :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से लन्दन तक सीधी बस-सेवा चालू करने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, उस के बारे में इस बीच किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि इस विषय पर कब तक विचार होता रहेगा ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि इस में शीघ्र ही विचार पूरा हो जायगा । इस में कई बातें देखनी पड़ती हैं । पहले यह देखना पड़ता है कि देश से बाहर जो कोच-सर्विस जायगी, उस पर जो व्यय होगा, उस के लिये फ़ारेन एक्सचेंज की क्या व्यवस्था की जायगी, उसको चलाने और खाने-पीने के बारे में क्या खर्च होगा और उसकी क्या व्यवस्था की जायगी ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे ज्ञात है, कई प्राईवेट कम्पनियों ने इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिये हैं । क्या शासन यह उपयुक्त नहीं समझता है कि इस महत्वपूर्ण विषय को दृष्टि में रखते हुए वह स्वयं ही इस को चलाये और स्वयं इस की व्यवस्था करे ?

श्री राज बहादुर : इस में जो आवश्यक सुविधायें हैं और आवश्यक कदम हैं, वे उठाये जायेंगे । कारण यह है कि जिन देशों में से हो कर वह जायगी, उन से पूछना पड़ेगा और उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि क्या वे इस सर्विस के लिये तैयार हैं या नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा मतलब यह था कि अभी तक कई प्राईवेट पार्टीज़ ने आवेदनपत्र दिये हैं कि व अपनी मोटरें चलायें, लेकिन चूंकि यह विषय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिये क्यों नहीं सरकार इस को चलाती है ।

श्री राज बहादुर : अभी सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सरकार इस को चलाये । अभी यह एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है ।

राजा महेन्द्र प्रताप : यह सर्विस किन किन मुल्कों से हो कर जायगी और कितना वक्त लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राजा महेन्द्र प्रताप : मैं ज़रा कम सुनता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी ही आवाज़ नहीं सुनते हैं, दूसरों की सुनते हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस बस सेवा को कई अन्य देशों से भी हो कर जाना पड़ेगा । क्या उन देशों से इस सम्बन्ध में अनुमति ले ली गई है और यदि नहीं, तो कब ली जायगी ?

†श्री राज बहादुर : श्री भक्त दर्शन के प्रश्न के उत्तर में मैं ने यही तो बताया है कि इस संबंध में कार्य किया जा रहा है ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : यह बस सेवा किन-किन देशों से हो कर जायगी, इस पर कुल कितना समय लगेगा और कुल कितना किराया लिया जायगा ?

†श्री राज बहादुर : लन्दन-भारत मार्ग पर मैसर्स गारो फिशरटूर्स (किंगस्टन) लन्दन द्वारा एक बस सेवा का प्रस्ताव किया है जिस का नाम 'इंडिया मैन' है । यह सेवा फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान और पाकिस्तान से हो कर जायगी और लन्दन से बम्बई तक लगभग ४५ दिन लगेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : किराया कितना होगा ?

†श्री राज बहादुर : इस बारे में मुझे इस समय निश्चित रूप से पता नहीं है ।

बच्चों के लिये तीन गुणों वाले टीके

†८०७. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों के अन्दर काली खांसी, हैज़ा और डिफ्थीरिया रोगों का प्रतिरोध करने की शक्ति उत्पन्न करने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले तीन गुणों वाले टीकों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : तीन गुणों वाला टीका काली खांसी, डिफ्थीरिया तथा टिटेनस रोगों का प्रतिरोध करने के लिये बनाया गया है, काली खांसी, हैज़ा तथा डिफ्थीरिया रोगों का प्रतिरोध करने के लिये नहीं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक थोड़ी अवधि का सलाहकार हाल में ही भारत आया है जो वर्तमान शोधनशाला के ढांचे में परिवर्तन करने के बारे में तथा तीन गुणों वाले टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के तरीकों के बारे में सलाह देगा । संयुक्त राष्ट्र की बाल आपात निधि के यंत्र भी शीघ्र भारत आ जायेंगे और उसके बाद उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : हमारी इसकी इस समय क्या आवश्यकतायें हैं और इन को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†श्री स० मों० बनर्जी : क्या माननीय मन्त्री को यह बताया गया है कि यह टीका ऊंचे मूल्यों पर बेचा जा रहा है और इसीलिये साधारण जनता को उपलब्ध नहीं हो सकता तथा यदि हां तो ऐसी क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं जिससे इसके मूल्य उचित स्तर पर आ सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : मुझे मालूम नहीं कि इसके अधिक मूल्य लिये जा रहे हैं । मैं इसकी जांच करूंगा ।

†श्री नंजप्प : क्या यह टीका देश में कहीं पर जांचा गया है ?

†श्री करमरकर : यह टीका पूर्णतः गुणकारी है । जब यह देश में बनने लगेगा तब इसके परिणाम भी अच्छे होंगे इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

बिहार में तापीय विद्युत संयंत्र

+

†*८०८. **श्री उस्मान अली खां :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक तापीय विद्युत् संयंत्र स्थापित करने के लिए सोवियत रूस से एक करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यह बिजली घर कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां । परन्तु संयन्त्र तथा यन्त्र मंगाने के ठेके अभी नहीं दिए गए हैं ।

(ख) बायलर समेत प्रत्येक ५० एम० डब्ल्यू० के दो टर्बो-आल्टरनेटर सैट रूस से मंगाये जायेंगे ।

(ग) हजारी बाग जिले में रांची के निकट पथराटु में ।

†**श्री उस्मान अली खां :** परियोजना की कुल लागत क्या है और रूस से कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

†**श्री हाथी :** कुल लागत लगभग १५ करोड़ रुपये है । ९.०५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और रूस ही यह सब देगा ।

†**श्री कमल सिंह :** रांची दामोदर घाटी निगम के क्षेत्र में आता है इसलिये किन कारणों से इसे वहां लगाना ठीक समझा गया ।

†**श्री हाथी :** बिहार में बिजली की कमी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** रूस से किये गये समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

†श्री हाथी: अभी उनको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त अरब गणराज्य से चावल

+

†*८१०. { **श्री आसर :**
श्री वाजपेयी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री १९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा चावल देने की पेशकश को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). १८ फरवरी, १९६१ को मिस्र फॉरेन ट्रेड कम्पनी, काहिरा के साथ संयुक्त अरब गणराज्य का ५०,००० टन चावल खरीदने का समझौता किया गया है ।

†श्री आसर : बर्मा और संयुक्त अरब गणराज्य के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

†श्री अ० म० थामस : मैं मूल्य नहीं बताना चाहता, परन्तु साथ ही साथ आश्वासन दे देना चाहता हूं कि बर्मा के चावल के लिये जो मूल्य दिये गये हैं इसके मूल्य उससे अधिक नहीं है ।

†श्री आसर : बर्मा और अमरीका के चावल की तुलना में उसकी किस्म कैसी है ?

†श्री अ० म० थामस: अच्छी है ।

†श्री तंगामणि : संयुक्त अरब गणराज्य से यह ५०,००० टन चावल देश में कब तक आ जायेगा ?

†श्री अ० म० थामस : मैं समझता हूं कि जहाज आधे मार्च से आने लग जायेंगे और दिसम्बर, १९६१ तक आते रहेंगे ।

†श्री दी० चं० शर्मा : संयुक्त अरब गणराज्य से चावल हम को वस्तु विनिमय के आधार पर मिलेगा अथवा रुपये के भुगतान के आधार पर मिलेगा ?

†श्री अ०म० थामस: कुछ शर्तें हैं । चावल का भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों के आधार पर किया जायेगा अर्थात् यह रुपया संयुक्त अरब गणराज्य को भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए उपयोग में लाया जायेगा ।

†श्री त्यागी : माननीय मन्त्री ने अभी बताया कि वह मूल्य बताना नहीं चाहते हैं । बड़ी अजीब बात है । समझौता होने पर मूल्य अवश्य निश्चित हुए होंगे । वह सभा को यह क्यों नहीं बताते ?

†श्री अ० म० थामस : हम अन्य देशों से भी चावल के आयात के बारे में बातचीत कर रहे हैं । इसलिये मूल्य बताना उचित नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य फिर भी आग्रह करें तो मैं सभा में बता दूंगा परन्तु सभा स्वयं निर्णय करे कि ऐसा करना उचित होगा अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वें० प० नायर : ५०,००० टन में से कितना चावल भारतीय जहाजों द्वारा लाया जायेगा ?

†श्री अ० म० थामस : परिवहन विभाग का केन्द्रीय भारतीय समिति के द्वारा समस्त चावल भारकित जहाजों द्वारा लाया जायेगा ।

†श्री वाजपेयी : माननीय मन्त्री चावल के मूल्य नहीं बताना चाहते हैं परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि अन्य देशों के मूल्यों की तुलना में यह किस प्रकार के हैं ।

†श्री अ०म० थामस : मैंने बताया है कि यह बर्मा चावल के लिये दिये गये मूल्यों से अधिक नहीं है ।

†श्री राधे लाल व्यास : यह चावल देश में सहायता प्राप्त मूल्यों पर बेचा जायेगा अथवा 'ना लाभ, ना हानि' के आधार पर बेचा जायेगा ?

†श्री अ० म० थामस : यह नहीं कहा जा सकता तो कि यह 'ना लाभ, ना हानि' के आधार पर बेचा जायेगा । हम बर्मा का चावल १६ रुपये प्रतिमन बेच रहे हैं । अब हम यह सोचेंगे कि इसको किन मुल्यों पर बेचा जाये ।

विद्युत् उत्पादन के लिये अखिल भारतीय सुपर ग्रिड

+

†*८११. श्री पांगरकर :
श्री रामी रेड्डी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् के उत्पादन और वितरण के लिये एक अखिल भारतीय सुपर ग्रिड स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा मैसूर राज्यों में किये गए कार्य विश्लेषण अध्ययन के परिणामों को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को उपलब्ध कर दिया गया है । मद्रास के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा दक्षिण क्षेत्र के लि े कार्य विश्लेषण अध्ययन का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया है ।

†श्री पांगरकर : क्या जोनल ग्रिड स्थापित करने के लिए कोई प्राथमिकता निश्चित की गई है ?

†श्री हाथी : दक्षिण जोन के लिये प्राथमिकता निश्चित की गई है ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : अखिल भारतीय सुपर ग्रिड बनने पर क्या हम किसानों को बिजली रियायती दरों पर देंगे ?

†श्री हाथी : अभी नहीं ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

†श्री हाथी : इन विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति स्थापित की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कासलीवाल : माननीय मन्त्री ने बताया कि यह दक्षिण खण्ड के लिये है । जब अखिल भारतीय सुपर ग्रिड बन जायेगा तब कितनी बिजली का उत्पादन होगा और वितरण होगा ?

†श्री हाथी : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं । परन्तु दक्षिण खण्ड की सभी बिजली इस सुपर ग्रिड से सम्बन्धित हो जायेगी ।

†श्री सिंहासन सिंह : विद्युत् विधेयक पुरःस्थापित करते समय सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह अखिल भारतीय सुपर ग्रिड बनाने जा रहे हैं । यह सुपर ग्रिड कब तक लग जायेगा जिससे सभी प्रकार की बिजली के लिये समान मूल्य हम को दे सकेंगे ?

†श्री हाथी : दक्षिण खण्ड से आरम्भ किया है । यह तीसरी अथवा चौथी योजना में समाप्त होगा और तब हम अन्य खण्ड के काम आरम्भ करेंगे ?

†श्री एन्थनी पिल्ले : इस ग्रिड के बन जाने के बाद क्या दक्षिण खण्ड में बिजली समान दरों पर दी जायेगी ।

†श्री हाथी : इस प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा ।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या आन्ध्र, मैसूर और केरल तीनों राज्यों ने दक्षिण खण्ड के अखिल भारतीय सुपर ग्रिड में आना स्वीकार कर लिया है ?

†श्री हाथी : बिल्कुल । उन्होंने स्वीकार कर लिया है और जांच करना आरम्भ कर दिया है ।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता हो जायेगी ?

†श्री हाथी : मैं नहीं बता सकता कि आत्म-निर्भरता होगी अथवा नहीं क्योंकि मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है । परन्तु राज्यों ने स्वीकृति दे दी है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : जब आप एक ग्रिड दक्षिण भारत के लिये बना रहे हैं तथा दूसरा दूसरे खण्ड के लिये बना रहे हैं तो इसको अखिल भारतीय सुपर ग्रिड क्यों कहा जा रहा है ? इसके अतिरिक्त जब इसके तीसरी अथवा चौथी योजना में पूरा होने की आशा नहीं है तब आप जनता को आशा क्यों दिला रहे हैं ?

†श्री हाथी : अखिल भारतीय ग्रिड के लिये यह प्रारम्भिक कार्य है । हमने आरम्भ दक्षिण खण्ड से किया है इसलिये दक्षिण क्षेत्र ग्रिड कहा है परन्तु अन्ततः यह समस्त भारत में हो जायेगा ।

†श्री आचार : इस समय केवल दक्षिण ग्रिड का प्रस्ताव है । क्या पंजाब अथवा बंगाल में, उत्तर में भी क्षेत्रीय ग्रिड बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री हाथी : मंत्रियों के समन्वय बोर्ड तथा गोष्ठी ने अखिल भारतीय ग्रिड बनाने पर विचार किया था और सभी राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया है । इसलिये अखिल भारतीय ग्रिड बनाने का ही विचार है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि ग्रिड पद्धति बन जाने पर बिजली की दरें जो कि केरल जैसे राज्य में कम हैं, नहीं बढ़ेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : मैं समझता हूं कि उचित तो यही है परन्तु मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं ।

†श्री शंकरय्य : यह ग्रिड तापीय बिजली का होगा अथवा पनबिजली का होगा अथवा दोनों का होगा ?

†श्री हाथी : दोनों का होगा ।

†श्री नरसिंहन् : यह प्रयोग केवल एक ही खण्ड में क्यों किया गया है और अन्य खण्डों में क्यों नहीं किया गया है ?

†श्री हाथी : क्योंकि वे इस खण्ड में ट्रांसफ्यूज़न कनेक्शनों में सम्पर्क स्थापित करने के लिये है ।

†श्री क० स० रामस्वामी : राज्यों के वर्तमान ग्रिड पद्धतियां इस समय किस प्रकार काम कर रही हैं ?

†श्री हाथी : इस समय कोई ग्रिड पद्धति नहीं है । इसको हम 'अन्तर-सम्पर्क पद्धति' कहते हैं। 'ग्रिड पद्धति' नहीं है ।

टेलीफोन

*८१२. श्री नवल प्रभाकर : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत सारे टेलीफोन नहीं लगाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). टेलीफोन सलाहकार समिति आवेदन-पत्रों की सूची की जांच करती है और टेलीफोन लगाने के लिये नामों की सिफारिश करती है । टेलीफोन लगाने का वास्तविक कार्य जहां टेलीफोन की आवश्यकता है वहां केबल के तार उपलब्ध रहने तथा कुछेक अन्य तकनीकी बातों पर निर्भर करता है । अतः जिन टेलीफोन-संयोजनों के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा सिफ़ारिश की जाती है, उन में से कुछ में मंजूरी देने और उन्हें लगाने के कार्य में देरी हो सकती है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब एडवाइजरी कमेटी के सामने टेलीफोन कनेक्शनों की सूची जाती है तो उसमें यह कहा जाता है कि वह इतने कनेक्शनों की सिफारिश कर सकती है, और वह कमेटी उतने ही कनेक्शनों की सिफारिश करती है, फिर भी जिनकी सिफारिश वह करती है, उन्हें टेलीफोन नहीं मिलता ?

श्री राज बहादुर : जब सिफारिश करने के पहले यह गिन्ती बताई जाती है कि इतने टेलीफोनों की सिफारिश हो सकती है, उस के सम्बन्ध में भी बहुधा सामान मिलने स्टोर्स मिलने और केबल आदि की बात रहती ही है ।

†श्री यादव नारायण जाधव : क्या टेलीफोन केबिलों की हमारी आवश्यकताओं का कोई निर्धारण किया गया है और उसका क्या प्रभाव हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : यदि किसी नगर अथवा स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जाय तो मैं उत्तर दे सकूंगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : सलाहकार समिति की सिफारिश के अतिरिक्त कौन पदाधिकारी निर्णय लेता है ? और किस आधार पर निर्णय लेता है। क्या इसका निर्णय भी कोई समिति करती है अथवा यह व्यक्तिगत आधार पर होता है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि टेलीफोन सलाहकार समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं और प्रशासन उनके अनुसार ही काम करता है। संभव है ऐसे मामलों में जिनमें पहले से ही टेलीफोन लगा हो अथवा ऐसे मामलों में जिनके बारे में मैं प्रश्न के उत्तर बताने में असमर्थ हूं, ऐसा हुआ हो ।

†**श्री गोरे** : टेलीफोन लगाने के आवेदन पत्र सलाहकार समिति को पहले प्रस्तुत किये जाते हैं अथवा समिति की सिफारिशों के अलावा भी टेलीफोन विभाग स्वयं टेलीफोन लगा देता है ।

†**श्री राज बहादुर** : केवल कुछ प्रतिशत आवेदन पत्र समिति की सिफारिश के लिये भेजे जाते हैं। कुछ 'नम्बर' आने के आधार पर दिये जाते हैं। विभाग द्वारा टेलीफोन लगाने की प्रतिशतता बहुत थोड़ी होती है ।

†**श्री गोरे** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि विभाग को यह अधिकार दिये जाने के कारण भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है ?

†**श्री राज बहादुर** : जी नहीं। सलाहकार समिति के लिए निश्चित कोटा समिति के पास भेजा जाता है और समिति निणय करती है। एक प्रतिशत सूची अनुसार दिए जाते हैं। स्वयं देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

†**श्री गोरे** : कोटे से बाहर जो दिये जाते हैं मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं ।

†**श्री राज बहादुर** : केवल सरकार अथवा कुछ संगठनों के अतिरिक्त सभी आवेदन पत्र समिति को भेजे जाते हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब वह सूची सलाहकार समिति के सामने आती है तो उसमें अधिकार टेलीफोनों की संख्या ऐसी होती है जिनको पहले से टेलीफोन मिल चुका होता है ?

श्री राज बहादुर: मेरी नोटिस में यह चीज नहीं है, अगर कोई ऐसा केस आया हो तो माननीय सदस्य बतलायें ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

+

†*८१०. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में अब तक कुल कितनी अनधिकृत बस्तियां बस गई हैं और उनमें कितने परिवार रहते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन इलाकों का कोई सर्वेक्षण किया गया है और इनके निर्माण को नियमित करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम से जानकारी मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : कुछ इस तरह की अनआथराइज्ड कालोनीज दिल्ली और नई दिल्ली में बसी थीं जिनको सरकार ने आथराइज्ड घोषित किया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की कालोनीज की संख्या कितनी है और उनको आथराइज्ड घोषित करने का आधार क्या रक्खा गया है ।

श्री करमरकर : नोटिस मिलने पर हम इसके बारे में म्यूनिसिपल कारपोरेशन से इत्तला मंगायेंगे ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि इस समय भी दिल्ली और नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से मकानों का निर्माण हो रहा है, और दिल्ली कारपोरेशन उनके निर्माण को रोकने में पूर्णतया असफल सिद्ध हुआ है ?

श्री करमरकर : इसके बारे में नोटिस मिलने के बाद हम इत्तला मंगायेंगे । जब मैं घूमने जाता हूं तो देखता हूं कि छोटे छोटे नये मकान यहां वहां आ जाते हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस अनधिकृत बस्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन और सरकार में कुछ मतभेद है और इसलिये कोई बात तय नहीं हो पा रही है ?

श्री करमरकर : जितनी हद तक मुझे इत्तला है उतनी हद तक हम में कोई मतभेद की चीज नहीं है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार ने कुछ अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत घोषित किया है और इसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों में भी सूचनायें निकलीं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हम इसकी जानकारी लेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि जितनी बस्तियों को अधिकृत घोषित किया गया है उनकी संख्या और आधार क्या है ।

श्री करमरकर : मेरी समझ में यह चीज नहीं आई क्योंकि चन्द महीनों पहले जिन के ले-आउट प्लैन्स मंजूर नहीं किये गये थे, उन के ले-आउट प्लैन्स मंजूर होने के बाद उनको जो रियायत मिलनी चाहिये थी उनको देने की बात ही सरकार ने मंजूर की है । इसके माने यह नहीं होते कि जो अनधिकृत कालोनी थीं, उनको हमने अधिकृत कर दिया । ऐसा कोई उदाहरण मेरे सामने नहीं है ।

†**श्री अ० क० गायकवाड़ :** यह अनधिकृत बस्तियां कौन कौन सी हैं, इनमें कितने परिवार रहते हैं और कितने समय से रह रहे हैं ?

†**श्री करमरकर :** मैं पहले ही पूर्वसूचना मांग चुका हूं :

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न प्रस्तुत है । और पूर्वसूचना वह क्या चाहते हैं ।

†**श्री करमरकर :** उसके उत्तर में मैं बता चुका हूं कि जानकारी दिल्ली नगर निगम से मंगाई गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन

†*८१४. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश में रेल-मार्गों के विस्तार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में रेलवे की क्या योजनाएं और प्रस्थापनाएं हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने रेलवे फाटकों के निर्माण पर आने वाली लागत को राज्य सरकार और रेलवे के बीच आधा-आधा बांटने के मामले के बारे में भी चर्चा की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में इस सिफारिश को देखा था कि मध्य प्रदेश का नया राज्य बन जाने पर रेलवे की नई लाइनें बनाने की आवश्यकता होगी और यदि हां तो क्या यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तथा क्या उस सिफारिश की ओर रेलवे प्रशासन का ध्यान गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कल ही इन मामलों के बारे में खुलासा उत्तर दिया गया था ।

†**श्री शाहनवाज खां :** मध्य प्रदेश में कुछ लाइन बनाई गई हैं, कुछ बन रही हैं और कुछ और बनाने के बारे में विचार हो रहा है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैंने यह नहीं पूछा था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मध्य-प्रदेश में नई लाइनें बनाने के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का ध्यान गया है और क्या वह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और रेलवे प्रशासन को वह सिफारिश मालूम है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमें सिफारिश मालूम है । निर्णय योजना आयोग करेगा ।

श्री खादी वाला : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि होलकर स्टेट के वक्त से इन्दौर दोहद रेलवे लाइन निकालने की बात चल रही थी और इसके बारे में बार बार कहा गया है । चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस लाइन को निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे इन्दौर के व्यापार को बहुत फायदा पहुंचेगा । क्या उसके बारे में कुछ विचार हो रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : हर एक लाइन जिसके लिए कहा जाता है उसको बनाना मुमकिन नहीं होता है । मैं माननीय सदस्य की इत्तला के लिए यह खबर करूं कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने मध्य प्रदेश के लिए २७ लाइनों की एक फहरिस्त दी है जिनकी कुल लम्बाई ३००० मील है और कहा है कि इनको बनाया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ज्वार-बाजरे का आयात

*८१६. **श्री खुशवक्त राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये पिछले साल तीन करोड़ रुपये का ज्वार-बाजरा अमेरिका से मंगाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसूर राज्य ने उसे लेने से इन्कार कर दिया ;

(ग) आयात किये गये ज्वार-बाजरे को अब किस काम में लाया जायगा ; और

(घ) उससे होने वाली हानि कौन उठायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश मैसूर आदि के कुछ भागों में अनावृष्टि के कारण मोटे अनाजों की संभावित कमी को ध्यान में रखते हुये, दिसम्बर, १९६० और जनवरी, १९६१ में संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग १ करोड़ ५० लाख रुपये की लागत पर लगभग ५३ हज़ार मेटरिक टन विदेशी ज्वार का आयात किया गया था। जब तक ज्वार पहुंची तब तक मैसूर राज्य में स्थिति काफी सुधर जाने के करण मैसूर सरकार ने यह विदेशी ज्वार नहीं ली ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सरकारों ने लगभग १२,५०० मेटरिक टन ज्वार तो ली है । शेष मात्रा को सस्ते अनाज की दुकानों या नीलाम द्वारा बेचने के प्रयत्न किय जा रहे हैं ।

(घ) हानि यदि कोई हुई तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाई जावेगी ।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह जो माइलो है वह किन-किन राज्यों में फेयर प्राइस शाप्स पर बिकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : सारे हिन्दुस्तान में ।

†**श्री अ० म० थामस :** जो भी राज्य मांगेंगे हम उनको देंगे । हमारा विचार इसको उचित मूल्य की दूकानों से ही बेचने का है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि अमरीका से आयात किए गए ज्वार की बड़ी मात्रा बम्बई में जहाज से उतारी गई है और खुले में पड़ी है जिस पर वर्षा आदि पड़ रही है । क्या यह सच है ?

†**श्री अ० म० थामस :** इसके बारे में पहले भी एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उतर दे दिया गया था । यह समाचार एकदम गलत है कि कोई हानि हुई है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** जब ज्वार की मांग नहीं थी तो इसको क्यों आयात किया गया था ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह अनुमान लगाया गया था कि आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में मोटे अनाज की फसल खराब है । इसलिए हमने यह उचित समझा कि कुछ मात्रा का भंडार बनाया जाय जिसको हम वितरित कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि आयात किए गए ५३,००० टन में से ५०,००० टन अभी भी राज्यों को वितरित नहीं किया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** जी नहीं । मैं मूल उत्तर में बता चुका हूं कि हमने १.५ करोड़ पये का ५३,००० मीट्रिक टन आयात किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितनी भांडार में हैं और कितनी वितरित्त कर दी गई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कुछ राज्यों को ६,९९९ मीट्रिक टन वितरित कर दी गई है । आंध्र प्रदेश को ५,५५२ मीट्रिक टन दी गई है । बाक़ी हमारे पास है । १३०० मीट्रिक टन मद्रास में नीलाम होने को है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** लगभग १००० टन उनके पास है ।

†**श्री वाजपेयी :** सस्ते भाव पर ज्वार बेचने में लगभग कितनी हानि होने की संभावना है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कोई हानि नहीं हुई है । जहाज़ पर उतरने के मूल्य ११.२८ होंगे । इस समय हम ११ रुपये पर बेच रहे हैं । इस प्रकार प्रतिमन लगभग २८ नये पैसे की सहायता होगी । कुछ अन्य कारणों से हमें कुछ और हानि हुई है परन्तु इस समय यह नहीं बताया जा सकता है कि हानि कितनी हुई है ।

दक्षिण रेलवे पर भूतपूर्व एस० आई० आर० के वाणिज्यिक लिपिक

†*८१७. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर भूतपूर्व एस० आई० आर० के वाणिज्यिक लिपिकों का वेतनक्रम प्रथम वेतन आयोग के पंचाट के अनुसार ६५ रु० के स्थान पर ५५ रु० निर्धारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें सुधार किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि लगभग १००० कर्मचारियों को पहले आधार के अनुसार वेतन मिल रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच नहीं है कि आरंभ में कई कर्मचारियों के लिए ५५ रुपये वेतन निश्चित किया गया था और बाद में रेलवे बोर्ड ने इसका अनुसमर्थन किया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** गलती प्रश्न में ही मालूम होती है । संभवतया मेरे मित्र दक्षिण भारत रेलवे-भूतपूर्व दक्षिण भारत रेलवे के कर्मचारी जो रिलीविंग क्लर्क कहलाते थे, का जिक्र कर रहे हैं । उनका ही यह वेतन क्रम निश्चित किया गया था । परन्तु उनके आन्दोलन करने पर और मांग करने पर कि इन रिलीविंग क्लर्कों को वाणिज्यिक लिपिक बनाने के लिए उनका वेतन १३० रुपये रखा जाय जिससे वह ६०–१५० रुपये के वेतनक्रम के लिए अर्हता प्राप्त कर सके । एक टाइम स्केल में सेवा को ऊंचे स्केल में वेतन वृद्धि के लिए गिनना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** इस अनुसमर्थन से कितने कर्मचारियों को लाभ हुआ है और कितने अभी शेष हैं जिनका वेतन ६० रुपये के बजाये ५५ रुपये निश्चित है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** भूतपूर्व रिलीविंग क्लर्क ५२९ हैं जो इस श्रेणी में आते हैं ।

†**श्री तंगामणि :** इन ५२५ कर्मचारियों के वेतनक्रम पुनः निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी क्योंकि इन के कारण प्रत्येक को १००० रुपये की हानि होती है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वे गलत निश्चित नहीं हुये हैं । उनके साथ उदारता से व्यवहार किया गया है ।

दंडकारण्य क्षेत्र में रेलवे लाइन

+

†*८१८. { **श्री संगण्णा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे लाइन के बारे में सर्वेक्षण और जांच कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन का मार्ग क्या होगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो यह कार्य किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) घाट सेक्शन में २५ मील की लम्बाई को छोड़ कर अन्तिम स्थिति-निश्चयन प्रायः समाप्त हो गया है ।

(ख) जगदलपुर, जैपुर और कोरापट से हो कर मार्ग अपनाया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री संगण्णा :** सरकार ने प्रतिकर के निर्धारण के मामले में क्या नीति अपनाई है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** वह सामान्य नीति ही है । राज्य सरकार भूमि अर्जित करती है और हम राज्य सरकार को भुगतान करते हैं तथा राज्य सरकार उस राशि को संबंधित लोगों में बांट देती है ।

†**श्री संगण्णा :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रेलवे लाइन में अन्तर्ग्रस्त भूमि आदिवासियों की है और इसलिये वे बहुत कम लगान लगायेंगे जिस के परिणामस्वरूप आदिवासियों को बहुत कम प्रतिकर मिलेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर की राशि का निर्णय राज्य सरकार करती है ।

†**श्री बसुमतारी :** क्या ली जाने वाली भूमि के प्रतिकर के सम्बन्ध में आदिवासियों और गैरआदिवासियों में भेदभाव किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** उपमंत्री यह बता चुके हैं कि भूमि राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की जाती है । मैं नहीं समझता कि उस में कोई भेदभाव हो सकता है । भेदभाव होना ही नहीं चाहिये ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : इस लाइन पर निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** बहुत शीघ्र । मिट्टी का काम आगामी कुछ महीनों में शुरू हो जायेगा ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या यह लाइन दण्डकारण्य क्षेत्र में बसाये जाने वाले विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में हो कर गुजरेगी और यदि नहीं तो वह उन बस्तियों से कितनी दूर होगी ?

†**श्री शाह नावाज खां :** मैं समझता हूं कि वे बस्तियां रेलवे लाइन के निकटवर्ती क्षेत्रों में बसाई जायेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या रेलवे लाइन बस्तियों के निकट होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं आशा करता हूं कि बस्तियां रेलवे लाइन के निकट होनी चाहियें ।

†**श्री संगण्णा :** पहले इस रेलवे लाइन को रायगादा से मिलाने का प्रस्ताव था और उस पर सरकार विचार कर रही थी । मैं जानना चाहता हूं कि उस का क्या हुआ ?

†**श्री शाहनवाज खां :** उस का कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम ने उस पर विचार किया और हम ने सोचा कि जगदलपुर, जैपुर और कोरापट जैसे प्रमुख नगरों को मिलाने वाली वैकल्पिक लाइन अधिक अच्छी रहेगी । इसलिये वैकल्पिक लाइन पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** मैं जानना चाहता हूं कि लाइन के मार्ग का निश्चय किस विचार से किया जायेगा ? क्या उस का आधार फासला होगा अथवा क्षेत्रों को व्यापार और वाणिज्य के लिये खोलना ?

†**श्री शाहनवाज खां :** क्षेत्र खोलना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व है जो ध्यान में रखा जायेगा । परन्तु रेलवे की चालन सम्बन्धी आवश्यकताओं का भी विचार करना होगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** विस्थापित व्यक्तियों की जो बस्तियां बस चुकी हैं उन की क्या स्थिति है ? उन से यह रेलवे लाइन कितनी दूर होगी ?

†**श्री जगजीवन राम :** रेलवे लाइन के मार्ग के सम्बन्ध में प्रत्येक बात दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के साथ परामर्श कर के की जाती है । आशा है कि वे इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे ।

†**श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या अदक्ष श्रमिक इस क्षेत्र में बसाये जाने वाले लोगों और आदिवासी तथा स्थानीय लोगों में से लिये जायेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम :** हम अधिकाधिक लोगों को लेंगे और उन का स्वागत करेंगे ।

बोइंग ७०७ विमान

+

*८१९. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
{ **श्री इन्द्रजीतलाल मलहोत्रा :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अब तक कितने बोइंग ७०७ विमान खरीदे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुल मिला कर इन विमानों पर कितना व्यय हुआ है ;

(ग) इन विमानों को उड़ाने के लिये कितने कुशल भारतीय चालक प्रशिक्षित किये गये हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है ;

(घ) प्रारम्भ में किन-किन मार्गों पर ये विमान चलेंगे ; और

(ङ) इन में कितने यात्री जा सकेंगे ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्रीमुहीउद्दीन) : (क) तीन। चौथे बोइंग हवाई जहाज के लिये कारपोरेशन ने आर्डर दिया है और उस के अप्रैल, १९६१ में मिलने की उम्मीद है।

(ख) पहले तीन हवाई जहाजों के लिये ११.५० करोड़ रुपये और चौथे हवाई जहाज के लिये ४.०० करोड़ रुपये।

(ग) ३५ पायलट जिन की तालीम पर ३४ लाख रुपया लागत आई है।

(घ) हिन्दुस्तान से इंगलिस्तान, इंगलिस्तान से अमरीका, हिन्दुस्तान से जापान और हिन्दुस्तान से पूर्वी अफ्रीका।

(ङ) १३० सवारियां।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि तीन बोइंग ७०७ विमान खरीदे जा चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह विमान किन किन रास्तों पर चल रहे हैं ?

श्री मुहीउद्दीन : तीन बोइंग हवाई जहाज इस वक्त यहां से इंगलिस्तान, इंगलिस्तान से अमरीका और हिन्दुस्तान से जापान चल रहे हैं और तवक्को है कि यहां से पूर्वी अफ्रीका के लिये भी यह इस्तेमाल किये जायें।

श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा : समस्त अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर बोइंग विमान चालू करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री मुहीउद्दीन : मैं नहीं जानता कि अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों से क्या तात्पर्य है। इस समय योजना यह है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल यूरोप, ब्रिटेन, अमरीका, जापान और पूर्व अफ्रीका की सेवाओं पर बोइंग विमान चलायें। हमारी विमान सेवा आस्ट्रेलिया भी जाती है। उस पर भी बोइंग विमान चलाने के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुपर-कंसटेलेशन के स्थान पर बोइंग ७०७ विमान चलाने से एयर इंडिया इंटरनेशनल को कितनी अतिरिक्त आय होने का अनुमान है ?

†श्री मुहीउद्दीन : अनुमानित आय सभा-पटल पर रखे गए बजट में दी गई है।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में बजट में कुछ होगा। हम उस की अलग से जानकारी चाहते हैं।

†श्री मुहीउद्दीन : एयर इंडिया इंटरनेशनल और भारतीय विमान सेवा निगम दोनों के बजट सभा-पटल पर रखे हुए हैं।

†श्री वें० प० नायर : मंत्री जी कहते हैं कि एयर इंडिया इंटरनेशनल का बजट सभा-पटल पर रखा है। श्री गुप्त का प्रश्न निर्दिष्टतः बोइंग ७०७ से होने वाली आय के सम्बन्ध में है। यह बजट में नहीं दी हुई होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय उपमंत्री ने बताया कि बोइंग विमानों की कीमत ४ करोड़ रुपए प्रति विमान है। ४ प्रतिशत ब्याज की दर से वह १६ लाख रुपये होती है। तीन बोइंग विमानों के लिये प्रतिवर्ष आय ४८ लाख रुपये या लगभग आधा करोड़ होगी। अवक्षयण का उपबन्ध भी अवश्य होना चाहिये। इसलिये माननीय सदस्यों का पूछना सर्वथा ठीक है कि बोइंग विमानों का चलाना आर्थिक दृष्टि से कहां तक लाभकारी होगा।

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि १९६१-६२ के प्रारंभिक प्राक्कलन से मालूम होता है कि विमानों की खरीद के लिये प्राप्त ऋणों का ब्याज भुगतान-करने और अवक्षयण तथा स्थापनाओं के लिये उपबन्ध करने के पश्चात् लगभग एक करोड़ रुपये का लाभ होगा।

श्री रामनाथन चेट्टियार उठे---

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** आप ने मुझे प्रश्न पूछने के लिये कहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अनुमति नहीं देता हूं। मैं माननीय उपमंत्री के उत्तर से संतुष्ट हूं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टिार :** मेरा प्रश्न भिन्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह किसी अन्य अवसर के लिये सुरक्षित रखा जाय। माननीय सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिये कि मैं एक विशेष अवस्था पर प्रश्न को खत्म कर सकता हूं। अगला प्रश्न।

डीजल इंजन

+

†*८२१. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, और मद्रास के बीच चलने वाली डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों का समय घटाने के लिये इन गाड़ियों के साथ डीजल इंजन लगाने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां तो कब से ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) और (ख). जी, नहीं। परन्तु १-४-१९६१ से लागू होने वाली समय सारिणी में १५ डाउन/१६ अप ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस और १७ डाउन/१८ अप मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेसों की गति बढ़ा देने का प्रस्ताव है।

मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूं कि १ अप्रैल, १९६१ से प्रस्तावित कुल तेजी १ अक्टूबर, १९६० की समय सारिणी की तुलना में निम्न प्रकार होगी :

१५ डाउन मद्रास से नई दिल्ली तक २½ घण्टे।

१६ अप नई दिल्ली से मद्रास तक ३ घण्टे ५० मिनट।

१७ डाउन मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस ४ घण्टे ५५ मिनट।

१८ अप दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस २ घण्टे ५५ मिनट।

---

†मूल अंग्रेजी में

१ अप्रैल, १९६१ से यात्रा का कुल समय निम्न प्रकार होगा :—

मद्रास-नई दिल्ली जी० टी० एक्सप्रेस ४३ घण्टे १५ मिनट।

नई दिल्ली-मद्रास जी० टी० एक्सप्रेस ४१ घण्टे १५ मिनट।

मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस ४७ घण्टे ५५ मिनट।

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस ४८½ घण्टे।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य समय सारिणी देख सकते हैं।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री ने केवल दो गाड़ियों का उल्लेख किया है। तीसरी डीलक्स गाड़ी भी तो है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं भी मद्रास का हूं और मैं इन घण्टों तथा मिनटों से कुछ नहीं समझ सका हूं। हम यात्रा कब शुरू करते हैं और कब पहुंचते हैं? यदि ४३ घण्टे अर्धरात्रि के समय पूरे होते हैं तो तो भगवान् बचाए। इससे तो ५० घण्टे लगें मगर यात्रा प्रात: काल में समाप्त हो। इसलिये महत्व इस बात का है कि यात्रा कब प्रारम्भ होती है और कब समाप्त। अगला प्रश्न।

श्रीनगर को वाइकाउंट विमान सेवा

†*८२३ **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गर्मियों के महीनों में दिल्ली और श्रीनगर के बीच वाइकाउण्ट विमान सेवा प्रतिदिन चलायी जाया करेगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : हां, श्रीमान्।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** : क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि ये वसेवायें सर्दी के महीनों में भी चलाई जायें ?

†**श्री मुहीउद्दीन**: जी, हां। उस पर विचार किया गया है परन्तु वाइकाउण्ट विमानों के चालन में कुछ प्रविधिक कठिनाइयां हैं। परन्तु आशा है कि कालान्तर में जब हमें अधिक अच्छे विमान मिल जायेंगे तो श्रीनगर की सेवायें सुधर जायेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

कुछ माननीन सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जब "अगला प्रश्न" कह दूं तो माननीय सदस्यों को यह समझ लेना चाहिये कि मैं उस प्रश्न पर और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

खाद्य उत्पादन में 'आइसोटोप' का प्रयोग

†

*८२५. **श्री राधा रमण** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग कहां तक किया जा सका है ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसे आइसोटोप्स की कितनी आवश्यकता होगी ;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि में इसकी पूर्ति कहां तक हो सकेगी; और

(घ) रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग अब तक किन प्रयोजनों के लिए किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग कृषि गवेषणा के साधनों के रूप में किया गया है और फसल की पैदावार में सारभूत महत्व के परिणाम उपलब्ध हुए हैं ।

(ख) प्रारम्भिक निर्धारण किया गया है ।

(ग) प्रारम्भिक प्राक्कलन पी० ३२, एस० ३५, सी० १४ आदि जैसे रेडियो आइसोटोप्स, कुछ सुपरफॉस्फेट जैसे मिश्रणों और कुछ सक्रिय संघटकों से युक्त कीटनाशक औषधियों की आवश्यकताओं कुछ के लिये है ।

ट्राम्बे में कनाडा-भारत रिएक्टर के चालू हो जाने पर पर्याप्त मात्रा में रेडियो अम्इसोटोप्स मिलने लगेंगे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत हद तक इस स्रोत से हो जाने की आशा है ।

(घ) रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग (१) भारत की मिट्टियों की उर्वरता के स्तर एवं गेहूं और धान जैसी फसलों द्वारा उर्वरकों के ग्रहण सम्बन्धी अध्ययनों और प्लान्ट फिज़ियोलांजी, बायो-कैमिस्ट्री, एण्टोमॉलोजी और माईकॉलोजी में ट्रेसर्स के रूप में, (२) अनेक प्रकार के फसल के पौधों और माइक्रो ऑर्गनिज्म्स में म्यूटेजेन्स के रूप में और (३) नाशकीटों के नियन्त्रण में स्टर्लाईजिंग एजेंट्स के रूप में किया जाता है ।

†**श्री राधा रमण :** माननीय मंत्री ने बताया कि रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने में किया जाता है । क्या मैं जान सकता हूं कि देश के किन भागों में इन आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है और उत्पादन बढ़ाने में आइसोटोप्स के प्रयोग द्वारा तुलनात्मक लाभ क्या हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** १९५४ से भारत की तीन संस्थाओं, मुख्यतः पूसा इंस्टीट्यूट में, गवेषणा कार्य चल रहा है और इन रेडियो आइसोटोप्स का ट्रेसर्स के रूप में प्रयोग करके यह पता लगाया गया है कि पौधे उर्वरकों को कैसे ग्रहण करते हैं और भारत की विभिन्न मिट्टियों में फास्फेटों और नाइट्रोजन की मात्रा भिन्न भिन्न है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या नारियल के पेड़ों के जड़ और पत्ती के रोग, जो केरल में लाखों वृक्षों को नष्ट कर रहा है, सम्बन्धी गवेषणा कार्यक्रम में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का प्रयोग किया गया है और, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वह हमारे गामा गार्डन्स जाकर हमारा गवेषणा कार्य देखें । दिल्ली में नारियल के पेड़ नहीं लगाये जा सकते हैं परन्तु आशा है कि नारियल के पेड़ों के सम्बन्ध में भी गवेषणा कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा ।

†**श्री वें० प० नायर :** नारियल गवेषणा केन्द्र निर्दिष्टतः इस रोग के नियन्त्रण पर ध्यान दे रहा है जो केरल में लाखों पेड़ों को खा रहा है । यद्यपि प्रयोग किये गये हैं परन्तु अभी तक कोई नियन्त्रण उपाय नहीं निकले हैं और यह रोग फैलता जा रहा है जिससे केरल में बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके उपचार में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को काम में लाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): यह कार्यवाही के लिये सुझाव है। केरल के पेड़ों के इस रोग पर हम बहुत समय से ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वहां की सरकार हमें अनेक बार लिख चुकी है और हमने अपने गवेषणा कार्यकर्ताओं से इस चुनौती का सामना करने के लिये कहा है। मैं यह सुझाव उनके पास भेज दूंगा कि क्या इस प्रयोजन के लिये रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग लाभकारी होगा।

त्रिपुरा में जल का अभाव

†*८२७ श्री बांगशी ठाकुर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सदर डिवीजन, त्रिपुरा के कुछ भागों, जैसे कोनाबन और अन्य आसपास के इलाकों के लोगों को पीने और सामान्य प्रयोग में आने वाले दोनों किस्मों के पानी की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इसी कारणवश एक नये सरकारी औषधालय को, जिसे उस इलाके में काफी देर पहले बनाया गया था, खोला नहीं जा सका; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

†श्री वें० प० नायर: वही सामान्य उत्तर।

†श्री करमरकर: यह प्रश्न अत्यन्त व्यापक है क्योंकि उसमें कुछ इलाकों के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई है और हम प्रशासन के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूंकि अभी तक उत्तर नहीं है इसीलिये मैंने यह कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि ३१ मार्च, १६६० तक निम्नलिखित कार्य किये गये हैं: नलकूप ४२५, चुनाई २५१, आंशिक रूप में ईंटों की चुनाई वाले कुएं १३८, कंक्रीट की चुनाई (आर० सी० सी०) वाले कुएं ८५। चालू वर्ष के लिये कार्यक्रम २१ कुएं और २४२ नलकूप बनाने का है। इनमें से १२ कुएं और १६७ नलकूप बनाए जा चुके हैं। परन्तु जो प्रश्न पूछा गया है यह उसका सही उत्तर नहीं कहा जा सकता है।

†श्री बांगशी ठाकुर: क्या इस संकट का मुख्य कारण यह नहीं है कि नलकूप, कुएं और तालाब उचित ढंग से नहीं खोदे जाते हैं? क्या सरकार यह समझती है कि इनके सुधार के लिये एक विस्तृत एवं उचित जांच आवश्यक है?

†श्री करमरकर: मैं प्रश्न ठीक नहीं समझ सका क्योंकि नलकूप खोदे नहीं जाते वरन् छिद्रित होते हैं। श्रीमान्, जैसा कि आप जानते हैं, नलकूप एक यन्त्र होता है इसलिये मुझ पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी। साधारण कुएं की खुदाई में तो गलतियां हो सकती हैं परन्तु नलकूप के छिद्रण में नहीं, इसलिय मैं यह पता करूंगा कि नलकूपों में कोई गड़बड़ तो नहीं है। जो भी हो, मैं यह प्रश्न समझ नहीं सका कि नलकूप ठीक तरह नहीं खोदे जा रहे हैं।

†श्री बांगशी ठाकुर: वहां नलकूप और साधारण कुएं दोनों ही हैं। परन्तु उनका छिद्रण और खुदाई ठीक तरह नहीं की जाती है। समस्या यह है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सब के लिये उचित एवं विस्तृत जांच करेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जांच करेंगे । यदि माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में कुछ और बातें बतायें तो माननीय मंत्री जांच करेंगे ।

†**श्री करमरकर :** जी हां, अवश्य ।

†**अध्यक्ष महोदय:** जो भी हो, सामान्य जांच तो वह करेंगे ही ।

पब्लिक ला ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं

†*८२८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पब्लिक ला ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से भारत को 'पोर्टलैंड ट्रेडर्स' द्वारा लाये जा रहे १३०० टन गेहूं को जो क्षति पहुंची है, उसका नुकसान किसको सहना पड़ेगा; और

(ख) अनुमानतः कितनी हानि होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) यह जहाज के मालिकों और माल के मालिकों के बीच कानूनी दायित्व के निर्णय पर निर्भर होगा ।

(ख) इसका पता क्षतिग्रस्त गेहूं की बिक्री, उबारण में सरकार के अंशदान, भाड़े के पुनर्भुगतान में जहाज मालिकों के दायित्व आदि के निर्णय के पश्चात् ही चलेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या उस माल की सुरक्षा का बीमा कराया गया था ?

†**श्री अ० म० थामस :** सभा में यह अनेक बार बताया जा चुका है कि हम बीमे का खतरा स्वयं उठाते हैं और बीमा समवायों से बीमा नहीं कराते हैं ।

रेलवे के आहार प्रतिष्ठान

†*८२९. **श्री वें० प० नायर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के आहार प्रतिष्ठानों के कार्य की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये विशेषाधिकारी की किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; और

(ख) इस जांच और रिपोर्ट पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १०३ में से ५९ सिफारिशें, जो विशेष अधिकारी के निर्देश पदों से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित थीं, स्वीकार कर ली गई हैं और ८ स्वीकार नहीं की गई हैं ।

(ख) २१,७४५ रुपए ।

†**श्री वें० प० नायर:** माननीय मंत्री ने स्वीकार की गई तथा स्वीकार न की गई सिफारिशों का विवरण सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा है क्योंकि प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही था ।

†**श्री शाहनवाज खां :** उसके सम्बन्ध में कठिनाई कोई नहीं है । यदि ऐसा चाहा गया है तो उसे सभा पटल पर रखा जा सकता है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सेवाओं को सन्तोषजनक रखने के प्रयोजन के लिए एक अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार प्राप्त विशेषाधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई निर्दिष्ट सिफारिश थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज खां : वास्तविक स्थिति यह है कि १५४ सिफारिशों में से ८६ का निपटारा हुआ है। ६८ अभी विचाराधीन हैं। इसलिए ऐसा नहीं हैं कि पूरा काम हो चुका है। प्रतिवेदन पर ध्यान दिया जा रहा है और इस मामले में हम किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं।

†श्री तंगामणि : क्या भोजन-व्यवस्था के प्रश्न पर कोई ऐसी सिफारिश है कि भोजन-व्यवस्था विभाग प्रत्यक्षतः रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत होना चाहिए और प्रत्येक जोन के जनरल मैनेजर के अन्तर्गत नहीं ?

†श्री शाहनवाज खां : भारत बहुत बड़ा देश है और संभवतः श्री माथुर ने यह शिकायत की थी कि रेलवे मंत्रालय में पर्याप्त विकेन्द्रीकरण नहीं है। मैं समझता हूं कि जनरल मैनेजर अपने रेलवे में भोजन-व्यवस्था की देखभाल करने के लिए सर्वथा समर्थ है।

†श्री वें० प० नायर : क्या यह सच नहीं है कि रेलवे द्वारा भोजन-व्यवस्था किए जाने के बावजूद पर्यवेक्षण की कमी के कारण भोजन अच्छा नहीं दिया जा रहा है? यदि ऐसा है तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है कि केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ही दिया जाये ?

†श्री शाहनवाज खां : हमारी सूचना के अनुसार जो भोजन दिया जाता है वह काफी स्वास्थ्य-प्रद होता है और उसको जनता ने सामान्यतः अच्छा बताया है।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†अध्यक्ष महोदय : रेलवे पर इतने दिनों की बहस के पश्चात् क्या अब माननीय सदस्य प्रश्नों के घंटे में इस समस्या का निपटारा करना चाहते हैं ?

†श्री वाजपेयी : माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसका निर्देश नहीं किया था।

†अध्यक्ष महोदय : पिछली शाम को माननीय सदस्य मंत्री जी की बात सुनने के लिए यहां काफी देर नहीं ठहरे। यह वास्तव में बड़े आश्चर्य की बात है। माननीय सदस्य रेलवे यात्रियों को दी जाने वाली नई सुविधाओं और विभिन्न असुविधाओं को सरकार के सामने रखने और उनके सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए बहुत अधिक अवसर चाहते हैं। मैंने अधिकाधिक माननीय सदस्यों को अवसर देने का प्रयत्न किया है। परन्तु वे यहां भाषण दे कर चले जाते हैं और माननीय मंत्री की बात सुनने के लिए उपस्थित नहीं रहते हैं। उनकी बात सुनकर ही यह शिकायत की जानी चाहिए कि माननीय मंत्री ने किस बात का निर्देश नहीं किया है। क्या आगे से माननीय मंत्री सदस्यों के घर जाकर अपनी बातें बतायें ? यह बड़ी अद्भुत बात है। कल हम साढ़े छः बजे तक बैठे थे और माननीय मंत्री ने उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए थे। मैंने यह संकेत भी किया था कि जिन सदस्यों ने वे प्रश्न उठाए थे वे उपस्थित नहीं थे। परन्तु उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं लोगों को सन्तुष्ट नहीं किया जाना है। सरकार को समस्त देश को सन्तुष्ट करना है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब माननीय मंत्री बहस का उत्तर दें तो वे सभा में उपस्थित रहें। यह माननीय सदस्यों की स्वयं अपने प्रति, सभा के प्रति और सरकार के प्रति शिष्टता का तकाजा है। यदि माननीय सदस्य उपस्थित होंगे तो माननीय मंत्री उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि माननीय मंत्री किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं अथवा उस पर आवश्यक जोर नहीं देते हैं तो माननीय सदस्य खड़े होकर यह कह सकते हैं कि "मैं इस प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहता हूं।" यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सामान्य बजट पर आम चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ११ बजने में १० मिनट शेष रहने से लेकर सभा विसर्जित होने के १० मिनट बाद तक यहां रहने का प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह : माननीय मंत्री भी ।

†अध्यक्ष महोदय : सब मंत्री यहां नहीं रह सकते हैं इसलिए केवल वही मंत्री यहां रहेंगे जिनकी जरूरत होगी अन्यथा उनके सहायक मंत्री यहां होंगे ।

†श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय को भी ११ से लेकर ५ बजे तक यहां रहना चाहिए ।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, माननीय सदस्य को अध्यक्ष के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहिए । चाहे वह कितना भी विनोदपूर्ण हो । कोई न कोई अध्यक्ष पीठ पर अवश्य रहेगा ।

†श्री रघुनाथ सिंह : हमें तो यहां पूरे समय उपस्थित रहना पड़ता है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए । एक अल्प सूचना प्रश्न है । श्री शर्मा ।

†श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमान्, वह अत्यन्त विनोदपूर्ण प्रश्न उठा रहे थे ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अंकलेश्वर में तेल का पाया जाना

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर क्षेत्र में दिगास में एक कुएं में बढ़िया किस्म का तेल मिला है ; और

(ख) इस तेल की संभावित मात्रा और किस्म के क्या प्राक्कलन हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). अंकलेश्वर क्षेत्र में दिगास गांव में कुएं संख्या ८ में तेल मिला है । अभी परीक्षण-कार्य चल रहा है और उस कुएं में तेल की किस्म और मात्रा के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस क्षेत्र में अब तक कितने कुएं खोदे गये हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : अभी तक नौ कुएं खोदे गये हैं जिसमें से सात पूरे हो चुके है और दो अभी पूरे नहीं हुए हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस प्रकार तेल का पता लगाने के सम्बन्ध में अभी इन कुओं में से कितने प्रयोगात्मक प्रक्रम में हैं अथवा उनमें से कोई अन्तिम प्रक्रम पर पहुंच चुका है जिससे तेल की मात्रा और किस्म के बारे में मूल्यांकन किया जा सके ?

श्री के० दे० मालवीय : जी, हां । जहां तक किस्म का सम्बन्ध है, मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है । जहां तक मात्रा का सम्बन्ध है, प्रत्येक कुएं की अपनी शक्ति है और इन नौ कुओं में से दो अभी खोदे जा रहे हैं । बाकी सात में से चार कुओं की संभाव्यता का मूल्यांकन किया गया है और तीन में अभी परीक्षण-कार्य चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जगन्नाथ राव : क्षेत्र की वाणिज्यिक संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए और कितने कुएं खोदे जाने हैं और इसमें कितना समय लगेगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : वाणिज्यिक संभावना के प्रथम लक्षण वहां मौजूद हैं। ब्यौरेवार जांच पड़ताल हमेशा चलती रहती है। संभवतः आधे दर्जन और कुओं से तेल की वाणिज्यिक संभाव्यता का दूसरा लक्षण पता चलेगा ।

†श्री तंगामणि : खोदे जा चुके इन सात कुओं में से निर्देशित कुएं के अतिरिक्त और कितने कुओं में तेल आ गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : पूरे किये गये इन सात कुओं में से दो में संभवतः तेल नहीं मिलेगा और बाकी में तेल मिलेगा ।

†श्री त्यागी : क्या सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है जिन्होंने समाचारपत्रों में उस कुएं के बारे में गलत खबर फैलाई जो सफल साबित हुआ है ?

†अध्यक्ष महोदय : हम इस बात को बाद में लेंगे । वह बाद में इसका उत्तर देंगे ।

†श्री त्यागी : क्या संसद् सदस्य इन कुओं का निरीक्षण कर सकते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या संसद् सदस्य इन सातों कुओं का निरीक्षण कर सकते हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां । हमने कुछ माननीय सदस्यों को निमंत्रण भेज दिया है और यदि वे सदस्य, जो जाना चाहते हैं, हमें बतायें तो हम उनको देखने के लिये प्रबन्ध कर देंगे ।

†श्री कासलीवाल : मंत्री महोदय ने कहा है कि आयोग ने इस तेल का किस्म के अनुसार विश्लेषण करने का कार्य आरम्भ कर दिया है । इसमें मोम कितने प्रतिशत पाया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मेरे पास विश्लेषण का ब्यौरा नहीं है परन्तु जहां तक अंकलेश्वर का सम्बन्ध है इसमें कोई मोम नहीं है ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके पास मात्रा के प्राक्कलन के आंकड़ों का ब्यौरा नहीं है । क्या वह यह बतायेंगे कि जैसा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है क्या यह तेल बढ़िया किस्म का है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जहां तक डीजल, मिट्टी का तेल और कुछ अन्य उत्पादों की हमारी आवश्यकता का सम्बन्ध है, हम समझते हैं कि यह तेल बढ़िया किस्म का है ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : तेल के लिये इस क्षेत्र की उच्च संभाव्यता को देखते हुए, इस क्षेत्र में तेल के लिए अनुसन्धान को गहन रूप देने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : इस क्षेत्र में खोज-कार्य को गहन रूप देने के लिये हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । इस क्षेत्र में कई भूतत्वीय और भूभौतिकीय दल भेजे गये हैं । बहुत से छिद्रक खरीदे गये हैं और वहां पर अधिक संख्या में अनुसन्धानात्मक कुएं खोदे जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाक तथा तार विभाग में गबन

†*८०९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में १९५९-६० में डाक तथा तार विभाग में कितना गबन हुआ है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) उन का क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क)

१९५८–५९ .	९.८० लाख रुपये
१९५९–६०	६.८१ लाख रुपये

(ख) इस में पर्यवेक्षण को गहन करना, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना और सतर्कता विभाग द्वारा विशेष नियंत्रण शामिल है ।

(ग) वर्ष १९५९-६० में कुल वित्तीय हिसाब किताब में ५६ करोड़ रुपये की वृद्धि के बावजूद भी हानि में कमी हुई है ।

नागार्जुनसागर परियोजना के लिये इस्पात

†*८१५. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर परियोजना के लिये अपेक्षित इस्पात के लिये जितने कोटे का आवंटन किया गया था, क्या उस का संभरण किया जा चुका है ;

(ख) परियोजना के लिये १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में कितना कोटा निर्धारित किया गया था ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्धारित कोटे में से इस्पात का कितना सम्भरण किया गया ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है कि परियोजना के लिये इस्पात का सम्भरण बहुत कम होने से परियोजना की क्रियान्विति की प्रगति के धीमी हो जाने की बहुत अधिक सम्भावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में जानकारी दी हुई है ।

विवरण

(क) इस्पात का आवंटित अभयंश हिस्सो में दिया गया है ।

(ख)	१९५८-५९ . . .	१२,५९५ टन
	१९५९-६०	७,०७७ टन
	१९६०-६१ . . .	५,९५९ टन
(ग)	१९५८-५९ .	५,४३५ टन
	१९५९-६०	१,९०५ टन
	१९६०-६१	शून्य

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यह समझा जाता है कि राज्य सरकार ने इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय को अभ्यावेदन किया था।

(ङ) नागार्जुनसागर परियोजना में इस्पात की कमी के दो मुख्य कारण हैं। एक तो देश भर में इस्पात की कमी और दूसरा परिवहन कठिनाई। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने लगभग ५३०० टन इस्पात के संभरण को उच्च प्राथमिकता दी है। जनवरी, १९६१ से इस्पात के यान-पंक्ति[1] में परिवहन के लिये विशेष कार्यवाही की गई है। पिछले दो महीनों में माल के भेजने में कुछ सुधार हुआ है।

भाखड़ा नांगल परियोजना

†*८३०. **श्री दामानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा नांगल परियोजना की कुल लागत में वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में जानकारी दी हुई है।

विवरण

(क) यद्यपि भाखड़ा नंगल परियोजना के लिये १७० करोड़ रुपये के वर्तमान स्वीकृत प्राक्कलनों में वृद्धि करने के बारे में पंजाब सरकार से कोई औपचारिक पत्र नहीं आया है, मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाली अवधि का वित्तीय हिसाब देखने से पता चलता है कि कुल प्राक्कलन के लगभग १७५ करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड ने राज्य सरकार से पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुमोदन के लिये योजना आयोग को भेजने को कहा है। ये पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रतीक्षित हैं।

(ख) यह लगभग ५ करोड़ रुपये की वृद्धि निम्न कारणों से है :

१. बांध की नींव की दशा को देखते हुए आवश्यक अधिक छिद्रण और अभिपूरण।

२. होयस्ट चैम्बर की मरम्मत।

३. बांध और विद्युत् संयंत्र और नहरों के लिये संस्थापना की लागत में वृद्धि।

४. बांध के लिये भूमि की लागत में वृद्धि।

५. नांगल बिजली घरों की लागत में वृद्धि और उप बिजली-घर संयंत्र लगाना।

बर्मा से रेलवे स्लीपरों की खरीद

†*८२२. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के लिये स्लीपरों का संभरण करने के करार के बारे में बातचीत करने के लिये रेलवे पदाधिकारियों के एक दल को बर्मा भेजा गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Block rakes

(ख) यदि हां, तो क्या वहां से खरीदे जाने वाले स्लीपर विशेष किस्म के होंगे ;

(ग) क्या इस बीच कोई करार हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो करार के मूल्य निबंधन क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जी हां।

(घ) लगभग ७.१६ लाख हंडरवेट पुल और क्रासिंग टिम्बर का और छोटी लाइन के स्लीपरों का बर्मा पत्तनों पर ३६५ पय से ५४० रुपय तक प्रति घन टन (५० हंडर्डवट) नौतल-पर्यन्त-निःशुल्क दर पर संभरण किया जाना । भुगतान २५-९-१९५८ को भारत और बर्मा की सरकारों के बीच हस्ताक्षर हुए १९५६ के व्यापार करार के अनुसार भारतीय रुपयों में किया जाना है ।

हीराकुड निर्माण क्षेत्र में रेलवे कर्मचारी

†*८२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुड निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कमचारियों को ग्राह्य प्रतिकर-भत्ता, वास्तविक परियोजना क्षेत्र में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को अदा नहीं किया गया ;

(ख) क्या झारसुगुडा से सम्बलपुर स्टेशनों तक काम करने वाले रेलव कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं मिला जबकि इन स्टशनों पर काम करने वाले डाक कर्मचारियों, उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारिय़ों को यह भत्ता मिल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो मार्च १९५६ से सितम्बर १९५९ तक भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). हीराकुड परियोजना क्षेत्र मे काम करने वाले रेलव कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता दिया गया है। झारसुगुडा से सम्बलपुर तक काम करने वाले कर्मकारियों को यह भत्ता नहीं दिया गया ।

(ग) ये स्टेशन वास्तविक हीराकुड परियोजना क्षेत्र में नहीं हैं ।

राष्ट्रीय राजपथ

†*८२६. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रधान ने ४ जनवरी, १९६० को भोपाल में हुए वार्षिक अधिवेशन में हमारी राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली की बहुत सी त्रुटियों का उल्लेख किया था;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेलवे मार्गों की तुलना में, जिन की लम्बाई ३५,००० मील है, राष्ट्रीय राजपथों की कुल लम्बाई १५,००० मील है और उन पर औस्तन १८७ मीलों पर कोई पुल नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) वर्तमान राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई १४,८८० मील है । इस समय ८० क्रासिंग ऐसे हैं जिन पर पुल नहीं हैं और इन की लागत ५ लाख रुपये से ऊपर है । ४७ पुलों पर कार्य चालू है ।

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथों के लिये धन की कमी के कारण उस योजना में नये पुल बनाना सम्भव नहीं है परन्तु जिन पर कार्य चल रहा है उन्हें पूरा कर दिया जायेगा । यदि और निधि उपलब्ध हो गई तो कुछ नये पुलों का निर्माण आरम्भ किया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजपथों के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण

†*८३०. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर से हावड़ा को खड्गपुर हो कर जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण के लिये विश्व बैंक ने ९ करोड़ रुपये ऋण देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या इस योजना को उड़ीसा सरकार से चर्चा करने के पश्चात् मंजूरी दी गई थी ; और

(ग) क्या इस योजना को, जिस में महानदी, बिम्पा, ब्राह्मणी, खरसवान, वैतरणी और सुवर्ण रेखा पर पुलों का निर्माण भी शामिल है, पूरा करने का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). हाल ही में विश्व बैंक के एक दल ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है, देश में कुछ चुनी हुई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये ऋण देने की संभाव्यता पर विचार किया । इस दल ने सम्बन्धित राज्यों के सदरमुकामों का भी दौरा किया और राज्य अधिकारियों से इस मामले पर विचार किया। उन्होंने जिन परियोजनाओं पर विचार किया, उन में भुवनेश्वर–खडगपुर–हावड़ा सड़क और उस पर पुल बनाना शामिल है । तथापि, इस समय सारे मामले पर प्राथमिक अवस्था में विचार किया जा रहा है ।

रेलों में ठेके

*८३१. **श्री बाल्मीकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि रेलवे में भोजन-व्यवस्था के ठेके और फल आदि वस्तुयें बेचने के ठेके हरिजनों को भी टेंडरों के आधार पर दिये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो हरिजनों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कहां तक ठीक है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी नहीं । नीति यह है कि स्टेशनों पर नोटिस लगा कर या प्रेस में विज्ञापन देकर प्रार्थना-पत्र मांगे जाते हैं और उनके आधार पर ठेके दिये जाते हैं ।

साथ ही ठेके देते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के प्रार्थियों का विशेष ध्यान रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वंशधारा परियोजना

†*८३२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नेरदी नामक स्थान में वंशधारा परियोजना की आधार-शिला रख दी है, जोकि उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों में हुए करार के विपरीत है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

चीनी पर से नियन्त्रण हटाया जाना

†*८३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री शि० ला० सक्सेना :
श्री पांगरकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी पर से नियंत्रण हटाये जाने की मांग पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

सिम्रोन-पनवेल सड़क

†*८३४. **श्री बं० च० मलिक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सिम्रोन-पनवेल सड़क सम्बन्धी योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में शामिल करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना पर क्या लागत आयेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सिग्रोन-पनवेल सड़क परियोजना, जिसकी लागत का अनुमान राज्य सरकार ने ४.२१ करोड़ रुपये लगाया है, पर राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में १० अक्तूबर, १९६० को योजना आयोग में आयोजित परिवहन सम्बन्धी कार्यकारी दल की बैठक में विचार किया गया। बैठक में यह बताया गया कि सीमित वित्त के कारण प्रस्तावित सड़क को प्रमुख भाग में शामिल नहीं किया गया और यदि राज्य सरकार ने इस को अति आवश्यक समझा तो वे उस को स्वीकृत योजना उपबन्धों के भीतर राज्य योजना में शामिल कर सकते हैं। इस बारे में राज्य सरकार को बता दिया है और इस बारे में आगे कार्यवाही करना उन पर निर्भर है और यह अधिकांश राज्य सड़क परियोजना होगी। यह मामला अभी विचाराधीन है ।

पर्यटन का पृथक निदेशालय

*†८३५. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को पर्यटन को प्रोत्साहन देने और उसका विकास करने के लिये पृथक निदेशालय स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

पर्यटक विकास परिषद ने अगस्त-सितम्बर, १९५८ में श्रीनगर में आयोजित अपनी प्रथम बैठक में सिफारिश की कि पर्यटन सम्बन्धी मामलों के लिये राज्य सरकारें उचित स्तर के पूर्ण-कालिक अधिकारी नियुक्त करें और जहां किसी विशेष राज्य में कार्य एक अधिक वेतन वाले अधिकारी के पर्याप्त न हो, एक वरिष्ठ पदाधिकारी पर्यटन विभाग के अंश-कालिक मुखिया के तौर पर नियुक्त किया जाये परन्तु पर्यटन को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यों पर ध्यान देने के लिये उनको एक पूर्ण-कालिक सहायक दिया जाये। पर्यटन विभाग ने पर्यटक विकास परिषद् की उपरोक्त सिफारिश सभी राज्य सरकारों को भेज दी है :

पर्यटक विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसरण में निम्नलिखित राज्य सरकारों ने पृथक पर्यटन निदेशालय स्थापित किये हैं और अपने राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नियमित कर्मचारियों समेत पदाधिकारी नियुक्त किये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ।

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मद्रास और उड़ीसा में सूचना और सार्वजनिक सम्बन्ध निदेशक पर्यटन सम्बन्धी मामलों का कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश में वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के एक अवर सचिव और पश्चिम बंगाल में गृह (परिवहन) विभाग के एक उप-सचिव पर्यटन सम्बन्धी मामलों की देखभाल करते हैं ।

लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण

†*८३६. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री कालिका सिंह : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की योजना के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि यह योजना कैसे चल रही है ; और

(ग) इस अध्ययन का स्वरूप क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** (क) पंचायती राज (लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण) योजना आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, आसाम, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा में लागू की गयी है । मध्य प्रदेश में राज्य विधान मण्डल के समक्ष आवश्यक विधान है । पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद् अधिनियम हाल ही में पास किया गया है । उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियां और जिला परिषद् विधेयक विधान परिषद् के समक्ष है । गुजरात में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है । बिहार में भी शीघ्र ही विधान बनाने की संभावना है ।

(ख) और (ग). सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है ।

टेलीफोन निर्माण कारखाना

†*८३७. **श्री उस्मान अली खां :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में टेलीफोन निर्माण करने का एक और कारखाना खोलने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). जी, हां । यह प्रस्थापना अभी प्राथमिक प्रक्रम पर है और उस की योजना आयोग के परामर्श से जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

2334(Ai)LSD—3.

"कोटिशः व्यक्तियों के लिये भोजन"

†*८३८. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से भारत में "कोटिशः व्यक्तियों के लिये भोजन सम्बन्धी भारतीय सन्था"[1] नामक एक संगठन की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संगठन को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(ग) क्या सरकार का इस संगठन पर कोई नियंत्रण होगा ; और

(घ) इस संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इस संस्था पर सरकार का कोई विशेष नियंत्रण नहीं है सिवाय इसके कि यह देखने के लिये कि अनुदान उसी कार्य पर खर्च होता है, जिसके लिये यह मंजूर किया गया है, संस्था को सरकार से सहाय्य-अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों पर लागू शर्तों के अनुसार कार्य करना पड़ता है ।

(घ) इस संस्था का उद्देश्य रक्षित खाद्य पदार्थों का निःशुल्क अथवा अंशतः निशुल्क वितरण, प्रदर्शन आदि करके इसका प्रचार करना है ताकि देश में इनकी अधिक खपत हो ।

गाड़ियों में सिगरेट पीने वालों और न पीने वालों के लिये डिब्बे

†*८३९. **श्री तंगामणि :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के समान भारत में भी एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों में सिगरेट पीने वालों और सिगरेट न पीने वालों के लिये अलग-अलग डिब्बों की व्यवस्था करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह प्रस्थापना व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण छोड़ दी गई है । गाड़ी में सिगरेट पीने वालों/सिगरेट न पीने वालों की सही संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता । गाड़ियो में उपलब्ध सीमित स्थान में या तो सिगरेट पीने वालों को या सिगरेट न पीने वालों को पर्याप्त स्थान से वंचित रखना पड़ेगा ।

सह-यात्रियों की सहमति बिना गाड़ियों में सिगरेट न पीने के लिये कानूनी व्यवस्था मौजूद है । इस आशय के नोटिस सभी यात्री गाड़ियों में डिब्बों में भी प्रदर्शित किये गये हैं।

रेलवे कर्मचारी के आश्रित पिता के लिये निःशुल्क पास

†*८४०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि यद्यपि रेलवे के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारी के बूढ़े आश्रित पिता को परिवार का अनुसूचित सदस्य माना गया है, तथापि उसे निःशुल्क पास में, जिसकी सुविधा कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त है, शामिल नहीं किया जाता ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Meals for Millions Association of India.

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : वर्तमान पास नियमों के अधीन पिता को रेलवे कर्मचारी को दिये गये पासों/रियायती टिकटों में शामिल नहीं किया जा सकता। रेलवे नियमों में 'परिवार' शब्द की कई तरीके से परिभाषा की गई है और प्रत्येक परिभाषा सम्बन्धित बातों के लिये बनायी गई है। पासों के जारी करने के बारे में परिवार की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसमें पिता शामिल नहीं है।

विवादों के निपटारे के लिये मध्यस्थ निर्णय

†*८४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन की सामान्य परिषद् द्वारा पास किया गया संकल्प मिला है जिसमें सभी विवादों को मध्यस्थ निर्णय द्वारा निपटाने के सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हा।

(ख) सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत करने और विवादों को निबटाने के लिये संयुक्त परामर्श के लिये एक नयी व्यवस्था बनाने का सामान्य प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

कच्चे पदार्थों और तैयार माल का लदान

†*८४२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को बार-बार इस बात पर बल दिया है कि वे अपने कच्चे पदार्थों और तैयार माल का लदान सप्ताह के सभी दिनों में करना शुरू करें;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका रवैया उत्साहजनक रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन उद्योगों के विरुद्ध, जो इसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि यह शत प्रतिशत से बहुत दूर है, कुछ हद तक उत्तर मिला है।

(ग) उद्योगों को इस बात पर बल दिया गया है कि यदि वे इतवार और छुट्टी वाले दिन लदान नहीं करते तो उससे उन दिनों में लदान का जो नुकसान होगा उसे आगे के दिनों में पूरा नहीं किया जायेगा। अन्य शब्दों में, उनका वर्तमान दैनिक लदान अभ्यांश जो ६ दिन के सप्ताह के आधार पर निर्धारित किया गया है, उसमें उस हिसाब से कमी कर दी जायेगी जिस हिसाब से उन्हें ७ दिन के कार्य के आधार पर अभ्यंश मिलेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जयपुर में योग अनुसन्धान-एवं-उपचार केन्द्र

†*८४३. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने जयपुर में एक योग अनुसन्धान-एवं-उपचार केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप और प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर में योगिक पद्धति के अधीन मधुमेह (डायबिटीज़) के उपचार में अनुसंधान कार्य करने के लिये ।

राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन

†*८४४. **श्री तंगामणि :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ९ दिसम्बर, १९६० को हुये राज्यों के सामुदायिक विकास मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; और

(ग) उनकी क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३**]

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†१५६०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ को उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामले विचाराधीन थे; और

(ख) वे मामले किस किस प्रकार के थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १५२ .

(ख) वे मामले निम्नलिखित वर्गों में सम्मिलित किये जा सकते हैं :—

(१) ज्ञात आय से अधिक धन का संग्रह ।
(२) रिशवत लेना ।
(३) धोखा देना ।
(४) सरकारी धन का गबन ।
(५) रिकार्डों में हेरफेर करना ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(६) पासों और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग ।

(७) रेलवे के सामान और श्रम का दुरुपयोग

(८) निर्धारित स्तर से कम स्तर के सामान और कार्यों को स्वीकार करना ।

(९) ठेकेदारों को अधिक सामान देना ।

रेल दुर्घटनायें

†१५६१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६० से अब तक सम्पूर्ण देश में (१) गाड़ियों के टकरा जाने, (२) पटरी से उतर जाने, (३) लेवल क्रासिग पर सड़क परिवहन से टकरा जाने और (४) गाड़ियों में अग्निकांड के कारण, जोनवार, कुल कितनी दुर्घटनाये हुई हैं ;

(ख) जोनवार कितने मामलों में व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और कुल कितने व्यक्ति हत तथा आहत हुए हैं ;

(ग) उन में से कितने कितने मामलों में दुर्घटनाओं का कारण यह था : (१) रेलवे कर्मचारियों का दोष, (२) रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों का दोष और, (३) रेलवे उपकरण की खराबी अर्थात् (क) मशीनी, (ख) रेल पथ सम्बन्धी (ग) विद्युत् सम्बन्धी, (घ) पटड़ी को तोड़ देने या खराब कर देने सम्बन्धी, (ङ) आकस्मिक कारण, (च) अज्ञात कारण, और (छ) न्यायाधीन कारण ;

(घ) जोनवार तथा वर्गकार कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है ;

(ङ) जोनवार रेलवे को कितनी हानि हुई है; और

(च) जोनवार रेलवे को कितना प्रतिकर अदा करना पड़ा है ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४]**

१९६०-६१ में फसल प्रतियोगितायें

†१५६२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ के मौसम में प्रमुख खाद्य तथा व्यापारिक फसलों के लिये कोई मुकाबले हुए थे ; और

(ख) विभिन्न राज्यों के प्रति एकड़ कितनी फसल प्राप्त हुई थी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) मौसम के समाप्त हो जाने के बाद ही फसलों के मुकाबलों के परिणाम भेजे जाते हैं। क्योंकि १९६०-६१ का मौसम अभी तक पूरा नहीं हुआ है । इसलिये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

क्षय रोग के लिये औषधि

†१५६३. **श्री नजंप्पा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किंग जार्ज एडवर्ड सप्तम आरोग्य शाला भोवाली, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट ने क्षय रोग के इलाज के लिये एक लाभदायक औषधि तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तजुरबों के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). उस सुपरिन्टेण्डेण्ट ने २५ रोगियों पर तीन मास के लिये इस औषधि का प्रयोग किया है । उस औषधि का, जिसका अभी तक नाम नहीं बताया गया है, कोई विशेष असर नहीं पड़ा है ।

महाराष्ट्र में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें

†१५६४. **श्री पांगरकर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में महाराष्ट्र राज्य में अभी तक कितनी बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनायें पूरी की जा चुकी हैं ; और

(ख) वे किस किस स्थान पर हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). अभी तक निम्नलिखित ७ मध्यम श्रेणी की परियोजनायें पूरी की गयी हैं :—

(१) बेन्दुसुरा परियोजना—मीर जिला

(२) खासापुर परियोजना—उस्मानाबाद जिला

(३) उरमोडी नदी पर वनधारा—सातारा जिला

(४) रानन्द टैंक—सातारा जिला

(५) पुष्पवती वनधारा—पूना जिला

(६) कामली परियोजना—मीर जिला

(७) तालबड़ परियोजना—मीर जिला

पानी की दरें

†१५६५. **श्री पांगरकर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पानी के दरों के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५]।

मध्य रेलवे में हड़तालियों का मुअत्तिल किया जाना

†१५६६. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीजन में गत हड़ताल के कारण कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और कितने अभी तक मुअत्तिल हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]।

बिलम्ब-शुल्क

†१५६७. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में कुल कितना विलम्ब शुल्क प्राप्त हुआ था; और

(ख) यह राशि १९५९ की राशि की तुलना में कैसी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध मे अलग रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तो भी १९५८-५९ और १९५९-६० में विलम्ब शुल्क और भरण तट शुल्क के इकट्ठे आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

१९५८-५९	४,३६,०२,७५२ रुपये
१९५९-६०	५,०८,८७,४६२ रुपये

राजस्थान में कुष्ट रोग

†१५६८. श्री कर्णी सिंह जी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में कुष्ट रोग की रोक थाम और इलाज के लिये राजस्थान राज्य को कितनी राशि दी गयी थी ; और

(ख) उक्त अवधि में राजस्थान के विभिन्न भागों में कितने केन्द्र गृह या और आरोग्यालय खोले गये थे ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

उड़ीसा सर्कल में अदत्त मनीआर्डर तथा बीमा किये हुये पार्सल

†१५६९. श्री कुम्भार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सर्कल में बहुत से मनीआर्डर और बीमा किये हुए पासल अभी तक अदत्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो फरवरी, १९६१ के अन्त तक ऐसी कितनी राशि थी जो अभी तक अदा नहीं की गयी है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटकों के लिये सर्किट हाउस

†१५७०. श्री न० म० देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व पर्यटकों के लिये नये सर्किट हाउस खोलने के सम्बन्ध में कोई योजना बनायी है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पर्यटक विकास परिषद् ने १९५८ में श्रीनगर में हुई प्रथम बैठक में अन्य सिफारिशों के साथ ही साथ यह भी सिफारिश की थी कि प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्रों के निकट के राज्य सरकारों के विश्राम गृहों और सर्किट हाउसों को पर्यटकों के लिये खोल दिया जाये और सारे के सारे विश्राम गृहों को और यदि संभव न हो तो विश्राम गृहों के कुछ भागों को 'पहले वालों को पहले' इस आधार पर आवंटित किया जाये । उक्त सिफारिश की ओर केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब तथा राजस्थान सरकारों और हिमाचल प्रदेश प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है और उनसे यह प्रार्थना कि गई है कि वे प्रसिद्ध पर्यटन स्थानों के निकट सर्किट हाउसों और विश्राम गृहों को पर्यटकों के लिये खोल दें।

मद्रास और केरल की राज्य सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । मैसूर और महाराष्ट्र सरकारें भी कुछ शर्तों के अधीन उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। उन शर्तों पर विचार किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने लिखा है कि उसे स्वीकार करना संभव नहीं है। उस सम्बन्ध में उन्हें और अधिक लिखा जा रहा है ।

पंजाब में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण

†१५७१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में 'चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण' के अधीन केन्द्र द्वारा चलायी गयी योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को अनुदान के रूप में कोई राशि दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). 'चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण' के अधीन पंजाब में केन्द्र द्वारा चलायी गयी योजनाओं के लिये १९६०–६१ के लिये अस्थायी रूप से ४.२९ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। शीघ्र ही यह राशि अदा कर दी जायेगी ।

पंजाब में पर्यटक सूचना केन्द्र

†१५७२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ;

(ख) इन केन्द्रों में किस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) प्रत्येक केन्द्र के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है और इन पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार किस अनुपात से वहन करेंगी ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १७]** ।

गुन्तकल और द्रोणाचलम स्टेशनों पर भिखारी

†**१५७३. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुन्तकल और द्रोणाचलम स्टेशनों पर यात्रियों को भिखारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ियों के पहुंचने के समय भिखारियों को प्लेटफार्म में दाखिल होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहवाज खां)** : (क) कुछ एक भिखारी गुन्तकल और द्रोणाचलम स्टेशनों दाखिल हो जाते हैं ।

(ख) गाड़ियों के समय पर स्टेशनों से भिखारियों को भगा देने के लिये विशष कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ।

खाद्यान्नों का पंजाब लाया जाना तथा पंजाब के बाहर भेजा जाना

†**१५७४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में रेलवे द्वारा पंजाब से कितना खाद्यान्न बाहर भेजा गया है और कितना खाद्यान्न पंजाब में लाया गया है ;

(ख) खाद्यान्नों के इस यातायात से रेलवे को भाड़े के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ग) इस यातायात के लिए कितने माल डिब्बे इस्तेमाल किए गए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६०-६१ में (फरवरी १९६१ तक) पंजाब से खाद्यान्नों के १८,०२६ बड़ी लाइन के तथा १३,६३६ मीटर लाइन के माल डिब्बे भेजे गए थे और पंजाब को खाद्यान्नों के २,०२८ बड़े लाइन के तथा ३३ मीटर लाइन के माल डिब्बे लाए गए थे ।

(ख) खाद्यान्नों के इस यातायात से भाड़े के रूप में प्राप्त राशियों का व्यौरा निम्नलिखित है ;

पंजाब से	२,३९,१५,०७९ रुपये
पंजाब को	१३,८९,४८३ रुपये

(ग) इस प्रश्न का उत्तर भाग (क) के उत्तर में ही सम्मिलित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धि

†१५७५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ फरवरी १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के बाद पौष्टिक भोजन पदार्थों अर्थात (१) दूध, (२) अण्डे, (३) मछली और (४) मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) किन-किन राज्यों में उक्त पदार्थों के सम्बन्ध में विशेषरूप से वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धि बताई गई है । राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८**]

बतखों का उत्पादन

†१५७६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बतखों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की तुलना में १९६० में बतखों के अण्डों की कितनी संख्या उपलब्ध थी ; और

(ग) मुर्गी के अण्डे की तुलना में बतख के अण्डे में पौष्टिक पदार्थ कितना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५९–६० में आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, पश्चिमी बंगाल, जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को १८ बतख पालन केन्द्र आवण्टित किए गए थे । प्रत्येक केन्द्र में १०० बतखों के पालन की व्यवस्था है । तृतीय पंच वर्षीय योजना में दो प्रादेशिक बतख पालन फार्म और १५ बतख विस्तार केन्द्र स्थापित करने का विचार है आशा है कि इन सभी केन्द्रों में लगभग ८ लाख अण्डे और २ लाख बतखों का प्रति वर्ष उत्पादन किया जा सकेगा ।

(ख) १९५६ की पशु गणना के आधार पर लगभग २२८९.६ लाख अण्डों का उत्पादन होता था । उसके बाद अभी तक और कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) मुर्गी के अण्डों में प्रति १०० ग्राम की १६३ केलरियां हैं और बतख के अण्डों में १८९ कैलरियां होती हैं ।

सुपारी अनुसन्धान केन्द्र

†१५७७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालोड में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अधीन सुपारी अनुसन्धान केन्द्र में विभिन्न रोगों के सम्बन्ध में अनुसन्धान के उपयुक्त सामान नहीं है ;

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(ख) वहां पर अधिक शक्ति के कितने सूक्ष्म दर्शक यंत्र हैं ;

(ग) क्या उस केन्द्र के लिये कोई विद्युत सूक्ष्म दर्शक यंत्र भी संभरित किया गया है ;

(घ) वहां कितने माइकरोटोम्ज हैं ; और

(ङ) वहां पर इस समय कितने स्नातकोतर अनुसन्धानकर्ता अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं ;

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** (क) इस केन्द्र में इस के वर्तमान कार्य के लिये पर्याप्त उपकरण विद्यमान है ।

(ख) फिलहाल एक भी नहीं है । एक के लिये आर्डर दे दिये गये हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) केवल एक । एक और फ्रीजिंग माइक्रोटोम के लिये आर्डर दे दिया गया है ।

(ङ) एक ।

सुपारी अनुसन्धान केन्द्र

†**१५७८. श्री वें० प० नायर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के सुपारी अनुसन्धान केन्द्र पालोड पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ख) इस समय वहां कौन-कौन से विशेष अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ किये गये हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में कितने अनुसन्धानकर्ता कार्य कर रहे हैं और उनकी क्या-क्या योग्यतायें हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** (क) जनवरी, १९६१ के अन्त तक लगभग २ लाख रुपये ।

(ख) निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं :—

कृषि शास्त्र

१. नये, पुराने और मध्यम आयु के वृक्षों से प्राप्त बीजों से उगने वाले पौधों का मुकाबला ।

२. विभिन्न बीजों की स्थिति तथा बोने की गहरायी के सम्बन्ध में अध्ययन ।

३. कोंपलों के माध्यम का प्रमाणीकरण ।

४. बीजों का प्रजनन तथा पौधों के विकास पर धूप तथा छाया का तुलनात्मक असर, विशेषतया तेज धूप और कीड़ों के आक्रमण का असर ।

५. फसल के कटने के बाद उसकी देखभाल का असर और बीज बोने की अवधि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वनस्पति विज्ञान

१. सुपारी की देसी किस्मों तथा विदेशी किस्मों का संग्रह तथा संधारण ।

२. सुपारी की उत्पत्तियोग्य किस्मों का निर्धारण करने तथा बढ़िया किस्मों का चुनाव करने के लिये सुपारी के बागों का विस्तृत सर्वेक्षण करना ।

उस केन्द्र में चार प्रविधिक स्थान हैं । अफसर इनचार्ज विज्ञान के एम० ए० हैं । शेष तीन स्थान अभी हाल ही में खाली हुए हैं और उन्हें भरने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है ।

सुपारी अनुसन्धान केन्द्र में वातानुकूलन व्यवस्था

†१५७९. **श्री वें० प० नायार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपारी अनुसंधान केन्द्र, पालोड की किसी भी प्रयोगशाला में कोई वातानुकूलन व्यवस्था है; और

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर वाइरोलोजी के विस्तृत अध्ययन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

केरल में अनुसन्धान केन्द्र

†१५८०. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय केरल के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में (क) नारियल, (ख) सुपारी और (ग) काजू के सम्बन्ध में कौन कौन से अनुसंधान सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किये गये हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मत्स्य पालन

†१५८१. **श्री वें० प० नायर**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री मछली उत्पादन के सम्बन्ध में १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्यपालन के उत्पादन आंकड़े किस प्रकार भारत सरकार को प्राप्त होते हैं ;

(ख) क्या दूसरी पंच वर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा सूचित मत्स्यपालन के उत्पादन आंकड़ों सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) इन में से प्रत्येक वर्ष में मत्स्यपालन पर यदि कोई केन्द्रीय व्यय किया गया है; तो कितना ;

(घ) मछलियों की कौन सी महत्वपूर्ण किस्में थीं, जिन के अधिक उत्पाद के बारे में संबद्ध राज्य ने सूचना दी है ; और

(ङ) केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्रों तक राज्यों में मत्स्यपालन के उत्पादन सम्बन्धी सांख्यिकी एकत्रित करने का क्या तरीका है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो वें० कृष्णप्पा) : (क) मत्स्यपालन के उत्पादन आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं और भारत सरकार को दिये जाते हैं ।

(ख) से (घ) सांख्यिकी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) राज्य सरकारों तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्रों के मत्स्यपालन विभाग, तालाबों, जोहड़ों, जलाशयों आदि में मछलियों के वार्षिक उत्पादन और उनके विपणन तथा उस से होने वाले राजस्व के आंकड़ों से मछली उत्पादन के अनुमान तैयार करते हैं ।

कुक्कुटादि पक्षियों के लिये टीका

†१५८२. श्री वें० प० नायर: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रतिशत कुक्कुटादि को बीमारियों से रोकने के लिये टीका लगाया जाता है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : सब सरकारी कुक्कुट पालन केन्द्रों (पोल्ट्री फार्मस) तथा कुछ संगठित गैर सरकारी केन्द्रों (फार्म) के सब पक्षियों को प्रमुख बीमारियों से पूर्णतया बचाया जाता है। अखिल भारतीय आधार पर ग्राम्य क्षेत्रों में पक्षियों के सामूहिक रूप से टीका लगाने की कोई योजना या आन्दोलन नहीं है ।

कुक्कुटादि पक्षियों में सर्दी-जुकाम का रोग[1]

†१५८३. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस कुक्कुटादि पक्षियों में कितने पक्षी 'सर्दी-जुकाम' रोग से पीड़त हैं ;

(ख) इस बीमारी का हेतु कारण क्या है और यह कैसे एक पक्षी से दूसरे पक्षी में आती है ;

(ग) १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर में निर्दिष्ट शार्कलिविर और स्टैप्टो पैनिसिलिन से इलाज पर कितनी लागत आती है ; और

(घ) क्या यह महामारी पहले से मालूम है या हाल ही में इस का पता लगा है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें०कृष्णप्पा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कुक्कुटादि पालन केन्द्रों में मृत्युदर

†१५८४. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के कुक्कुटादि पालन केन्द्रों में मृत्यु दर अन्य देशों के केन्द्रों में मृत्यु दर की तुलना में कैसी है ; और

(ख) प्रादेशिक कुक्कुटादि पालन केन्द्र, बंगलौर में केवल १.२ प्रतिशत की तुलना में भारतीय शालिहोत्री अनुसंधान संस्था, इजतनगर में २४.१ प्रतिशत मृत्यु दर होने के क्या कारण हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा : (क) अमरीका के १९ कुक्कुटादिपालन केन्द्रों के क्रम रहित सवक्षण के अनुसार, पक्षियों की औसत वार्षिक मृत्यु दर २३.२ प्रतिशत (१०.७ प्रतिशत से ४९.३ प्रतिशत के बीच) है। इंग्लैंड में, पक्षियों की औसत वार्षिक मृत्यु दर २२ प्रतिशत बताई जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Coryza.

(ख) प्रादेशिक कुक्कुटादिपालन केन्द्र, बंगलौर, अभी हाल ही में आरम्भ किया है और इस समय वहां चूजों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश पड़ौसी राज्यों को दिये जाते हैं, जब वे एक दिन के हो जाते हैं। भारतीय शालिहोत्री अनुसंधान संस्था खुराक देने के बारे में व्यापक अनुसंधान और प्रयोग, पक्षियों को पालना तथा बीमारी नियंत्रण के काम में लगी हुई है। इस संस्था में किये गये प्रयोगों के दौरान इसे कम पौष्टिक तत्व वाली खुराक पर पक्षियों को खिलाना पड़ता है, प्रयोग के तौर पर बीमारी फैलाने वाली संक्रामक सामग्री का उपयोग करके उन पर विभिन्न टीकों के प्रभाव का प्रयोग करना पड़ता है। इन सब प्रयोगों के परिणामस्वरूप काफी मृत्युएं होती हैं।

कुक्कुटादि पक्षी

†१५८५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुक्कुट, बतखों और गिनी कुक्कुटों आदि पक्षियों का राज्यवार विवरण क्या है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने सब राज्यों में प्रादेशिक फार्म स्थापित किये हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केरल राज्य में अंडों का सर्वोतम उत्पादन होता है ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने कुक्कुटादिपालन के अग्रेतर विकास के लिये केरल को कोई वित्तिय दूसरी प्रकार की सहायता दी है, और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ग) कुक्कुटों, बतखों तथा अल्प पक्षियों की राज्यवार संख्या अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित आठवीं अखिल-भारतीय पशु-पक्षी गणना, १९५६ में उपलब्ध है। केरल कुक्कुटादि की संख्या की दृष्टि से आठवें दर्जे पर है।

(ख) राज्य कुक्कुटादि पालन केन्द्र आन्तरिक मांगों को पूरा करने के लिये अधिकांश राज्यों में पहले ही काम कर रहे हैं। दिल्ली, बंबई भुवनेश्वर, बंगलौर तथा कमलाही (शिमला) में ५ प्रादेशिक कुक्कुटादि पालन केन्द्र स्थापित करने का उद्देश्य तो 'फाउन्डेशन स्टाक' के रूप में प्रयुक्त किये जाने योग्य, ऊंची नस्ल के एक दिन के चूजों का उत्पादन करना, उन्हें दूसरे प्रदेश की जलवायु सहन करने योग्य बनाना तथा प्रदेश के अन्य राज्य कुक्कुटादि पालन केन्द्रों को उन का संभरण करना है।

(घ) ६.६ लाख रुपये की राशि दूसरी योजना के अन्तर्गत २१ कुक्कुटादि विकास एवं विस्तार केन्द्र स्थापित करने के लिये केरल सरकार को आवंटित की गई थी। इन में से १७ केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

सुपारी वृक्षों की बीमारियां

†१५८६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपारी वृक्षों की बीमारियों से कौन से राज्य अधिक प्रभावित हैं ;

(ख) अब तक बीमारी के द्वारा हानि की मात्रा का अनुमान क्यों नहीं लगाया गया ; और

(ग) एक प्रति शत बौरडि ओक्स मिक्सचर छिड़कने की मात्रा क्या है ; (वर्ष भर में कितने वृक्षों पर छिड़का जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) केरल, मैसूर, महाराष्ट्र, मद्रास, पश्चिम ाल और आसाम ।

(ख) और (ग). सूचना संबद्ध राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर भा पटल पर रख दी जायगी ।

नारियल की फसल को हानि

†१५८७. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जड़ों और पत्तों की बीमारियों के कारण देश में नारियल की फसल को कितनी हानि होने का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) इस बीमारी को रोकने के लिये कितनी देर से अनुसंधान किया जा रहा है ;

(ग) (१) बीमारी को फैलाने से रोकने, और (२) रोग प्रभावित वृक्षों का इलाज करने की दिशा में क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) यह बीमारी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक कैसे जाती है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नारियल वृक्ष में बीमारी

†१५८८. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री नारियल की बीमारियों के संबंध में १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने नारियल वृक्षों के पत्तों और जड़ों की बीमारी को जानने के लिये कब पहले कार्रवाई की; और

(ख) पहली पंच वर्षीय योजना के पहले वर्ष से १९६०–६१ तक इस बीमारी के कारण कितने रुपये की हानि हुई है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नारियल के पत्तों और जड़ की बीमारियों का अनुसंधान

†१५८९ श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नारियल वृक्षों के पत्तों और जड़ की बीमारियों के अनुसन्धान में मार्ग दर्शन करने के लिये किन्हीं विदेशी वैज्ञानिकों की सहायता मांगी है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) १९५० की तुलना में केरल में इस बीमारी से कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) अनुसंधान में मार्ग दर्शन करने के लिये कोई विदेशी वैज्ञानिक नहीं बुलाया गया है किन्तु जो अनुसंधान किया जा रहा है उसके बारे में बहुत से विदेशी वैज्ञानिकों के विचार उपलब्ध हैं ।

(ख) १९५९ में लगभग १ लाख एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ था । १९५० वर्ष से संबंधित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नारियल की प्रति एकड़ उपज

†१५९०. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७--४९ के तत्सयानी आंकड़ो की तुलना में १९५७–५८ में २७५० नारियलों की औसत प्रति एकड़ उपज कितनी रही है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कीड़ों आदि का नियंत्रण

†१५९१. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर के भाग (ख) के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीड़ों आदि के नियंत्रण के लिये परजीवी कृमि पालने के लिये कितने केन्द्र स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि इन स्टेशनों को कोई विशिष्ट कार्यक्रम सौंपा गया है तो वह क्या है और कीड़ों के रोगाणु नियंत्रण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या भारत सरकार यह विचार करती है कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में किये गये बढ़े हुए उत्पादन के आंकड़े केवल मात्र उन उपायों के कारण हैं जो भारत सरकार ने किये हैं अथवा क्या किसानों ने उत्पादन बढ़ाने के लिये इन के अतिरिक्त और भी कोई उपाय किये थे ; और

(घ) क्या भारत सरकार के पास नारियल की अधिक खेती का कोई अनुमान है जिसने १९५६–५७ और १९५७–५८ में उपज आरंभ कर दी थी ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केलों का उत्पादन

†१९५२. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केलों के अनुमानित उत्पादन के १८.७३ लाख टन के आंकड़े प्रत्येक राज्य द्वारा दिये गये आंकड़ों के आधार पर बनाये गये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार १९५८–५९ वर्ष के लिये प्रत्येक राज्य में उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को विदित है कि केरल में बहुत सी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक किस्में हैं और केवल दो किस्में ही नहीं हैं, जिनका उल्लेख किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) ये आंकड़े इस मंत्रालय के अर्थशास्त्र और सांख्यकी निदेशालय द्वारा विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं। १९५८–५९ में सब किस्मों के केलों का राज्यवार उत्पादन बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ख) केरल में बोये गये केले की दूसरी वाणिज्यिक किस्में हैं ; पलायम कोडन या मैसूरी पूवन, कदाली, पूवन, मोथन, पदाली, रसकदली, कघा पजहम, मालमपुवन, वेयन, कान्नन, चिंगन, मालन और कुम्भील्लाकालन्तन ।

सुअरों का उत्पादन

†**१५९३. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मांस के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले अन्य पशुओं की तुलना में सुअरों की बहुप्रज वृद्धि की दृष्टि से, सरकार ने इस ढंग से सुअरों का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना बनाई है कि खुराक के प्रति व्यक्ति उपयोग की कमी को काफी घटाया जा सके ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय सुअर विकास योजना चलाई है जिस का उद्देश्य कुछ चुने हुए विकास खण्डों में अभिजनन पशुओं का उत्पादन और वृद्धि करना तथा स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधारना है। एक प्रादेशिक सुअर अभिजनन केन्द्र १३ सुअर अभिजनन इकाइयां एवं २७ सुअर विकास खण्ड योजना के क्रमशः २, १० और ५१ लक्ष्यों में से इस स्कीम के अन्दर खोले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, प्रारूप तृतीय पंचवर्षीय योजना में दो प्रादेशिक सुअर अभिजनन केन्द्र, १० इकाइयां और १५४ विकास खंड खोलने का उपबंध है। दूसरी और तीसरी योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित या प्रस्तावित प्रत्येक प्रादेशिक केन्द्र में भून कर नमक डाले हुए सुअर के मांस की एक फैक्टरी स्थापित की जाएगी और वह शूकर मांस तथा शूकर मांस उत्पादकों के उत्पादन के लिये उत्तरदायी होगी।

सुअर पालन उद्योग

†**१५९४. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में तीसरी योजना के लिये सुअर पालन उद्योग के उत्पादों के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है ; और

(ख) क्या तीसरी योजना में आयात किये गये किस्मों के सुअर के बच्चों के वितरण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और यदि हां, तो 'मिडिल यार्क शायर', 'लार्ज व्हाइट यार्क शायर' तथा 'बर्क शायर' के लिये वह लक्ष्य क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) इस विषय में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। दूसरी और तीसरी योजनाओं में जोर चुने हुए विकास खण्डों

†मूल अंग्रेजी में

में बढ़िया किस्म के सुअरों के उत्पादन तथा उनकी वृद्धि पर दिया गया है। दूसरी योजना में स्थापित तथा तीसरी योजना में प्रस्तावित सुअर के चुने मांस को नमक लगाने की तीन फैक्टरियां, जो प्रादेशिक सुअर अभिजनन केन्द्रों के साथ होंगी, सुअर के मांस तथा सुअर मांस उत्पादों के उत्पादन के लिये अभिजनन के लिये अयोग्य फालतू पशुओं का उपयोग करेंगी। अनुमान है कि जब वे बेकन फैक्टरियां पूरी तरह चलेंगी, तो उन में से प्रत्येक में लगभग ३ लाख रुपये वार्षिक का शूकर मांस एवं शूकर मांस उत्पाद होंगे।

(ख) अखिल भारतीय सुअर पालन विकास योजना के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक प्रादेशिक केन्द्र में कि २०० शुद्ध नस्ल के मिडल व्हाइट यार्क शायर अभिजनन सुअरियां होंगी और वे प्रदेश में देशी सुअरों की नस्ल सुधारने के लिये प्रतिवर्ष १००० नस्ली सुअरों का संभरण करेंगे। इस के अतिरिक्त, सम्बद्ध राज्यों के अन्दर सुअर पालन विकास खण्डों में विस्तार कार्य के हेतु २३ वर्तमान/प्रस्तावित सुअर अभिजनन इकाइयों में लगभग ३००० सुअरों का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जायेगा।

सुअर के मांस का उत्पादन

†१५९५. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सुअर के मांस का उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र का विचार किया है और यदि हां, तो क्या तीसरी योजना में इस के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है ; और

(ख) १९४९ से ले कर सुअर के मांस की उपलब्धि का पता करने के लिये सर्वेक्षण न कराने का यदि कोई कारण है, तो क्या ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जैसा कि आज के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९४ के उत्तर में कहा गया है, तीसरी योजना में सुअर के मांस उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित चार बेकन फैक्टरियों में से प्रत्येक में लगभग ३ लाख रुपये वार्षिक का सुअर का मांस और सुअर के मांस-उत्पाद उत्पादित किये जाने की आशा है।

(ख) वस्तुओं का अखिल भारतीय सर्वेक्षण विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा एक क्रमबद्ध व कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है, जो सामग्री के महत्व तथा सर्वेक्षण करने के लिये साधनों की उपलब्धि पर निर्भर होता है।

गाय के मांस का उपभोग

†१५९६. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९ के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की यह नीति है कि देश में गाय के मांस का उपभोग न बढ़ाया जाये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गाय तथा भैंस के मांस की तुलना में भेड़ और बकरी के मांस का कुल वार्षिक उपभोग कितना है ; और

(ग) किन राज्यों में गाय के मांस का बड़ी मात्रा में उपभोग किया जाता है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) भारत सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप न करने, राज्य विधान मंडलों के क्षेत्राधिकार के अधीन ढोरों और भैंसों के वध को बन्द करने की विधि बनाने की नीति अपनाई है।

(ख) विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा १९५५ में मांस के विपणन सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में मांस का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है :

	टनों में मात्रा
गाय का मांस	९५,८४७.०
भैंस का मांस	७३,९७६.७
भेड़ का मांस	१,१२,१५०.०
बकरी का मांस	१,५५,६३८.३

(ग) इसी सूत्र के अनुसार प्रमुख रूप से गाय का मांस उत्पादन करने वाले राज्य हैं मद्रास, जहां कुल उत्पादन का ३४.१ प्रतिशत होता है, बम्बई (१७.३ प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (१५.५ प्रतिशत) और बिहार (१४.२ प्रतिशत)।

पपीते का उत्पादन

†**१५९७. श्री वें० प० नायर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अधीन कौन सा संगठन पपीते के उत्पादन के सालाना अनुमान तैयार करता है ;

(ख) यह अनुमान किस प्रकार तैयार किये जाते हैं ;

(ग) क्या राज्य फलों के उत्पादन की मात्रा बताते हैं और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में १९५७-५८ और १९५८-५९ में पपीते का कितना उत्पादन हुआ ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने पपीते के फलों से तैयार की हुई वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की संभावना का पता लगाया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजे गये आंकड़ों के आधार पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अर्थशास्त्र तथा अंक संकलन निदेशालय देश में पपीते के उत्पादन के वार्षिक अनुमान तैयार करता है।

(ख) पपीते के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये राज्य सरकार साधारणतया परंपरागत ढंग अपनाती है जिस से क्षेत्रफल और प्रति एकड़ पैदावार के अनुसार सामान्य उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पपीते की फसल एक छोटी फसल है और इस फसल के क्षेत्र और उत्पादन के तदर्थ अनुमान विभिन्न राज्यों से अर्थशास्त्र तथा अंक संकलन निदेशालय वार्षिक आधार पर इकट्ठे करना है। १९५७-५८ और १९५८-५९ में प्रत्येक राज्य में पपीते का उत्पादन बताने वाला विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २०].

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आयात की गयी चिड़ियां

†१५९८. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री य१६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाग (क) के उत्तर में जिन कुछ हजार चिड़ियों का उल्लेख है उन का आयात कब किया गया था ;

(ख) उत्तर के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित, आयात किये गये चूजों की नस्ल के संबंध में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होने में कितना समय लगा ; और

(ग) उस नस्ल की कितनी चिड़ियों से परिणाम निकाला गया और उस नस्ल की चिड़ियों का औसतन कितने समय तक प्रयोग के तौर पर पालन किया गया ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) अक्तूबर, १९६० में।

(ख) १० हफ्ते तक पालने के बाद लगभग २०० चूजे भोजन के लायक तैयार हुए।

टेपीओका

†१५९९. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री टेपीओका के बारे में १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के साथ संलग्न विवरण २ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में जिन १०,००० पौद का वितरण किया गया पिछली फसल के मौसम में उन से कितने पौधे तैयार किये गये ;

(ख) १०,००० पौद के वितरण के कारण एम १, एम ५ और एम ६ के सम्भवतः कितने पौधे अब तैयार हो रहे हैं; और

(ग) उनका वितरण किस तरह किया गया ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

टेपीओका

†१६००. श्री वें० पं० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री टेपीओका के बारे में १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवरण २ में उल्लिखित केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में केरल में किन विशिष्ट योजनाओं अथवा अनुसन्धान कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है और उनमें से प्रत्येक में क्या परिणाम निकला ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन जगहों और संस्थाओं में इन योजनाओं और कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है;

(ग) वनस्पति शास्त्र तथा कृषि के कितने स्नातकोत्तर छात्र इन योजनाओं और अनुसन्धान कार्यक्रमों के सम्बन्ध में काम कर रहे हैं; और

(घ) विवरण ३ के जरिये क्या हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धन परिषद् से वित्तीय सहायता से केरल में केवल "टेपीओका तथा अन्य ट्यूबर फसल के बारे में अनुसन्धान की योजना" पर ही काम किया जा रहा है। इस योजना के लिये १९५१ में मंजूरी दी गयी थी और अभी तक प्राप्त परिणाम १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के साथ संलग्न विवरण में पहले ही बताये जा चुके हैं ।

(ख) उपर्युक्त योजना पर त्रिवेन्द्रम में टेपीओका अनुसन्धान केन्द्र में काम किया जा रहा है।

(ग) केरल सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) राज्य सरकारें।

आन्ध्र प्रदेश में भद्रचलम् पुल

†१६०१. श्री रामी रेड्डी : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में भद्रचलम पुल बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना के लिये हाई टेन्साइल स्टील वायर और शीथिंग सामग्री के लिए कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा दी गयी है ;

(घ) क्या उपर्युक्त इस्पात न मिलने के कारण पुल के निर्माण में प्रगति धीमी पड़ गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ; और एक विवरण यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

पंचादन विभाग आदि में अनुसूचित जातियों के लिए संरक्षण

†१६०२. श्री कुंभार : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के सामुदायिक विकास, सहकारिता और ग्राम पंचायत विभाग में सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे गये हैं;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस विभाग में प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं; और

(घ) उनमें अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). उड़ीसा सरकार से जानकारी मांगी गयी है और वह प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में रबी की फसल का नुकसान

†१६०३. { **श्री कुंभार:**
श्री वें० च० मलिक: }

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के कई जिलों में अभी हाल की वर्षा और ओलों से वहां रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान है ;

(ग) क्या कोई मनुष्य और घरेलू जानवर भी मर गये हैं;

(घ) यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) अगली फसलों की खेती के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क)से (घ). राज्य में साप्ताहिक मौसम और फसलों की स्थिति सम्बन्धी रिपोर्टों में जैसा बताया गया है कि अभी हाल की वर्षा या ओलों से उड़ीसा के कटक, पुरी और ढेन्कानल जिलों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। बेमौसमी बारिश या तूफान के कारण फसलों को या पशुओं और मनुष्यों को जो नुकसान पहुंचा है उसके परिणाम के अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

नगर आयोजन

†१६०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर आयोजन तथा संपूर्ण भूमि पर सरकारी नियंत्रण के लिये विकास प्राधिकार स्थापित करने के लिये दक्षिण एशिया में नये और तेजी से बढ़ते हुए नगरों के लोक प्रशासन की समस्याओं के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित गोष्ठी ने जो सिफारिशें की हैं क्या उन पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सरकार को अभी तक कोई सिफारिशें नहीं मिली हैं । यदि कोई सिफारिशें सरकार के पास भेजी जायेंगी, तो यथासमय इस विषय की छानबीन की जायगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

खाद्य उत्पादन के लक्ष्य

†१६०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संरक्षणात्मक तथा अनुपूरक खाद्य पर उचित बल के साथ खाद्य उत्पादन के लक्ष्य तय किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं । तीसरी योजना के लिये अस्थायी लक्ष्य योजना आयोग ने तीसरी योजना की रूपरेखा के प्रारूप में बताये हैं । योजना आयोग ने अभी हाल में राज्यों के साथ जो चर्चा की है उसे ध्यान में रखते हुए उनमें कुछ परिवर्तन किया जायेगा । अंतिम लक्ष्य और तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर योजना आयोग अभी विचार कर रहा है । अनुमान है कि योजना आयोग तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूरी रिपोर्ट में जो वह अभी निकालने जा रहा है, उनका उल्लेख करेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अधिक बड़ा आर० एम० एस० डिविजन

†१६०६. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न १९९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक बड़े आर० एम० एस० डिविजन, जो ऊंचे वेतन क्रम के पदाधिकारियों के अधिकार में हों, बनाने की योजना के बारे में छानबीन कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख). अभी इस विषय पर विचार हो रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का विकास

†१६०७. श्री उस्मान अली खां : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति ने आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के विकास के लिये सिफारिशें की हैं .

(ख) उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या राय है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) (१) तम्बाकू पैदा करने वालों को वित्तीय सहायता,
(२) कीट नाशक पदार्थों के रूप में राज सहायता देना,
(३) आन्ध्र प्रदेश में सात तम्बाकू विकास एकक स्थापित करना ;

(ग) पहली दो सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । तीसरी के सम्बन्ध में, राज्य में चार तम्बाकू विकास एकक स्थापित करने का आन्ध्र प्रदेश सरकार का विचार है ।

तीसरी योजना में बन्दरगाहों का विकास

†१६०८. { **श्री कोडियान:**
श्री वारियर:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में बड़े बन्दरगाहों के विकास के लिये कुल कितनी रकम रखी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसमें से कितनी रकम कोचीन बन्दरगाह के लिये है; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कोचीन के लिये जो विकास-कार्य संभवत: किया जायेगा उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)**: (क) ७५ करोड़ रुपया ।

(ख) ३०२.२५ लाख रुपया

(ग) सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २१]**

संघ राज्य क्षेत्रों में खेती योग्य परती जमीन

†१६०९. { **श्री कोडियान**:
श्री वारियर:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों में कुल कितने एकड़ खेती योग्य परती जमीन पड़ी हुई है ;

(ख) क्या इसमें से कुछ जमीन भूमिहीन मजदूरों को खेती के लिये दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ;

(घ) परती जमीन बांटने से कितने परिवारों को फायदा पहुंचा है ;

(ङ) क्या जमीन के साथ साथ वित्तीय सहायता भी दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में कुल कितना खर्च किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (च). जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]**

केरल के गांवों में बिजली लगाना

†१६१०. { **श्री कोडियान**:
श्री वारियर:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य के गांवों में बिजली लगाने के लिये केरल सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी ;

(ख) अब तक कितनी सहायता दी गई; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में गावों में बिजली लगाने की योजना कार्यान्वित करने की दिशा में वहां क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**. (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन साल में, गावों में बिजली लगाने की योजनाओं के लिये कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी । खास कर गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय ऋण सहायता देने की योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों अर्थात् १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये चालू की गई थी। १९५९–६० में केरल सरकार को इस योजना के अधीन कोई ऋण नहीं दिया गया था। न ही वर्ष १९६०–६१ के लिये इस संबंध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है। गांवों में बिजली लगाने की कुछ योजनाओं के लिये राज्य सरकारों ने विविध विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रतिवर्ष प्राप्त ऋण सहायता से पत्र धन दिया था।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में, सितम्बर, १९६० तक ९९३ गांवों में बिजली लगायी जा चुकी थी।

हिमाचल प्रदेश में कार्प मछली

१६११. श्री पद्म देवः क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में हिमाचल प्रदेश में कार्प मछली के प्रचार और प्रसार के लिये कौन-कौन से उपाय किये गये हैं; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) १२५ एकड़ क्षेत्र में प्रदेश के बन्द पानी में मिर्रर कार्प मछली को रखा गया है; इसकी संख्या को बढ़ाने के लिये विविध प्रजनन केन्द्रों की स्थापना की गई है जहां से और अधिक प्रचार के लिये प्रतिवर्ष ३०,००० फिंगर लिंग्स को पैदा किया जाता है। देओली में जो बिलासपुर ज़िले में है, मिर्रर कार्प का एक बड़ा प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता १५ लाख फिंगरलिंग्स प्रति वर्ष उत्पन्न करने की है, इनको ३६,००० एकड़ क्षेत्र में संचित किया जाता है।

(ख) अभी तक के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हैं। मिर्रर कार्प की हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक नींव डल चुकी है जहां पर यह बहुत अच्छी तरह से संबर्धित हो रही है।

पर्यटन

१६१२. श्री पद्म देवः क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की केन्द्रीय पर्यटक यातायात सलाहकार समिति ने पर्यटन बढ़ाने के लिये वर्ष, १९६० में क्या कार्य किया है; और

(ख) इस समिति के वर्ष, १९६०–६१ के व्यय का ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) मांगी गई सूचना से सम्बन्धित विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]**

हिमाचल प्रदेश में नहरें

१६१३. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के जिला महासु की रोढू तहसील के करासा, रणोल तथा गण्डानावर की कूलों की जांच पूर्ण हो चुकी है, और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ;

(ख) क्या ये कूलें चालू हैं या बेकार पड़ी हुई हैं ;

(ग) इन कूलों पर कितना धन व्यय किया गया ; और

(घ) धन के अपव्यय के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा): (क) से (घ). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही हाउस की टेबल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†१९१४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नयी दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन, वर्ग २, वर्ग ३ और वर्ग ४ के कर्मचारियों की तुलना में वर्ग १ पदाधिकारी रोगी पर औसतन कितना खर्च आता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: दिल्ली और नयी दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन वर्ग १, २, ३ और ४ के कर्मचारियों के इलाज पर किये गये खर्च का अलग-अलग हिसाब नहीं रखा जाता। इस लिये आवश्यक जानकारी इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

मछली का निर्यात

†१९१५. **श्री वें० प० नायर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रॉन तथा तैयार मछलियों के निर्यात के लिये क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं और इन निर्यात के बदले में कौन सी वस्तुओं के आयात के लिये अनुमति दी जाती है

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: प्रॉन और तैयार मछलियों का निर्यात करने वालों के लिये आवश्यक वस्तुओं का आयात पैक किये हुए समुद्री-खाद्य और मेंढक के पैरों के लिये विशेष निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत किया जाता है। इस योजना के अधीन पैक किये हुए समुद्री खाद्य रजिस्टर्ड निर्यातकों को डिब्बों में बन्द श्रिम्प को पैक करने के लिये फाइबर बोर्ड के डिब्बों, जमायी हुई श्रिम्प के लिये डिब्बों, लेबल और सेलोफेन कागज जैसी चीजों के आयात की अनुमति दी जाती है। इस योजना के अधीन समुद्री जहाजों के डीजल इंजनों का आयात भी किया जाता है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†१९१६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लिये इमारतें आदि बनाने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अनुमानों की जांच करता है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसे निर्माण कार्य के लिये सस्ती से सस्ती शर्तें प्राप्त करने और उसके लिये अधिक से अधिक प्रचार करने के लिये इस संस्था के प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) (१) विस्तृत अनुमान तैयार करना ।

(२) उपयुक्त अधिकारी द्वारा अनुमानों के लिये तकनीकी मंजूरी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) खुले टेन्डर मंगाना ।

(४) चुनी हुई फर्मों को काम देना ।

(ख) जी हां । उन विस्तृत ब्यौरों की, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की क्षमता से परे होते हैं, छानबीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग करता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) यह संस्था केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का तरीका अपनाती है । कई समाचार-पत्रों में प्रकाशन के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का काफी प्रचार किया जाता है ।

इलायची का उत्पादन

†१६१७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इलायची की खेती बढ़ाने के लिये कोई अनुसंधान तथा विकास योजनायें दूसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूर की गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की योजनायें थीं और इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी थी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां । केवल एक अनुसंधान योजना मंजूर की गयी थी ।

(ख) समुद्र तल से ३००० फुट की ऊंचाई पर कोरापुट जिले में पोटटंगी में आवर्तक व्यय आधा आधा बांट लेने की शर्त पर गोल मिर्च और इलायची के बारे में अनुसंधान की योजना थी । १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९६१ तक चार वर्ष की अवधि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का हिस्सा १२,१८० रुपये होगा ।

इस योजना का उद्देश्य यह है कि उड़ीसा राज्य में काली मिर्च और इलायची पैदा करने की संभावनाओं की जांच पड़ताल की जाये, खेती की उपयुक्त क्रियायें निर्धारित की जायें, न्यूनतम और खाद सम्बन्धी आवश्यकतायें मालूम की जायें और प्रत्येक फसल की अत्यधिक उपयुक्त किस्म निर्धारित की जाये ।

उड़ीसा में पर्यटन

†१६१८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) राज्य ने इस सम्बन्ध में कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]

---

†मूल अंग्रेजी में

फल परिरक्षण एकक

†१६१६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा मे छोटे पैमाने के फल परिरक्षण एकक जिनके लिये धन स्वीकार कर दिया गया था, अब स्थापित हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कहां पर तथा उनमें किस प्रकार के फलों का परिरक्षण किया जा रहा है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी हां ।

(ख) कटक में दो एकक तथा परलाकिमेडी (जिला गंजम) में एक और अंगुल (जिला ढकानाल) मे एक स्थापित किये गये हैं । कटक तथा परलाकिमेडी के एककों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है और अंगुल के एकक में शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । नारंगी, अनन्नास, नीबू, आम और टमाटरों का परिरक्षण किया जा रहा है ।

लाख

†१६२०. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादित लाख का उद्योगों में उपयोग करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस कार्य के लिये केन्द्र ने कितना धन व्यय किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) कार्यवाहियां इस प्रकार हैं :

१. भारतीय लाख गवेषणा संस्था में साफ की हुई लाख, चपड़ा, पानी में घुलने वाली लाख, और माउन्ट करने के लिये लाख का कपड़ा आदि लाख की वस्तुओं के निर्माण, विक्रय तथा प्रचार के लिये उत्पादन एकक की स्थापना ।

२. फरनीचर की पालिश का प्रचार करने के लिये दिल्ली में एक गैरसरकारी फरनीचर निर्माता के सहयोग से एक फ्रांसिसि पालिश एकक की स्थापना ।

३. समय समय पर लाख की प्रदर्शिनियां करना और व्यापार मेलों आदि में भाग लेना ।

४. लाख के उपभोक्ताओं से नियमित सम्पर्क बनाना और प्रचार साहित्य प्रकाशित करना ।

५. रेलवे डिब्बों में लगाने के लिये तथा लाख के द्वारा वस्तुएं बनाने के लिए लाख धोने के प्राइमर्स बनाने के लिये प्रयोग करना ।

(ख) प्रत्यक्षतः केन्द्रीय सरकार ने कोई धन व्यय नहीं किया है । लाख तथा लाख के टुकड़ों के आयात से प्राप्त कर में से भारतीय लाख उपकर समिति का प्रबन्ध चलता है और उस का वार्षिक व्यय २५,००० रुपये होता है ।

कोयना परियोजना

†१६२१. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की कमी के कारण कोयना परियोजना का काम पिछड़ गया है ; और

(ख) अब इस्पात के समय पर पर्याप्त संभरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी): (क) उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नई दिल्ली में बन्दरों का उत्पात

†१६२२. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के नार्थ तथा साउथ एवेन्यु में बन्दरों का उत्पात रोकने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका ने और क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) कितनी हवाई बन्दूकें खरीदी गई हैं और उनके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) दिल्ली नगरनिगम अथवा दिल्ली के अन्य अभिकरणों को बन्दर पकड़ने वाले कुशल व्यक्तियों को इस काम पर नहीं लगाया जा सका। इसके बाद नई दिल्ली नगरपालिका के म्यूनिसिपल सुपरवाइजर को मथुरा और आगरा भेजा गया जिससे बन्दर पकड़ने वाले कुशल व्यक्तियों से बातचीत करके, उन्हें बन्दर पकड़ने के काम पर दिल्ली में लगाया जाये।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने हवाई बन्दूकों के प्रयोग को अस्वीकार किया है क्योंकि इस से बन्दर स्थायी रूप में यहां से नहीं हटाये जा सकते हैं।

मोटरगाड़ियों पर करारोपण

†१६२३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी प्रकार की मोटरगाड़ियों पर एक ही प्रकार का करारोपण निश्चित करने की समान नीति बनाने के प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली मोटरगाड़ियों पर करारोपण के बारे में एक समान नीति रखने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों को बाध्य करने के प्रयत्न किए हैं। मोटरगाड़ियों पर करारोपण राज्यों का विषय है इसलिये एक ही प्रकार के करारोपण की नीति स्वीकार करने में राज्य सरकारों को कुछ समय लगेगा।

न्यायाधीश शंकर शरण न्यायाधिकरण पंचाट

†१६२४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश शंकर शरण न्यायाधिकरण के पंचाट को स्वीकार करने के मामले में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार का है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). न्यायाधिकरण की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूगोस्लाविया से जहाज

†१६२५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूगोस्लाव सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है कि वह रुपये के आधार पर १०० लाख डालर के जहाज भारत के लिये बनाने को तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). भारतीय जहाज मालिक मामले पर विचार कर रहे हैं।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

१६२६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोनों की कितनी मांग है; और

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) १ फरवरी, १९६१ तक जिन टेलीफोन-संयोजनों के लिये आवेदन-पत्र रजिस्टर किये गये हैं उनकी संख्या २८७५० है ।

(ख) निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :--

१. १६८००, लाइनें लगाने की योजना पहले ही मंजूर की जा चुकी है और उसका कार्य प्रगति पर है ।

२. लगभग १२,००० लाइनें लगा कर मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार करने की योजनाओं को तीसरे योजना-काल में मंजूरी दी जाएगी।

३. नौ नये टेलीफोन केन्द्रों के लिये भवन बनाने तथा लगभग २५,००० लाइनों के लिये प्रारम्भिक उपस्कर लगाने की एक दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है तथा उनके सम्बन्ध में प्राथमिक कारवाई जैसे स्थानों का चुनाव और उन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था, इमारतों के नक्शे आदि तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ।

उत्तर प्रदेश में बी० सी० जी० आन्दोलन

†१६२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में जब ३६ प्रतिशत औसत रखा गया है तब मार्च, १९६० के अन्त तक भारत में बी० सी० जी० आन्दोलन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में केवल २१ प्रतिशत जनसंख्या का परीक्षण क्यों किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: दिसम्बर, १९६० तक उत्तर प्रदेश में २४.४ प्रतिशत जनसंख्या बी० सी० जी० आन्दोलन के अन्तर्गत आ चुकी थी। बी० सी० जी० आन्दोलन के लिये राज्य सरकार द्वारा कम दल लगाने के कारण यह प्रतिशतता कम रही।

---

†मूल अंग्रेजी में

किसानों का अराजनैतिक संगठन

१६२८. { श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों का कोई अराजनैतिक संगठन बनाने की बात सोच रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी नहीं। किसानों के कुछ अराजनैतिक संगठन जैसे भारत कृषक समाज, यंग फार्मरस एसोसियेशन और ग्रामीण महिला संघ पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

हीराकुद बांध परियोजना

†१६२९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अप्रैल, १९६० से पहले तथा बाद में हीराकुद बांध परियोजना की वर्कशाप डिवीजन, केन्द्रीय भांडार तथा परिवहन सब-डिवीजन पर बिना किसी लाभ के, २ लाख रुपये से अधिक प्रतिमास स्थापना व्यय किया गया है; और

(ख) इन खण्डों पर १९५१ से मार्च, १९६१ तक वर्षवार कितना धन व्यय हुआ है और कितना उत्पादन हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हीराकुद परियोजना

†१६३०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नहर प्रणाली के अतिरिक्त हीराकुद परियोजना के अधीन महानदी के दायें तथा बायें किनारों पर 'क्वैरी सब-डिवीज़न', मुख्य बांध के लिये अस्थायी तथा अर्द्ध-स्थायी भवनों के निर्माण पर कितना धन व्यय हुआ है।

(ख) हीराकुद परियोजना अधिकारियों ने अब तक कितने मूल्य के भवनों को गिरा दिया है ;

(ग) क्या स्थानीय बेघरबार के मजदूरों तथा ग्रामवासियों के प्रयोग के लिये इनको उनको देना संभव नहीं था ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हीराकुद परियोजना अधिकारियों के अनुसार हीराकुड तथा बुरला में अस्थाई तथा स्थाई १,९७,३६,८३० रुपये की धनराशि के भवन बनाये गये हैं। परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भवन बनाये गये थे और किसी विशेष डिवीजन अथवा सब-डिवीजन के लिये नहीं बनाये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुमानतः ६,४५,००० रुपये के भवन गिराये गये थे ।

(ग) जी नहीं। परियोजना के निर्माण का काम पूरा होने पर इन अस्थाई भवनों का जीवन समाप्त हो गया था और वह निवास योग्य नहीं रहे थे ।

हीराकुद में रहने के मकान

†१६३१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुद के कितने रहने के मकान तथा क्वार्टर भारतीय एलुमीनियम समवाय को दिए गए हैं ।

(ख) यदि हां, तो उनकी निर्माण लागत और विक्रय मूल्य में क्या अन्तर था ; और

(ग) क्या इन मकानों का उपयोग उन कार्यालयों के लिये, जो सम्बलपुर ले जाये गये हैं, तथा सम्बलपुर में रहने वाले कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की आवास कठिनाई दूर करने के लिये नहीं किया जा सकता था ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) हीराकुद बांध परियोजना अधिकारियों की सूचना के अनुसार भारतीय एलुमीनियम समवाय को विभिन्न प्रकार के ४३६ मकान तथा क्वार्टर दिए गये हैं :

(ख) भूमि समेत मकानों की लागत १५,७४,४०० रुपये थी। भूमि समेत मकान १५,२९,५६२ रुपये अर्थात् ४४,८३८ रुपये कम में अवक्षयण मूल्य पर बेचे गये थे ।

(ग) भारत सरकार के अन्य विभागों द्वारा आवास सुविधाओं के लिये अथवा कार्यालयों के लिये कोई मांग न मिलने पर यह मकान पांच वर्ष पहले भारतीय एलुमीनियम समवाय को बेचे गये थे ।

हीराकुद में फुटबाल का मैदान

†१६३२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुद परियोजना अधिकारी हीराकुद का सार्वजनिक फुटबाल मैदान और ड्रामा पंडाल भारतीय एलुमीनियम समवाय को बेचने का विचार कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार जानती है कि इससे स्थानीय जनता को बड़ी कठिनाई हो जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हीराकुद बांध

†१६३३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैडिकल कालिज बिल्डिंग डिवीजन को बुरला में बनाना इसलिये अस्वीकार किया गया है कि उत्तरी सिंचाई डिवीजन को मान्यता दी जाये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हीराकुद बांध अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य स्थानीय अधिकारियों के बीच कोई मतैक्य नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मत-विभिन्नता को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ऐसी कोई मान्यता नहीं दी गई है । केवल काम की सुविधा के लिये मैडिकल कालिज बिल्डिंग डिवीजन, जो लोक निर्माण विभाग के सड़क और भवन खंड के उत्तरी सर्किल के अधीन एक डिवीजन है, हीराकुद में बनाया गया है क्योंकि यह सर्किल का मुख्य कार्यालय है । इसी कारण से उत्तरी सिंचाई डिवीजन, जो हीराकुद बांध सर्किल के अधीन एक डिवीजन है, बुरला में बनाया गया है क्योंकि यह सर्किल का मुख्य कार्यालय है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हीराकुद बांध

†१६३४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुरला के मैडिकल कालिज के 'मास्टर प्लान' को ठीक करने के लिये हीराकुद बांध परियोजना के सड़क तथा भवन चीफ इंजीनियर की सिफारिशों के अधीन सरकार ने हीराकुद बांध परियोजना के एक ३०,००० रुपये अथवा उससे अधिक के मूल्य के स्थायी बंगले को गिराने की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) इस भवन को गिराने में कितनी धनराशि लगी है और इस स्थायी भवन को बनाये रखने में क्या कठिनाई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर

†१६३५. **श्री रामी रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर योजना के क्रम १ के निर्माण के लिये मैसूर सरकार द्वारा कोई प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के गुड़गांव जिले में पानी की पट्टी

†१६३६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के गड़गांव जिले में पानी की पट्टी का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना पानी है और इसको निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां। गुड़गांव जिले के देहिना–जैनाबाद, दारौली और शम्शपुर क्षेत्रों में ।

(ख) इन क्षेत्रों में गहरे ट्यूबवैल बनाये जा सकते हैं जिनसे १५०––२५० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके। पंजाब सरकार को यह सिफारिश की गई है कि देहिना–जैनाबाद तथा दारोली क्षेत्रों में प्रति घंटे २०,००० इम्पीरियल गैलन पानी निकालने वाले बड़े टयूब वैल लगा कर भूमिगत पानी निकाला जाये तथा शम्शपुर क्षेत्र में प्रति घंटे १०,००० इम्पीरियल गैलन पानी निकालने वाले मध्यम ट्यूब वैल लगाकर भूमिगत पानी निकाला जाये।

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र से चोरियां

†१६३७. **श्री आसर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र से लगातार चोरियां हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) समय-समय पर बम्बई बन्दरगाह पर चोरियों के मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) गोदियों के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। सावधानी के लिये अधिक दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं। इन दीवारों के ऊपर कांटेदार तार लगाये गये हैं। माल की चोरी बताने अथवा चोरों को गिरफ्तार करने में सहायता देने वाले पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों को नकद इनाम दिये जाते हैं। चौकीदारों की संख्या बढ़ाई गई है। अचानक जांच के लिये पोर्ट ट्रस्ट के पास चलता फिरता दल भी है। वहां पर वाच एंड वार्ड संगठन भी है। इसके अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर पुलिस के अधीन एक शक्तिशाली पुलिस दल भी बन्दरगाह पर है। जहां कहीं पर आवश्यकता हो वहां "लौकफास्ट" भी लगाये गये हैं। यह सुविधायें मुफ्त हैं और व्यापारियों से कहा गया है कि मूल्यवान माल के आने से पहले उसके आने की सूचना गोदी प्रबन्धक को दे दें जिससे उनकी सुरक्षा की जा सके। गोदियों में रोशनी अधिक की गई है। परमिट से ही गोदियों में जाया जा सकता है। वहां न उठाये गये माल को भंडार में रखने की पद्धति का पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे लाने, ले जाने वाले शैड में भीड़-भाड़ न हो ।

इसके अतिरिक्त गोदियों में चोरी की समस्या पर पोर्ट ट्रस्ट लगातार ध्यान दे रहा है। वरिष्ठ तथा अनुभवी पुलिस अधिकारियों की सहायता से वह अपने वाच एंड वार्ड विभाग का पुनर्गठन कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्त्रियां और पुरुष

†१६३८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि जन्म के समय बच्चों की मृत्यु संख्या कम हो जाने के साथ साथ भारत में सामान्यतः पुरुषों की संख्या बढ़ गई है और स्त्रियों की संख्या कम हो गई है ;

(ख) क्या इसकी कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ; और

(घ) स्त्रियों के कम अनुपात वाले क्षेत्रों में सामाजिक असमानता दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां। दस वार्षिक जनगणना प्रतिवेदनों में बताया गया है कि देश के कई भागों में धीरे धीरे स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है।

(ख) और (ग). स्त्रियों की संख्या कम होने के बारे में कई प्रतिवेदनों में विचार किया गया है। इसके बारे में अलग से स्वतंत्र रूप से भी विचार किया गया है परन्तु इसका जनस्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) स्त्रियों की जनसंख्या कम होने के कारणों का पता नहीं है। परन्तु कई जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यवाहियां की गई हैं जिससे माता और शिशुओं की मरने की संख्या कम हो जाये और स्त्रियों की अपंगता दूर हो जाये।

अण्डे के पाउडर के निर्माण के लिये संयंत्र

†१६३९. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में अंडे के पाउडर के निर्माण के लिये संयंत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). तीसरी योजना में अस्थाई रूप से शामिल करने के लिये प्रारम्भिक तौर पर अंडे का पाउडर बनाने के कारखाने को स्थापित करने की योजना बनाई गई है। परन्तु इसके ब्यौरों की जांच अभी होनी है। समय पर कारखाने की स्थापना के स्थान, वित्तीय अनुमान तथा अन्य प्रविधिक ब्यौरे बनाये जायेंगे।

टिड्डियों का आक्रमण

†१६४०. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह ज्ञात है कि अक्टूबर और नवम्बर १९६० में उड़ीसा राज्य पर टिड्डी दलों ने दो बार आक्रमण किये थे ; और

(ख) यदि हां, उनका सामना करने के लिये उड़ीसा सरकार को क्या सहायता दी गई थी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) हां, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पादप रक्षा निरोधा और संग्रह निदेशालय के दो वरिष्ठ प्रविधिक अधिकारियों ने कटक के केन्द्रीय पादप रक्षा केन्द्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर राज्य सरकार की उड़ीसा में टिड्डी नियंत्रण कार्य के संचालन में आवश्यक संख्या के हाथ के डस्टर्स, पावर स्प्रेयर्स और डस्टर्स और एक मोटरगाड़ी का संभरण करके सहायता की थी। भारत सरकार का एक विमान भी हवाई छिड़काव के लिये राज्य सरकार को उपलब्ध किया गया था परन्तु चूंकि टिड्डियां स्थल कार्यों से ही नष्ट हो गई थीं इसलिये उसे काम में नहीं लाया गया।

बोईपारीगुडा में बहुप्रयोजन आदिम जातीय खण्ड

†१६४१. **श्री संगण्णा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निखिल भारत सर्व सेवा समाज ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के कोरापट जिले में बोईपारीगुडा में एक गैरसरकारी बहु प्रयोजन आदिम जातीय खंड के लिये प्रार्थनापत्र दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

वनस्पति तेल

†१६४२. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वनस्पति तेल के गैर चिकनाई तेल संघटकों के नये प्रयोगों की दिशा में कोई गवेषणायें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गवेषणाओं के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) ऐसी गवेषणाओं द्वारा ऐसे संघटकों के किस प्रकार के प्रयोगों का पता चला है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) बिनौला, सरसों, तिल और चावल की भुसी के तेलों से फॉस्फेटाइड्स अलग किये गये हैं। फॉस्फेटाइड्स के निर्माण के लिये अग्रिम संयंत्र योजना शुरू करने का विचार किया जा रहा है।

(२) तिल के तेल से दो आर्गेनिक कम्पाउण्ड सिसेमिन और सिसेमोलिन प्राप्त हुये थे।

(ग) इन उत्पादों के प्रयोगों संबंधी कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। परन्तु फॉस्फेटाइड्स का खाद्य उद्योगों (चाकलेट, आइसक्रीम, बेकरी के सामान) औषधियों, पेंटों, प्रसाधन सामग्री आदि में प्रयोग होता है। सिसेमिन और सिसेमोलिन के बारे में यह मालूम हुआ है कि उन्हें कीटनाशक औषधि में मिला देने से उस औषधि का प्रभाव बढ़ जाता है यद्यपि वे स्वयं कीड़ों का नाश नहीं कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इम्फाल नगरपालिका द्वारा जोत-कर

†१६४३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित १० रुपये का जोत-कर एक याचिका लेख के परिणामस्वरूप मनीपुर के जुडीशल कमिश्नर के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नगरपालिका द्वारा किसी वैकल्पिक कर का प्रस्ताव किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर विचार करने के लिये इम्फाल म्यूनिसिपल बोर्ड की बैठक के लिये तारीख अभी तक निश्चित नहीं की गई है ।

इम्फाल में जल संभरण

†१६४४. **श्री ल० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुईकुन कंच गांव के आदिम जातीय ग्रामीणों को इसलिये निष्कासित किया जाना है कि उस गांव की इम्फाल में नई जल संभरण योजना के लिये आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके पुनर्वास के लिये वैकल्पिक भूमि मंजूर की गई है और उन्हें कितना प्रतिकर देने का प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) निष्कासित परिवारों के पुनर्वास के प्रश्न पर इम्फाल के डिप्टी कमिश्नर द्वारा विचार किया जा रहा है । प्रतिकर, यदि कोई हो, की राशि का निर्णय पंचाट दिये जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है ।

किसानों का प्रशिक्षण

†१६४५. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :
डा० विजय आनन्द :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को कृषिपंडितों द्वारा प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है और उसे किन किन राज्यों में लागू किया जायगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) इस प्रकार की कोई निर्दिष्ट योजना मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है । परन्तु कृषिपंडितों द्वारा अपनाये जाने वाले खेती के तरीकों का अन्य किसानों के लाभ के लिये विस्तार साहित्य के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों को देयराशि का भुगतान न किया जाना

†१६४६. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कर्मचारियों के वेतन और अंशदायी निधि की एक बड़ी राशि उनके सेवानिवृत होते समय केवल सन्देह पर, बिना उनकी जिम्मेदारी का निर्धारण करने के लिये जांच किये ही, रोक ली जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो निरपराध लोगों को होने वाली कठिनाइयों के मामलों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी की देयराशि का कोई भी भाग केवल सन्देह पर अथवा पर्याप्त औचित्य के बिना नहीं रोका जाता है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में पंचायत राज

†१६४७. **श्री दशरथ देव** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पंचायत राज की स्थापना के लिये नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के नियम त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के अधिकारों और कृत्यों को बहुत कम कर देते हैं ;

(ग) क्या त्रिपुरा प्रशासन को त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों से प्रारूपित नियमों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या पंचायत राज नियमों के संबंध में अन्तिम निर्णय किये जाते समय इन आपत्तियों पर विचार किया जायेगा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). जीं, हां ।

दिल्ली में जल संभरण योजनायें

†१६४८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने अपनी जल संभरण योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण लिया था ;

(ख) यदि हां, तो निगम सरकार को कितनी राशि की देनदार है ; और

(ग) इन ऋणों के लिये प्रतिवर्ष कितना ब्याज देय है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६० को १०,२६,७९,६१२ रुपये ४५ नये पैसे।

(ग) प्रतिवर्ष देय ब्याज की राशि ऋण की शेष राशि पर निर्भर रहती है और समय समय पर बदलती रहती है।

दिल्ली में यमुना पर पुल

†१६५०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और शाहदरा के बीच यमना पुल पर मुख्य पुल को अधिक भार से बचाने के लिये उसके दोनों ओर छै छै फीट चौड़े नये रास्ते बनाने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रस्ताव को व्यवहारिक माना गया है ; और

(ग) उसके क्या आधार हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के यमुना पुल के दोनों ओर फुटपाथ बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। प्रविधिक दृष्टि से अप-लाइन के गर्डरों पर फुटपाथ बनाना संभव नहीं है क्योंकि वे इतने मजबूत नहीं होते हैं कि अतिरिक्त भार वहन कर सकें परन्तु डाउन लाइन के गर्डरों के बाहर की ओर कैन्टीलेवर्स पर आधारित एक छै फीट चौड़ा फुटपाथ बनाना संभव है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत फुटपाथ का लागत व्यय और संधारण व्यय नगर निगम को वहन करना होगा तथा उसे तदनुसार सूचित कर दिया गया है। व्यय के संबंध में नगर निगम की स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे डाक सेवा

†१६५१. **श्री रामशंकर लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर के पूर्व में डाक मेल ट्रेन द्वारा ले जाई जाती है ;

(ख) क्या गोरखपुर के पश्चिम में ऐसा नहीं होता है और डाक में एक दिन की देर हो जाती है ;

(ग) क्या इस बात की निरन्तर मांग की जा रही है कि इस ओर की डाक भी मेल ट्रेन द्वारा वहन की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जाने वाला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) गोरखपुर के पश्चिम में ऐसा इसलिये नहीं किया जा रहा है कि वैसा करने में कोई लाभ नहीं है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत डाक में देर नहीं होती है।

(ग) जी नहीं, कोई मांग नहीं की गई।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोग

†१६५२. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदों के लिये प्रवरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त केवल कुल अंकों का विचार किया जाता है चाहे उन्होंने विभिन्न विषयों में अलग अलग कितने भी अंक पाये हों ;

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग में विभिन्न पदों के लिये प्रवरण में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को डाक तथा तार विभाग में भी अपनाने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) संघ लोक सेवा आयोग को परीक्षा के किसी एक अथवा समस्त विषयों में अर्हता अंक निश्चित करने का अधिकार है। समस्त उम्मीदवारों को, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों को सम्मिलित करके, समस्त पर्चों के कुल अंकों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है, अलग अलग पर्चों में प्राप्त अंकों के आधार पर नहीं।

(ख) जो प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अपनाई जाती है वही डाक तथा तार विभाग की परीक्षाओं में भी अपनाई जा रही है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली का चिड़ियाघर

†१६५३. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में दिल्ली के चिड़ियाघर में क्या विस्तार और सुधार किये गये हैं ;

(ख) उसमें कितने नये जानवर आये हैं ; और

(ग) वर्ष १९६० में उस पर कुल कितना व्यय किया गया व टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) वर्ष १९६० में निम्नलिखित विस्तार तथा सुधार किये गये थे :

(१) २१ एकड़ क्षेत्र का और विकास किया गया। विकसित क्षेत्र में वृक्षारोपण और मुख्य प्रवेशद्वार तथा प्रशासकीय खंड के बीच के क्षेत्र का सज्जीकरण पूरा हुआ। सड़कों तथा रास्तों का अग्रेतर विकास किया गया। बिना साफ किये हुये पानी की लाइनें बिछाने का कार्य पूरा हुआ।

(२) खाद्य भंडार और भोजनालय खंडों का कार्य, जो पहले शुरू किया जा चुका था, पूरा किया गया।

†मूल अंग्रेजी में

(३) ६ पशु-ग्रहातों का कार्य, जो पहले शुरू किया जा चुका था, जारी रहा।

(४) संचालक के बंगले, पशु चिकित्सालय और निरोधा केन्द्रों और विश्रान्ति स्थानों तथा मण्डपों के निर्माण का कार्य जारी रहा।

(५) दलदल क्षेत्र में अग्रेतर सुधार किये गये हैं ताकि दूसरे देशों से आने वाले पक्षी वहां रखे जा सके।

(ख) निम्नलिखित पशु तथा पक्षी बढ़े हैं :

पशु :

४ स्टम्प पूंछ के बन्दर
४ सुग्रर जैसी पूंछ वाले बन्दर
४ इग्रोरॉस
६ कूका
४ नीलगिरी के लंगूर
२ ध्रुवीय रीछ
२ सीका हिरन
२ रैकून कुत्ते
२ जापानी बन्दर

पक्षी :

४ काले हंस (ब्लैक स्वैन्स)
२ जंगली कौए (जंगल क्रोज़)
८ मूक हंस (म्यूट स्वैन्स)
२ सफेद तीतर (व्हाइट फैजेन्ट्स)
६ हरे तीतर (ग्रीन फैजेन्ट्स)
४ बासों में रहने वाले तीतर (बैम्बू पैंट्रिजिज़)
१० कोयलें (क्वेल्स)
४ मैन्डरिन बतखें (मैन्डरिन डक्स)
२ सफेद सारस (व्हाइट नेप्ड क्रेन्स)
२ शिकारी तीतर (हन्टिंग फैजेन्ट्स)
४ सुनहरी तीतर (गोल्डेन फैजेन्ट्स)
४ चांदी के रंग के तीतर (सिलवर फैजेन्ट्स)
२ क्रांसोपिलोन
१ एमहर्स्ट तीतर (एमहर्स्ट फैजेन्ट)
६ तोते (मैकांज)

(ग) परियोजना के लेखे वित्तीय वर्ष के अनुसार रखे जाते हैं । वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में ३१ दिसम्बर, १९६० तक किया गया कुल व्यय निम्न प्रकार है :

निर्माण कार्यों पर	३,४९,००० रुपये
अन्य मदों पर	३,२०,३१९ रुपये ६४ नये पैसे

वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में ३१ दिसम्बर, १९६० तक हुई कुल आय निम्न प्रकार है :—

टिकिटों की बिक्री से .	८२,८२७ रुपये ४० नए पैसे
मनोरंजन की सवारी से .	४,८८८ रुपये

रेलवे में मुअत्तिल कर्मचारी

†१६५४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हड़ताल में भाग लेने के कारण पूर्व और दक्षिण-पूर्व और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में कितने कर्मचारी, अलग-अलग, अभी तक मुअत्तिल हैं ;

(ख) ये कर्मचारी, प्रत्येक रेलवे में अलग अलग, किन किन श्रेणियों के हैं; और

(ग) उनके मामलों का कब तक निपटारा हो जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के जो कर्मचारी जुलाई, १९६० की हड़ताल के सम्बन्ध में अभी तक मुअत्तिल हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

पूर्व रेलवे	४६
दक्षिण–पूर्व रेलवे	२१
पूर्वोत्तरसीमान्त रेलवे	

(ख) उनकी श्रेणियां नीचे दी गई हैं :

पूर्व रेलवे		**दक्षिण रेलवे**	
श्रेणी	**संख्या**	**श्रेणी**	**संख्या**
पर्सनल इंस्पेक्टर	२	क्लर्क	३
आफिस क्लर्क	११	सब हैड एकाउण्ट्स	१
बुकिंग और कॉमरशल क्लर्क	२	स्किल्ड आर्टीजन वर्कशाप	१
असिसटेंट स्टेशन मास्टर	२	सेक्शन कंट्रोलर	१
इंजन क्लीनर /क्लीनर	३	गार्ड	२
फायरमैन / सैकिंड फायरमैन	६	पार्सल क्लर्क	१

†मूल अंग्रेजी में

फिटर खलासी	४	फिटर	२
चार्जमैन	२	असिसटेंट स्टेशन मास्टर	१
इरेक्टर	१	वैसिक ट्रेड्समैन	१
लाइन जमादार	१	शण्टर	१
बॉयलर मेकर	१	शेड खलासी	१
कीमैन	१	शण्टिग जमादार	२
टिकट कलक्टर	१	शण्टमैन	१
गैंगमैन	३	टिकट कलक्टर	१
खलासी (सिगनल)	१	फायरमैन	२
सफाई करने वाले कर्मचारी	५	--	
योग	४६		२१

(ग) मामलों के शीघ्र निपटारे का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

मायावरम् और कराइकुडी के बीच डाक गाड़ियां

†१६५५. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पट्टाकोकई के रेलवे यात्री संघ और जनता की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कोई सेक्शन में मायावरम् और कराइकुडी के बीच हल्की पटरी के बदले में भारी पटरी लगाई जाए और डाक गाड़ियां चलाई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मायावरम् और कराइकुडी के बीच कोई सेक्शन से हो कर डाकगाड़ियां चलाने का सुझाव व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

डाउटूहाजा और माईबांग स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†१६५६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ फरवरी, १९६१ को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के डाउटूहाजा और माईबांग स्टेशनों के बीच चलती हुई एक रेलगाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दुर्घटना में कितनी जन अथवा सम्पत्ति की हानि हुई ;

(घ) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कुछ समय से रेल दुर्घटनायें बढ़ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, पिछले तीन महीनों में ऐसी कितनी दुर्घटनायें हुई तथा पिछले वर्ष इन्हीं तीन महीनों में कितनी दुर्घटनायें हुई थीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). ५-२-६१ को (६-२-६१ को नहीं) लगभग १२.३५ बजे २५५ अप मिली जुली गाड़ी, जब कि वह बदरपुर-लमडिंगहिल सेक्शन पर डाउटूहाजा और माईबांग स्टेशनों के बीच चल रही थी, का इंजन और उसके साथ वाले ८ डिब्बे पटरी से उत्तर गए जिससे यातायात रुक गया। दुर्घटना का कारण एक भैंस का रेल के इंजन से कट जाना था।

(ग) गाड़ी के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप सात व्यक्तियों को साधारण चोटें आई

रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान आठ हजार रुपये लगाया गया है।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में पिछले तीन महीनों में ३३ दुर्घटनायें हुई जब कि १९५९-६० के इन तीन महीनों में ४९ दुर्घटनायें हुई थीं।

किराये की इमारतों में डाकघर

†**१९५७. श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै डिवीजन में बहुत से डाकघर, उपडाकघर और शाखाडाकघर अभी भी किराये की इमारतों में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितना किराया भुगतान किया गया ;

(ग) इस व्यय को १९६१-६२ में कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है; और

(घ) उस अवधि में कितनी बचत होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) ४८,१२३ रुपये ।

(ग) १९६-१९६२ में मदुरै डिवीजन में एक विभागीय इमारत के पूरा हो जाने की आशा है। जिससे किराये में ३०० रुपये साल की बचत होगी ।

(घ) परन्तु वह आद्योपान्त बचत नहीं होगी क्योंकि प्रस्तावित इमारत पर पूंजी लागत पर ब्याज, संधारण और अवक्षयण के रूप में जो वार्षिक आवर्तक (राजस्व) व्यय होगा वह अभी दिए जा रहे किराये से कहीं अधिक होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मदुरै हवाई अड्डा

†१६५८. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में हवाई अड्डे की नई इमारत पूर्ण हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन**): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). कार्य अक्तूबर, १९६० में शुरू किया गया था और उसके अगस्त, १९६१ तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

मदुरै हवाई अड्डे पर सब पोस्ट आफिस

†१६५९. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै हवाई अड्डे में एक सब पोस्ट आफिस खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से डाक घर खोला जा रहा है ; और

(ग) इस डाकघर के खुलने तक रेलवे सेवा के आवश्यक सुविधाएं देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) मदुरै हवाई अड्डे पर सब पोस्ट आफिस या सार्टिंग आफिस खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस समय डाक मदुरै रेलवे डाक सेवा में छांटी जाती हैं जो हवाई अड्डे से ४ मील दूर है । हवाई अड्डे में डाक की डिलीवरी और डिस्पैच तथा डाक लेखन सामग्री के विक्रय की व्यवस्था पहले से विद्यमान है ।

लुधियाना और खन्ना के बीच रेल गाड़ी में डकैती

†१६६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ फरवरी, १९६१ को लुधियाना और खन्ना के बीच चलती रेलगाड़ी में एक सशस्त्र डकैती की घटना हुई ;

(ख) यदि हां, तो घटना का व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां हुई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी, हां । १५ और १६ फरवरी १९६१ के बीच की रात्रि को सब्जी मण्डल दिल्ली का एक ट्रैवलिंग एजेंट श्री करतारसिंह लुधियाना में लुधियाना और सरहिन्द के बीच चलने वाली एक शटल गाड़ी में चढ़ा । जिस डिब्बे में वह चढ़ा उसमें पहले ही ३ युवक यात्री थे । गाड़ी के चलने के तुरन्त पश्चात् श्री करतारसिंह सो गया और जब

†मूल अंग्रेजी में

उसके तीन सहयात्रियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया तो वह जाग उठा । एक अपराधी ने उस पर टाकुए का प्रहार किया और अन्य दो लोगों ने चाकू दिखा कर उसकी सोने की २ अंगूठियां, एक हाथ की घड़ी तथा एक बटुआ जिसमें ५५ रुपये थे, छीन लिये । एक सूट केस जिसमें कुछ कपड़े और एक कम्बल था वह भी छीन लिया गया और अपराधी लोग अलार्म चेन खींच कर खन्ना स्टेशन के बाहर वाले सिगनल के समीप अंधेरे में भाग गये ।

(ग) हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस की जोरदार जांच जारी है ।

कोंगा नदी की खुदाई

†१६६१. **श्री ल० अचौ सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में कोंगा नदी के नीचे के मार्ग की खुदाई की एक योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ख) क्या उक्त नदी के मार्ग के सुधारने और इम्फाल नदी में जल की गति को बढ़ाने की कोई दूसरी योजना आरम्भ की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

मनीपुर में विद्युत् संभरण योजनायें

†१६६२. **श्री ल० अचौ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना मनीपुर में विद्युत् सम्भरण योजनाओं के लक्ष्य, डीज़ल सैटों और पैनस्टाक पाइपों की गैर उपलब्धि के कारण पूरे नहीं किये जा सके;

(ख) यदि हां, तो विद्युत् इकाइयों में तत्वों की प्राप्ति में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में उपरोक्त माल प्राप्त किया जा सकता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) पैनस्टाक पाइपों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण बिजली तैयार करने के लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव नहीं थी । अतिरिक्त डीजल सैट लाने का प्रस्ताव कम दामों पर जल-विद्युत् तैयार करने की सम्भाव्यता के कारण समाप्त कर दिया गया ।

(ख) प्रारम्भतः ११६५ किलोवाट डीजल तैयार करने की क्षमता और ६०० किलोवाट हाइड्रो क्षमता के लक्ष्य दूसरी योजना के अन्तर्गत निर्धारित किये गये थे । बाद में, अधिक जल सम्बन्धी जांच करने पर, खरमालोक नदी में ७०० किलोवाट फर्म क्षमता वाले जल-बिजली घर का विकास करना सम्भव समझा गया जिसे दूसरी योजना में सोचे गये डीज़ल क्षमता के अंश के बदले तीसरी योजना में कार्यान्वित किया जा सकता था । ६५० किलोवाट डीज़ल तैयार करने की क्षमता स्थापित की जा चुकी है । अतः डीजल तैयार करने में कमी ५१५ किलोवाट की हुई है जिसमें से यह विचार है है कि खरमालोक में १२०० किलोवाट की कुल जल-क्षमता स्थापित की जाएगी । इसके अतिरिक्त, लीमाखोंग नदी में एक जल विद्युत् केन्द्र लगाया जा रहा है जिसकी क्षमता ६०० किलोवाट होगी ।

(ग) लीमाखोंग जल-विद्युत् घर के लिये जैनरेटिंग यूनिट और कुछ पैनस्टाक पाइप और स्विचगियर मौजूद हैं और शेष का आर्डर दिया हुआ है । १९६१–६२ में उनके उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में होटल स्थान

†१६६३. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में होटल स्थान की बहुत कमी है और पर्यटन ऋतु में बहुत से पर्यटकों को बड़ी असुविधाएं उठानी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को हल करने के लिये अधिक होटल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) होटल बनाने वालों को सब प्रकार की सम्भव सहायता दी जाती है जो नये होटल बनाना या वर्तमान होटलों का विस्तार करना चाहते हैं। ३५० कमरों वालों ओबराय इण्टर नेशनल होटल के अतिरिक्त, जो मथुरा रोड पर बनाया जा रहा है, कनाट सर्कस–जनपथ क्षेत्र में एक या दो और छोटे होटलों के निर्माण की सम्भावना है। यह सच है कि इससे किसी बड़ी सीमा में स्थान की समस्या हल नहीं होगी, किन्तु आशा है कि होटल उद्योग को आय कर छुट्टी की सुविधा के प्रस्तावित विस्तार से होटल बनाने वाले लोग नये होटल बनाने के लिये मांगे जायेंगे।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में पुल

†१६६४. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पुनर्वास मन्त्रालय ने जगतबन्धु पारा से रामबाबू बाड़ी तक रायमा-सायमा तक जाने वाली सड़क पर पुल बनाने के लिये त्रिपुरा प्रशासन को लगभग १० लाख रुपये मंजूर किये हैं और दे दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ७३ मील सड़क और पुलों के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) पुनर्वास मन्त्रालय ने दिसम्बर, १९६० में १ लाख रुपये की राशि, पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों के पुनर्वास में सुविधा लाने के लिये जगतबन्धु पारा से रामबाबू बाड़ी तक सड़क पर अर्धस्थायी इमारती लकड़ी के पुलों के निर्माण के लिये, मंजूर कर दी है।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन ने सूचना दी है कि अम्बासा से राम बाबू बाड़ी तक सड़क की कुल लम्बाई ४४ मील है। पूरी सड़क अच्छे मौसम में जीप चलने योग्य स्तर तक पूरी की जा चुकी है। सड़कें की पहली ३२ मीलों में पुल पूरे होने वाले हैं। जगत बन्धु पारा से रामबाबू बाड़ी तक १२ मील की शेष लम्बाई में पुल बनाने के काम के लिये टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और उनकी छानबीन की जा रही है। काम की लागत बढ़ाने की अपेक्षा है और पुनर्वास मन्त्रालय ने त्रिपुरा प्रशासन से प्रार्थना की है कि शोधित मंजूरी दे दी जाए।

त्रिपुरा में चावल के तेज दाम

†१६६५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के कुछ भागों, अर्थात् कैलाशपुर तक छा-मान्, अमरपुर, विशेषकर रायमा-सायमा के लोग चावल के अत्यधिक तेज दामों के कारण में बड़ी विपत्ति में हैं और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सम्भालने के लिये क्या उपाय अब तक किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). इन क्षेत्रों में चावल के भाव चढ़ गये हैं, किन्तु इतनी अधिक कमी नहीं है कि इन क्षेत्रों के लोगों को विपत्ति का सामना करना पड़ रहा हो। चढ़ते हुए दामों को रोकने तथा लोगों को आराम पहुंचाने के लिये इन क्षेत्रों में उचित मूल्यों वाली दुकानें खोली गई हैं और चावल इन दुकानों के द्वारा १८ रुपये प्रति मन के हिसाब से उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।

सिंचाई परियोजनायें

†१६६६. **श्री मू० चं० जैन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई परियोजनाओं से वित्तीय आय बढ़ाने के लिये उपाय करने के लिये राज्य सरकारों को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों ने क्या वास्तविक उपाय किये हैं; और

(ग) अब तक पूर्ण की गई सिंचाई परियोजनाओं पर कुल कितनी लागत आई है और प्रत्येक से कितनी वित्तीय आय हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

आसाम के लिये बुक किये गये कोयले में कमी

†१६६७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष आसाम के लिये बुक किये गये कोयले की जब गन्तव्य स्टेशन पर जांच की गयी तो वह बहुत कम निकला था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष में कुल कितनी कमी हुई; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप रेलवे प्राधिकारियों ने सम्बन्धित पार्टियों को कितना मुआवजा अदा किया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). जी, नहीं। किन्तु वर्ष १९६० में २१ टन कोयले की कथित कमी के केवल ३ दावे पूर्वोत्तर रेलवे को भेजे गये थे किन्तु वे इस योग्य नहीं थे कि उन्हें स्वीकार किया जाता।

रेलवे में भूतपूर्व सैनिक

†१६६८. **श्री रामगर** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जनवरी, १९४८ के पश्चात् जिन भूतपूर्व सैनिकों को स्थायी पदों पर नियुक्त किया गया था उन्हें भारत की सशस्त्र सेनाओं में उनके द्वारा की गयी लगातार सेवा के लिये वरिष्ठता का लाभ प्रदान नहीं किया जाता ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या रेलवे के अतिरिक्त अन्य मन्त्रालयों और उनके संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को, उनकी सशस्त्र सेनाओं में की गयी सेवा का लाभ दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे में ऐसे कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ न देने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों के अनुसार ।

(ग) २१-१२-१९५९ तक अन्य मन्त्रालयों में यह प्रथा थी कि सभी कर्मचारियों की, जिनमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं, समान पदों पर की गयी पहली सरकारी सेवा को मान्यता दी जाती थी । किन्तु रेलवे में इस प्रथा का अनुसरण करना उचित नहीं समझा गया क्योंकि अन्य स्थान पर सेवा करने के पश्चात् प्राप्त अनुभव का रेलवे में सामान्यतः कोई उपयोग नहीं होता ।

उत्तर रेलवे में नियुक्त भूतपूर्व सैनिक

†**१६६९. श्री रामगरीब** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय तथा उसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को, उन के द्वारा भारत की सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा के लिये वेतन और वरिष्ठता के लाभ प्रदान नहीं किये जाते ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में कितने भूतपूर्व कर्मचारी नियुक्त हुये हैं ; और

(ग) इन में से कितने व्यक्तियों को ये लाभ प्रदान नहीं किये गये और उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) १-६-४२ और ३१-१२-४५ के बीच उत्पन्न होने वाली खाली पदों में ७० प्रतिशत पदों का जो कोटा युद्ध-सेवा उम्मीदवारों के लिये निश्चित किया गया था, उन पदों पर नियुक्त ऐसे कर्मचारियों को उन की 'युद्ध सेवा' के लिये वेतन और वरिष्ठता के लाभ दिये जाते हैं । जो पद उन के लिये आरक्षित नहीं थे, उन पर नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों को उन की युद्ध/सैनिक सेवा के लिये केवल वेतन-निर्धारित करने के प्रयोजन के वास्ते लाभ दिया जाता है ।

(ख) ६१ ।

(ग) २० । उन के मामलों पर रेलवे प्रशासन में अभी विचार किया जा रहा है ?

विलिंगडन अस्पताल

†**१६७०. श्री राम गरीब** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलिंगडन अस्पताल में नवम्बर, १९६० से गले के 'आपरेशन' के कितने मामले लम्बित पड़े हैं ;

(ख) रोगियों को 'आपरेशन' के लिये बुलाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १८१ ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में नेत्र, नाक और गले के रोगियों के लिये केवल ९ पलंग (६ पुरुषों के लिये और ३ स्त्रियों के लिये) हैं और सप्ताह में २ बार आपरेशन किये जाते हैं। उपरोक्त पलंग उन रोगियों के लिये भी हैं, जिन्हें आंख और नाक का आपरेशन करवाना होता है, अतः गले के आपरेशन में कुछ देर हो जाना अपरिहार्य है।

(ग) नेत्र, नाक और गला विभाग में काम को तेजी से निपटाने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है। जब इस विभाग में अधिक पलंगों की व्यवस्था हो जायेगी, तो कठिनाई कम हो जायेगी।

सूरतगढ़ फार्म

†१९७१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ फार्म पर होने वाले व्यय और उत्पादन पर विचार करते हुए सूरतगढ़ फार्म में उत्पन्न होने वाले खाद्य तथा अन्य उत्पादों की लागत और आर्थिक मूल्य का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक **खाद्य तथा कृषि**-उत्पाद का उत्पादन-मूल्य क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). १९५८-५९ में सूरतगढ़ में पैदा होने वाली प्रत्येक फसल की उत्पादन-लागत का अनुमान लगाया गया था और उस के बारे में एक विवरण **[परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]** संलग्न है। वर्ष १९५९-६० के ऐसे आंकड़े अभी तैयार नहीं हुए। १९५६-५७ और १९५७-५८ में ये आंकड़े तैयार नहीं किये गये थे क्योंकि इसके लिये आवश्यक सामग्री एकत्र नहीं की गई थी। किन्तु इस फार्म की पूर्ण संभावनाओं का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सका है क्योंकि फार्म का बहुत सा ऐसा क्षेत्र में, जिस में खेती की जाती है, अभी लगातार सिंचाई आदि नहीं हो रही। अनुमान है कि १९६२ में भाखड़ा सिंचाई व्यवस्था से इस फार्म की लगातार सिंचाई होने लगेगी।

पूर्ण परियोजना

†१९७३. **श्री पांगरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में पूर्ण परियोजना के लिये प्रविधिक मंजूरी अभी तक केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कारण पूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इस परियोजना का प्रविधिक परीक्षण पूर्ण नहीं किया है। यह सिंचाई, विद्युत् और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं सम्बन्धी प्रविधिक सलाहकार समिति के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

†१६७४. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के लिये लगभग ४२ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशी मुद्रा की उपलब्धि न होने के कारण बहुत सी मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें लंबित पड़ी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां । महाराष्ट्र सरकार की ओर से, मराठवाड़ा प्रदेश में कुछ मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के लिये मिट्टी हटाने वाली मशीनरी के आयात के लिये ४४·१६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की एक प्रार्थना प्राप्त हुई है ।

(ख) मामला विचाराधीन है । इस बात की संभाव्यता है कि कुछ आवश्यकतायें आयुध फैक्टरियों द्वारा पूरी कर दी जायें, और अवस्था में केवल बची हुई वस्तुओं के लिये विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी ।

(ग) जी, हां । यह सच है कि न केवल महाराष्ट्र में, अपितु अन्य राज्यों में भी कई परियोजनायें, विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आरंभ नहीं की जा सकीं, हालांकि अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने के लिये प्रत्येक कार्रवाई लगातार की जा रही है ।

कुष्ठ रोग

†१६७५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन जापानी कुष्ठ रोग के विशेषज्ञ कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत में जापानी प्रविधिक सहयोग के अन्तर्गत कुष्ठ रोग का निवारण करने के लिये हाल ही में भारत आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) क्या इस के बारे में कोई योजना अन्तिम रूप मे तैयार की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत सरकार की प्रार्थना पर जापान सरकार ने विशेषज्ञों का एक दल भेजना स्वीकार कर लिया है । अभी वे लोग भारत नहीं पहुंचे ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कमलाही (हिमाचल प्रदेश) का कुक्कुट-पालन केन्द्र

१६७६. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कुक्कुट-पालन केन्द्र, कमलाही, में १९६० में कितने पक्षी थे ;

(ख) (१) कितने पक्षी लकड़ बग्घे ने खाये, (२) कितने मरे और (३) कितने लोगों को बांटे गये ; और

(ग) वर्ष १९६०-६१ के लिये इस केन्द्र फार्म की अनुमित आय तथा व्यय का विवरण क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही हाउस की टेबल पर रख दी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में कुक्कुट-पालन का प्रशिक्षण

१६७७. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९६० तक कितने कृषकों को कुक्कुट-पालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है ;

(ख) प्रशिक्षित कृषकों में से कितनों ने इस उद्योग को सफलतापूर्वक चालू किया है ; और

(ग) सरकार ने इन लोगों को कौन-कौन सी सुविधायें दी हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही हाउस की टेबल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में बत्तख-पालन

१६७८. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों पर बत्तख-पालन का काम चालू है ;

(ख) क्या इस दिशा में सरकार ने कोई प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है और यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) वर्ष १९६० में लोगों में कितनी बत्तखें बांटी गईं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही हाउस की टेबल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

१६७९. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में हिमाचल प्रदेश में कितने अस्पताल बिना डाक्टरों के रहे और कितने अस्पतालों में डाक्टरों के स्थान पर कम्पाउंडर कार्य करते रहे ; और

(ख) डाक्टरों के अभाव के क्या कारण हैं और इस अभाव को दूर करने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में अस्पताल

१६८०. श्री पद्म देव क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हिमाचल प्रदेश के सर्द इलाकों के अस्पतालों में रोगियों को शीत से बचाने के लिये सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी विदित है कि इन अस्पतालों से शीत के कारण कई रोगी बिना पूर्ण स्वस्थ हुए अपने घर चले जाते हैं ; और

(ग) रोगियों की दिक्कतें दूर करने के लिये क्या पग उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मछली पकड़ने का प्रशिक्षण

१६८१. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का जापान सरकार की सहायता से देश में मछली **पकड़ने का** प्रशिक्षण आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कहां दिया जायेगा ; **और**

(घ) एक बार में कितने लोग प्रशिक्षित किये जायेंगे ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (घ). जापान सरकार के सहयोग से मछली-विधायन के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र की स्थापना का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । एक व्यौरे सहित परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

विभागीय भोजन व्यवस्था

†१६८२. **श्री वें० प० नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की समुची विभागीय भोजन व्यवस्था को उपनिदेशक के वेतन क्रम के किसी अफसर के अधीन रखने का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) क्या अब यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(घ) क्या यह सच है कि समुचित अधीक्षण एवं समन्वय न होने के कारण रेलवे में भोजन व्यवस्था का स्तर गिर रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी, नहीं । रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था का स्तर सामान्यतया संतोषजनक है और अधिक सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

सुपारी अनुसंधान केन्द्र

†१६८३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पालोड में सुपारी अनुसन्धान केन्द्र में अनुसन्धान कार्य किया जाता रहे इस उद्देश्य के लिये उपकरण आदि को सुधारने के लिये सरकार की कोई योजनाएं हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** जी, हां। इस केन्द्र के लिये भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति कुछ नया उपकरण प्राप्त कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा का खंड विकास कर्मचारीवृन्द

†१६८४. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री खण्ड विकास कर्मचारीवृन्द के स्थायीकरण के बारे में २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक उड़ीसा के खण्ड विकास कर्मचारी स्थायी बना दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ;

(ग) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर हां है तो कितने कर्मचारी अब तक वेतन क्रमवार स्थायी बनाये गये हैं ; और

(घ) उनमें कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (घ). सूचना उड़ीसा की राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में पंचायत समिति

†१६८५. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों का एक सदस्य, उड़ीसा के जिला बालंगीर में पंचायत समिति सांतला में, समिति में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के प्रतिनिधान के लिये उड़ीसा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा १६(१) (क) के अनुसार, नहीं लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ; और

(ग) अनुसूचित जाति के लोगों में प्रतिनिधान के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्थगन प्रस्ताव

रुद्रसागर स्थित तेल कूप में कथित दुर्घटना—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : एक स्थगन प्रस्ताव जिसके बारे में खान और तेल मंत्री ने वक्तव्य देने का वचन दिया है ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : रुद्रसागर स्थित तेल के प्रथम कुएं की महान दुर्घटना के बारे में १३ मार्च, १९६१ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में जो समाचार छपा है उसके बारे में एक वक्तव्य देने का आश्वासन मैंने कल दिया था । मेरा निवेदन है कि यह समाचार निराधार है । यह कहा गया है कि वहां की दीवार गिर गई, तेल की खोज बन्द हो गई, तथा वहां काफी हानि हुई है । और इसका प्रभाव वहां किये जाने वाले काम के कार्यक्रम पर पड़ेगा । कल मैंने जो वक्तव्य दिया था उसका आधार दिल्ली और शिवसागर में काम करने वाले 'ड्रिलसाइट' पदाधिकारियों के बीच

†मूल अंग्रेजी में

हुई बातचीत था। लेकिन अब जो सही जानकारी मिली है उससे स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान टाइम्स में जो समाचार छपा है वह सभी प्रकार से गलत है। वहां कुएं की कोई दीवार नहीं गिरी, तेल की खोज बन्द नहीं की गई, किसी प्रकार की हानि की सूचना नहीं दी गई, और वहां का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलता रहेगा। सच तो यह है कि वहां कोई दुर्घटना हुई ही नहीं।

स्थिति इस प्रकार है कि रुद्रसागर के तेल के कुएं का काम छिद्रण के बाद उस कुएं की गुणिता की जांच करने के लिये रुका हुआ था। खोज के काम को जल्दी से निपटाने के लिये कुएं की जांच करने के लिये बर्मे का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। छिद्रण के लिये उपयोग किये जाने वाले मुख्य बर्मे को दूसरे कुओं का छिद्रण करने के लिये निकाल लिया जाता है। इसी प्रयोजनार्थ मुख्य बर्मे को निकाल लिया गया था और आयोग यह प्रतीक्षा कर रहा था कि यह बर्मा वापस आ जाये। इसी दौरान में कुआ रुक गया। लेकिन कुएं की गति कभी भी निकाली जा सकती है। अतः कुएं के काम को बन्द करने का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं उठता। उस क्षेत्र में खोज का और काम आगे हो रहा है और रुद्रसागर में दूसरे कुएं से शीघ्र ही तेल मिलने की आशा है। इस प्रकार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने रुद्रसागर में दूसरे तेल क्षेत्र की खोज कर ली है।

कल आपने मुझे निदेश दिया था कि मैं यह मालूम करूं कि उस समाचार पत्र ने इस निराधार समाचार को क्यों छाप दिया। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह मालूम करना न तो मेरे अपने हित में है और न आयोग के ही हित में है। फिर इस लोकतंत्रीय युग में कभी-कभी हमें ऐसे निराधार समाचारों का भी सामना करना चाहिये क्योंकि समाचारपत्रों को भी इस बात की छूट है कि वे अपने स्वातन्त्र्य अधिकार का प्रयोग करें। साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि हम यदि इस प्रकार के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों पर क्रोध प्रकट करें तो उनका भविष्य में छपना भी बन्द नहीं होगा। बल्कि इस प्रकार के गलत समाचारों से तो जनता का ध्यान तेल सम्बन्धी खोज की ओर अधिक आकर्षित होता है और हमें इस बात का अवसर मिलता है कि हम अपनी स्थिति का और भी अधिक स्पष्टीकरण कर सकें।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि तेल की खोज के कार्य में हम क्या प्रगति कर रहे हैं इसे समझने में जो प्रविधिक कठिनाइयां हैं वे एक सामान्य व्यक्ति के लिये हमेशा नई और उसकी समझ से बाहर रहेंगी। नम्बर १ के कुएं में तेल की खोज में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे तेल के अन्य प्रारम्भिक कुओं के समान ही उसकी अपनी विशेषताएं हैं और इसमें सन्देह नहीं कि उससे प्रविधिक समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे हमारा भ्रम काफी दूर हो गया है। लेकिन जहां तक कि स्थगन प्रस्तावों की बात है मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब कभी समाचारपत्रों में इस प्रकार की सनसनीखेज खबरें प्रकाशित हुआ करें तो सदस्यों को पहले तथ्यों का पता लगा लेना चाहिये और उसके बाद ही सभा को स्थगित करने की सूचना देनी चाहिये। पहले वह सम्बन्धित मंत्री से टेलीफोन करके पूछ लें कि इसमें कहां तक सच्चाई है। ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में केवल समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना नहीं दी जाती।

जहां तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है मैं रेलवे मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब कभी समाचारपत्रों में इस प्रकार की सूचनायें प्रकाशित हों तो वे तुरन्त ही यहां सभा में आकर स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें। अब मैं इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनियों द्वारा भारतीय क्षेत्र का कथित अतिक्रमण

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें चीनी लोगों द्वारा १० मार्च, १९६१ को नथूला दर्रे के निकट भारतीय क्षेत्र के अतिक्रमण के बारे में उल्लेख किया गया है ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इस समाचार में कुछ तथ्य है । गत १० मार्च को दुपहर में लगभग १.३० बजे सिक्किम-तिब्बत सीमा पर बित्तागछे की ओर से गोली चलने की आवाज कुपुप के पास सुनाई नहीं दी कुपुप गंगटोक के पूर्व १४ मील पर और सिक्किम से ४ मील अन्दर स्थित है । जांच करने के लिये तुरन्त ही हमारी सैनिक टुकड़ियां गईं उन्होंने पत्थर की चारदीवारी के पास एक हथियारबन्द चीनी सैनिक को देखा । उसने हमारे गश्ती दल पर गोली चलाने की कोशिश की किन्तु उसे पकड़ लिया गया । उसके पास से एक ओटोमेटिक राइफल और कुछ कारतूस बरामद हुए । उक्त चीनी सैनिक इस समय हमारी हिरासत में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि यह सूचना सही है इस कारण मैंने इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दी है । माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान में रख कर मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागा विद्रोहियों द्वारा रेलगाड़ी पर आक्रमण

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : श्रीमान् नियम, १९७ के अधीन मैं रेलवे मंत्री का ध्यान २५ फरवरी, १९६१ को उत्तरी सीमांत रेलवे के लूमडिंग-बदरपुर सेक्शन पर एक रेलगाड़ी पर गोली चलाये जाने के समाचार की ओर आकर्षित करती हूं और निवेदन करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी दें ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : २५ फरवरी, १९६१ को लगभग १० बज कर ४५ मिनट पर २५४ डाउन सवारी गाड़ी जब लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन पर लांगटिंग से मूपा जा रही थी तो उसे नागा विद्रोहियों ने रेल की पटरी पर स्लीपर और पेड़ के तने रख कर रोक लिया । इस के बाद नागा लोगों ने गाड़ी पर गोलियां चलाईं जिस से गाड़ी के एक फायरमैन को थोड़ी चोट पहुंची लेकिन और किसी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं आई । रेल में चलने वाले रेलवे पुलिस बल ने भी ७६ गोलियां चलाईं । यह पता चला है कि इस गाड़ी को मूल्यवान वस्तुओं की लूट के लिये रोका गया था । जिस फायरमैन को चोट आई थी उसकी मरहम पट्टी तुरन्त ही करने के बाद गाड़ी को लौटा कर लागटिंग पर ११ बज कर ५ मिनट पर वापस लाया गया । रेलवे लाइन की देखभाल करने के बाद यह गाड़ी जो लागटिंग में ११ बज कर ५ मिनट से खड़ी थी शाम को ५।। बजे मूपा के लिये फिर रवाना हुई । इस सैक्शन पर दो गाड़ियां रोक दी गईं और दो गाड़ियों का आवागमन स्थगित कर दिया गया है । इस सैक्शन पर लागटिंग और मूपा के बीच रात के समय गाड़ियों का चलना फिलहाल अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है और दो अप तथा दो डाउन गाड़ियां निर्धारित समय बदल कर चलाने की व्यवस्था की गई है । सेना के अधिकारियों की इच्छा के अनुसार

---

†मूल अंग्रेजी में

लुमडिंग और माहबंग के बीच सवारी गाड़ी से पहले पाइलट चलाने की व्यवस्था कर दी गई है। घायल फायरमैन को लुमडिंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उस की स्थिति सुधर रही है। उत्तर सीमान्त रेलवे के एक प्रशासन पदाधिकारी को सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिये नियुक्त कर दिया गया है। १ मार्च १९६१ को प्रातः ००.५० बजे ८४१ अप मालगाड़ी के ड्राइवर ने लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन के चन्द्राथपुर स्टेशन से चलने के बाद जबकि वह धमचारा स्टेशन से २ मील पूर्व एक सुरंग की ओर बढ़ रहा था तो उस ने देखा कि कुछ लोग रेलवे लाइन पर रोशनी डाल रहे हैं। गाड़ी को रोक लिया गया और वापस चन्द्राथपुर वापस ले जाया गया। यह बताया गया है कि रेलवे लाइन के आरपार एक रेल की पटरी डाली हुई थी। सेना तथा पुलिस के पदाधिकारियों को सूचना दे दी गई है और जांच की जा रही है।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): इस प्रकार की यह घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी वहां घटनायें हो चुकी हैं। यही नहीं बल्कि ये नागा लोग जंगलों में छिप जाते हैं और वहां से रेलों पर गोलियां चलाते हैं जिस के परिणामस्वरूप कई रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। रेलवे मंत्री को यह सुझाव दिया गया था कि रेलवे लाइन के दोनों ओर के इन घने जंगलों को इतनी दूर तक साफ कर देना चाहिये ताकि रेलवे लाइन पर चलने वाली रेलें गोलियों की बौछार से बच सकें। लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

†**श्री शाहनवाज खां** : शायद माननीय सदस्य को यह ज्ञात नहीं है कि प्रभावी राइफल की गोली १००० गज़ तक वार करती है। और उस से बचने के लिये यदि रेलवे लाइन के दोनों ओर १०००-१००० गज जंगल साफ किया जाये तो बड़ी कठिनाई होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह असंभव कार्य है।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरी समझ में यह बात नहीं आई। जंगलों के साफ करने से तो रेलवे को लाभ ही होगा।

†**श्री जगजीवन राम** : जंगलों को साफ़ करना इतना आसान काम नहीं है। एक बार या दो बार उन्हें साफ़ भी कर दिया गया है लेकिन फिर भी वे कुछ दिन में उसी रूप में बढ़ आते हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

हिमाचल प्रदेश पर लागू होने वाले पंजाब मोटरगाड़ी नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० के हिमाचल प्रदेश गज़ट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच (टी) १४-४२७/५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० २७२९/६१)

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान् श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के व्यय के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के व्यय के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, २ और ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६१

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा में सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा होगी। इस के लिये २० घंटे नियत किये गये हैं ।

†**श्री श्री अ० डांगे** (बम्बई नगर--मध्य): यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष का पहला आयव्ययक है अतः आगामी कुछ वर्षों में सरकार की क्या नीति रहेगी इस का आभास हमें इस आयव्ययक से लग जाता है। इस आयव्ययक का जनता तथा समाचार पत्रों ने स्वागत किया है।

यह आयव्ययक उत्पादन क्षेत्र में हुई सफलताओं का चित्रण करता है । उत्पादन बढ़ा है, राष्ट्रीय आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़ी है। अतः उत्पादन की वृद्धि और आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण में ऐसी वृद्धि हुई है जिस के लिये हम सभी को एवं सरकार को भी गर्व करना चाहिये । आयव्ययक में उत्पादन क्षेत्र की जो सफलतायें दिखाई गई हैं उन से मेरा कोई मतभेद नहीं है । लेकिन इतना निवेदन करूंगा कि विकास का लाभ ऐसे पूंजीपतियों को मिला है जिन के अपने उद्योग हैं अथवा जिन का देश की अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकार है ।

[**श्री जगन्नाथराव** पीठासीन हुए]

प्रो० डी०आर० गाडगिल की अध्यक्षता में अर्थशास्त्रियों की जो एक समिति बनाई गई थी उस ने योजना आयोग का ध्यान देश की इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित किया था । इस समिति ने कुछ खतरों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और बताया कि इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था से जनता को कोई लाभ नहीं होगा । दूसरे जिस प्रकार की सफलता हम प्राप्त करना चाहते हैं वैसी सफलता भी हमें नहीं मिलेगी । तीसरे देश में मूल्यों के दाम बढ़ जायेंगे और चौथे देश में लोक तंत्र के लिये अस्वस्थ राजनैतिक जटलतायें भी बढ़ जायेंगी । लेकिन इस में इन कमियों को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य व्यक्तियों पर कर का भार बढ़ा है। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है। आयव्ययक में ६० करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं। १९४७ में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का ५० प्रतिशत था और अब वह बढ़ कर ६९ प्रतिशत हो गया है। जब यह प्रश्न किया गया कि इद अप्रत्यक्ष करों का भार सामान्य जनता पर पड़ रहा है तो उत्तर दिया गया कि इन वस्तुओं का उपभोग कम किया जाये। जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तो वह या तो उस के स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर लगाया जाता है या उस के नैतिक आचरण को ध्यान में रख कर लगाया जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। एक ओर आप जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात करते हैं जब किसी व्यक्ति का स्तर ऊंचा हो जाता है तो आप कहते हैं कि चूंकि आप का स्तर ऊंचा उठ गया है अतः आप कर दें। इस का तात्पर्य तो यह हुआ कि आप ने आम जनता को कर देने वाली मशीन बना दिया है।

ज्यों ही आयव्ययक की घोषणा की गई, उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य तुरन्त ही बढ़ गये। इस पर जब वित्त मंत्री से प्रश्न किया गया तो वे कहने लगे कि इसमें उन का कोई दोष नहीं है यह तो मुनाफाखोर दुकानदारों की कारिस्तानी है। समाज ही उन मुनाफाखोर दुकानदारों को ठीक कर सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह आयव्ययक जनता विरोधी आयव्ययक है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस आयव्ययक ने मूल्यों में कमी की है तो इस का उत्तर स्पष्ट ही है कि मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई है। बल्कि मूल्य बढ़ ही हैं।

माननीय वित्त मंत्री का कहना है कि विकसित अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों का बढ़ना अनिवार्य है। अब यह देखना है कि क्या विकसित अर्थ व्यवस्था पूंजीपतियों के ढांचे की है अथवा इसका आधार साम्यवादी है। । मैं निवदन कर देना चाहता हूं कि पूंजीपतियो के दृष्टिकोण वाली अर्थ व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि मूल्यों में वृद्धि हो ही। इंगलैण्ड में जहां कि अर्थ व्यवस्था का आधार पूंजीवाद है वहां भी मूल्य बढ़ नहीं हैं लेकिन हमारे भारत में गत १३ वर्षों से निरन्तर मूल्यों में वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है कि हमारी अर्थ व्यवस्था पर पूंजीपतियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। और व जिस रूप में मूल्य बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा देते हैं। और व मूल्यों को कम नहीं होने देते। यह कहना गलत है कि विकासोंन्मुख अर्थ व्यवस्था में मूल्य का बढ़ना अपरिहार्य है।

यह भी कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान में चूंकि हमारा आय व्ययक घाटे का आय व्ययक है अतः मूल्य बढ़ेंगे ही यह भी ठीक बात नहीं है। घाटे का आय व्ययक भी रहा है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी मूल्य बढ़ हैं। मूल्यों के बढ़ने में बैंकों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और बैंकिंग प्रणाली काफी हद तक उत्तरदायी है। बैंक सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते रहे हैं। और इस प्रकार समाज में गड़बडी पैदा करते रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को बैंकिंग प्रणाली को अपने अधीन कर लेना चाहिये। लेकिन इस आयव्ययक में बैंकिंग प्रणाली की इस प्रथा से बचने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। बल्कि इस आय व्ययक में तो रक्षित धन को बढ़ाने के लिये बिकवाली अंशों पर कर कम करके प्रोत्साहन दिया गया है। यहां तक कि सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को रोकने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि यह आय व्ययक आमजनता के लिये नहीं है।

आप देखेंगे कि कुल मिलाकर यह आयव्ययक धनी लोगों के लिये हितकर हैं। और धनी लोगों ने इसके लिये वित्त मंत्री की प्रशंसा भी की है कि वह एक लौहपुरुष हैं जिन्होंने आम चुनावों से पहले भी इतने कर लगाये हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह विधेयक जीवन स्तर को बढ़ाने के बजाय उसे नीचे ही गिराने वाला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि भवन निर्माण आदि पर तो इतना धन व्यय किया जा रहा है। जब कि मशीन आदि पर बहुत कम खर्च किया जा रहा है। इसका क्या कारण है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि कांदला पत्तन को एक निर्वाध पत्तन घोषित करके सच पूछा जाये कि उसे चोरी-छिपे माल लाने ले जाने वालों का अड्डा बना दिया गया है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : कैसे ?

†**श्री श्री अ० डांगे** : सभी जानते हैं। मौजूदा परिस्थिति में कांदला पत्तन जैसे एक पत्तन को निर्बाध व्यापार का पत्तन बनाने का और कोई नतीजा निकल ही नहीं सकता। अन्य पत्तनों और कुछ क्षेत्रों के कुछ उद्योगों पर भी परोक्ष रूप में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कई अर्थ शास्त्रियों ने उस प्रदेश में निर्बाध पत्तन बनाने के प्रस्ताव पर आपत्ति की है, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई है। इसलिये कुछ लोगों का स्वार्थ उसके विकास में निहित है।

आयव्ययक और कराधान की समस्याओं का हल भी अनुचित ढंग से, अप्रत्यक्ष कर और उत्पादन शुल्क लगा कर किया जा रहा है। इस तरह देश के विकास में से मजदूरों को उनका भाग नहीं मिलने दिया जाता। आज मजदूर एक रुपये की मजूरी पाकर कच्चे माल को जब तैयार करते हैं तो उसमें २ रुपये ३६ नये पैसे का शुद्ध अतिरिक्त मूल्य जोड़ देते हैं। असल में इस अतिरिक्त मूल्य पर कर लगने चाहियें। उचित यही होगा कि आप उत्पादन का हिसाब लगायें और देखें कि उसमें कितना अतिरिक्त मूल्य जुड़ा है और फिर उस की एक निश्चित प्रतिशत मात्रा करों के रूप में राज्य के लिये ले लें। तब राजस्व की कोई कमी नहीं रहेगी।

माननीय वित्त मंत्री ने एक कम्युनिस्ट सदस्य के भाषण का हवाला देते हुए, कटाक्ष के साथ कहा है कि आपके समाजवादी देशों में भी अप्रत्यक्ष कराधान होता है। उनको यह भी मालूम होना चाहिये कि समाजवादी देशों में अप्रत्यक्ष कराधान का विस्तार दिन-दिन कम होता जा रहा है। उसका कारण यह है कि वहां उत्पादन राष्ट्रीयकृत होता है और सारा अतिरिक्त मूल्य आय-व्ययक में शामिल हो जाता है। इसीलिये अप्रत्यक्ष कराधान कम होता जाता है। इसीलिये सोवियत यूनियन में आयकर हटाया जा रहा है और वस्तुओं पर लगने वाले कर भी शीघ्र हटा दिये जायेंगे। हम भी अपने यहां सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये वैसी ही नीति अपना सकते हैं। लेकिन तब सारी पूंजी चन्द थैलीशाहों के हाथ में केन्द्रित नहीं रह पायेगी।

हमारे देश में थैलीशाहों के दो परिवारों के हाथ में देश की सात अरब रुपये की पूंजी केन्द्रित है। और, उन दोनों परिवारों की पूंजी बढ़ती ही जा रही है। क्यों? फिर वित्त मंत्री कैसे कहते हैं कि सरकार अमीर और गरीब सभी पर समान रूप से कर लगा रही है, बल्कि थैलीशाहों पर और ज्यादा कर लगा रही है? नतीजा यह है कि गरीब जनता के रहन-सहन का स्तर और गिरता जा रहा है।

सभी जानते हैं कि वास्तविक मजूरी पिछले दो वर्षों में घट गई है। लेकिन थैलीशाहों के मुनाफे बढ़ते गये हैं। यह समन्यायपूर्ण आय व्ययक तो नहीं कहा जा सकता। इसीलिये आम जनता में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं है।

पूंघटिया किस्म की तमाखू पर कर लगा दिया गया है, जिससे बीड़ियों की कीमतें चढ़ जायेंगी। जो [illegible] ी अर्थ व्यवस्था में खास तौर पर यही होता है—एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तुओं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री० अ० डांगे]

की कीमतें बढ़ने लगती हैं। माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि इसके लिये वे जिम्मेदार नहीं। इस पर मेरा सुझाव ये है कि आय-व्ययक पेश करते समय एक सर्वव्यापी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जब तक आय-व्ययक के प्रस्ताव प्रभावी नहीं होंगे तब तक हर मूल्य वृद्धि अवैधानिक मानी जायेगी।

हमारे यहां जब आय व्ययक पेश होता है, तब कीमतों के बारे में सट्टेबाजी सी होने लगती है। दस पन्द्रह दिन में ही गरीब जनता की जेब से लाखों रुपये खींच लिये जाते हैं। इसे रोका जाना चाहिये।

हमारे देश का आर्थिक विकास किस दिशा में जा रहा है? प्रोफेसर ी० आर० गाडगिल ने इस सम्बन्ध में कहा है कि देश में एकाधिकारी पूंजी बढ़ती जा रही है, उसका संकेन्द्रण बढ़ रहा है। उनके हाथ में आर्थिक शक्ति केन्द्रित होती जा रही है। और, निकट भविष्य में इस आर्थिक शक्ति का सामना आम जनता की शक्ति उनकी राजनीतिक पार्टियों से अवश्य होगा। और तब उसका देश के स्थायित्व और अर्थ व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा। इससे तभी बचा जा सकता है जब वर्तमान शासक दल एक नैतिकतापूर्ण ढंग से, पूर्ण निष्ठा के साथ लोकतांत्रिक तरीके से योजनाबद्ध विकास के लिये अपनी कमर कस लें। आशा है माननीय वित्त मंत्री इस विशेषज्ञ अर्थशास्त्री की बात पर कान देंगे।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : प्रोफेसर गाडगिल की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि देश के राजनीतिक नेताओं को अधिक बुद्धि और दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि श्री डांगे जैसे व्यक्ति ने आज फिर कम्युनिस्ट देशों के बारे में गलत आंकड़े दिये हैं।

यह ग़लत है कि विकासशील कम्युनिस्ट देशों में मूल्यवृद्धि नहीं होती। सोवियत यूनियन में ऐसे दौर में मूल्यों में १६०० प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

आश्चर्य की बात है कि श्री डांगे यह नहीं देख पाये कि सरकारी क्षेत्र के मुनाफों और वस्तुओं के कराधान में कोई अन्तर नहीं होता। अमरीका में भी अर्थ व्यवस्था में विनियोजित होने वाली राशियों का काफी बड़ा भाग 'निगमित बचत' से मिलता है। यह कराधान का ही दूसरा रूप है। दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कम-विकसित देशों को दी जाने वाली सहायता के लिये नियुक्त अधिकारी, श्री पॉल हॉफमैन ने कहा है कि १९६० से १९६९ तक का काल विश्व के लिये बड़ा नाजुक, बड़ा निर्णायक काल है। हमारे देश पर तो यह बात और भी ज्यादा लागू होती है। एक तरफ बड़े-बड़े खतरे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी संभावनायें। इसीलिये इस काल का एक ऐतिहासिक महत्व है।

माननीय वित मंत्री चाहते हैं कि देश और विदेशों में एक ऐसा स्वस्थ वातावरण बनाया जाये जिसमें जनता को हमारी अर्थ व्यवस्था और हमारी योजना पर भरोसा हो सके, विश्वास जम सके। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करके दिखायें। दृढ़ विश्वास का वही सबसे पुख्ता आधार होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे सामने विकास की दो पद्धतियां हैं। एक तो यह कि हम अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि की गति अधिकाधिक तेज करने पर जुट जायें। दूसरा यह कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देकर उनकी आय बढ़ायें। हमने पहली पद्धति चुनी है। इसलिये कि यह तो हो सकता है कि सभी लोगों को रोजगार जुटा दिया जाये और उनकी मौजूदा आय कुछ बढ़ा दी जाय, लेकिन तब तकनीक का मौजूदा स्तर नहीं बना रहेगा, तकनीक में सुधार नहीं होगा। और तकनीक का हमारा मौजूदा स्तर बहुत ही नीचा है। इसलिये विकास में समय और व्यय दोनों ही अधिक लगेंगे। हमने सर्वोदय-वादियों की पद्धति इसीलिये नहीं अपनाई है। सर्वोदयी पद्धति अपनाने से आम जनता की बचत की प्रवृत्ति घट जायेगी, क्योंकि उस थोड़ी आय में से अधिक बचत नहीं हो सकती। और बचत कम होने से, देश में पूंजी और उत्पादन का अनुपात बढ़ जायेगा।

उसका मतलब होगा कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने के लिये कहीं अधिक पूंजी दरकार होगी। फिर पूंजी और उत्पादन के बीच की खाई पाटने के लिये अधिक ऊंची दर पर करारोपण करना पड़ेगा। अधिक करारोपण का लाजिमी नतीजा होगा—मूल्य-वृद्धि।

विकास की ये दोनों पद्धतियां अलग-अलग हैं, हम दोनों में से एक ही अपना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग दलीलें इस ढंग की देते हैं कि उत्पादन-वृद्धि की, उसकी तकनीक की गति भी तेज से तेज बनाई जाय और साथ ही सभी को रोजगार भी दिया जाय। यह बताता है कि उनके सोचने के तरीके में रूढ़िवादी प्रवृत्ति घर किये हुए है। प्रोफेसर गालब्रेथ ने इसी के बारे में कहा है कि रूढ़िवादी ढंग से सोचने की प्रवृत्ति नयी परिस्थिति को समझने में बाधा बन रही है।

हम अभी भी रूढ़िवादी ढंग से बातें करते हैं। रूढ़िवादी तरीके से दलीलें देते हैं जैसे कि समाज अपनी जगह स्थिर खड़ा हो, अर्थ-व्यवस्था में बड़े-बड़े परिवर्तन न हो रहे हों। हम अभी तक स्पष्ट रूप में यह नहीं समझ पाये हैं कि तकनीक के एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने का क्या मतलब होता है, उससे समाज और अर्थ व्यवस्था में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं। इसलिये हमें नयी परिस्थिति के अनुरूप अपने में एक नई समझ पैदा करनी पड़ेगी। और यही नहीं हो रहा है। इसके बिना इस नाजुक दौर में सफलता प्राप्त करना असंभव होगा।

हमें संसार की तकनीकी प्रगति और निरन्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखकर उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें तीन चीजें करनी पड़ेंगी: उत्पादन में निर्धारित योजना के अनुसार, सीढ़ी-दर-सीढ़ी-वृद्धि करना; उपभोग की मात्रा सीमित-निर्धारित करना; और पूंजी जैसे भी और जितनी हो सके प्राप्त करना। जरूरत इस बात की है कि इनको समझदारी के साथ किया जाय। हमारी अर्थ-व्यवस्था में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमने काफी पूंजी लगा रखी है इस विचार से कि उनका उत्पादन शीघ्र ही काफी बढ़ जायेगा और तब उसके फलस्वरूप काफी जनता को एक अधिक ऊंचे आय-स्तर पर रोजगार जुटाया जा सकेगा। लेकिन हम उन क्षेत्रों का संचालय कार्य–क्षमता के साथ नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारी असफलता है।

हमने तकनीकी विकास की पद्धति अपना तो ली है, पर हम उसकी अपेक्षाओं की पूर्ती नहीं कर पा रहे हैं, उस के सांचे में अपने को ढाल नहीं पा रहे हैं। पिछले दस साल में हमारी वृद्धि की रफ्तार केवल ३.५ प्रतिशत रही है। और इस बीच में जन संख्या भी दो प्रतिशत बढ़ गई है। इसलिये हम बड़ी चींटी चाल से आगे बढ़े हैं। इसीलिये जनता के लिये रोजगार की यथेष्ट संभावनायें पैदा नहीं की जा सकीं हैं। हम ने एक साल में कराधान की दर १४ प्रतिशत बढ़ाई, और

[श्री अशोक महता]

साथ ही जनता पर अनिवार्य बचत की योजना भी थोपी, फिर भी आगे बढ़ने की हमारी रफ़्तार धीमी ही रही। तृतीय योजना के समाप्त होते-होते, बेरोजगारी घटेगी नहीं, बल्कि आप के मुकाबले ५०-६० लाख और बढ़ जायेगी।

अभी इस समय सरकार ७२ औद्योगिक संस्थायें चला रही है। उन में ७ अरब रुपये का विनियोजन किया गया है। हमें उन से ३ करोड़ ६० लाख रुपये की आय की आशा है, दूसरे शब्दों में ०.५१ प्रतिशत की दर से लाभ होने की आशा है। इतने पर भी हम सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कार्यक्षम और सुसंगठित बनाने के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सरकारी उद्यमों को ऐसे चला रहे हैं जैसे डाकखाने चलाये जाते हैं। समवाय विधि प्रशासन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन का १०वां अध्याय जरा देखिये। उस में गिनाया गया है कि सरकारी क्षेत्र में क्या-क्या खामियां हैं। न उचित मूल्य-नीति है, न आन्तरिक लेखे की कोई कार्यक्षम पद्धति; और आन्तरिक लागत-लेखा तो जैसे है ही नहीं। इस पर भी वित्त मंत्री कहते हैं कि सरकार को कुछ समय और दीजिये, थोड़ा रुकिये। मैं कहता हूं कि हमारे देश में और सभी चीजें सस्ती हैं, सिर्फ समय ही सब से मंहगी वस्तु है, सब से दुर्लभ वस्तु है। हमें विकास करना है और उस के लिये हमारे पास बहुत ही कम समय है। बस हमें समय के दुरुपयोग और उस के अपव्यय का ही अधिकार नहीं, बिलकुल अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका मतलब होगा इमारत की नीवें खोखली करना।

दूसरी ओर निजी क्षेत्र है। वहां निजी समवायों की संख्या बेतरह बढ़ती जा रही है--उन में ८५ से ९० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस से स्पष्ट है कि हमारे प्रधान मंत्री ने सही कहा है कि देश की जनता विकास के लिये कटिबद्ध हो गई है।

नये समवायों का प्रादेशिक बंटवारा भी बड़ा अच्छा रहा है। वह अधिक समानता की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण भारत में वह १५ से बढ़कर २९ हो गया है। जबकि पूर्वी और उत्तरी भारत में, नये समवायों के गठन की गति धीमी रही है और पश्चिम भारत में ज्यों की त्यों बनी रही है। यह बड़ा अच्छा लक्षण है। जनता ने उद्योगों के प्रति यह जो उत्साह दिखाया है उस के लिये उसको बधाई दी जानी चाहिये।

लेकिन कुछ प्रतिकूलतायें भी हैं। सरकारी सीमित समवायों में से केवल १० प्रतिशत समवाय ही ऐसे हैं, जिनके शेयर स्टाक एक्सचेंजों के जरिये बिकते हैं। इन १० प्रतिशत समवायों के पास सरकारी सीमित समवायों की समग्र पूंजी की ४६ प्रतिशत पूंजी है। १९५० और १९६० के बीच देश की सर्वोच १० व्यावसायिक संस्थाओं ने अपनी प्रगति दोगुनी और चौगुनी कर ली है। उन के पास देश के कुल समवायों की समग्र प्रदत्त पूंजी का ६७ प्रतिशत है।

मेरे पास एक व्यावसायिक संस्था की ओर से आया हुआ एक पत्र है। उस से पता चलता है कि वह संस्था ३३० समवायों का प्रबन्ध करती है, जब कि समवाय अधिनियम के अनुसार एक संस्था दस से अधिक समवायों की प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं बन सकती। माननीय वित्त मंत्री अपने रिकार्ड देखलें। उन को इसकी जांच करनी चाहिये और अगर यह बात सही है तो बड़ी शर्मनाक है।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : सभा को उस पत्र का पूरा पाठ बताया जाना चाहिये । उसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर) : क्या यह नियम नहीं है कि यदि कोई सदस्य किसी ज्ञापन में से कुछ उद्धृत करें, तो वह ज्ञापन पटल पर रखना पड़ेगा ?

†**श्री अशोक मेहता** : मैं ने केवल उद्धरण ही पढ़ कर सुनाये हैं । मैंने इसीलिये व्यावसायिक संस्था का नाम नहीं बताया है । मैं उस पत्र को सभा पटल पर नहीं रखना चाहता । हां, आपको दिखा सकता हूं । मैं वित्त मंत्री को भी वह पत्र दिखा सकता हूं । मैं वह उद्धरण सभा पटल पर रख सकता हूं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : आपका विनिर्णय क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर अभी विचार करता हूं । माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

†**श्री अशोक मेहता** : इस तरह के विकास का परिणाम यही होता है कि निजी क्षेत्र अधिकाधिक शक्तिशाली और एकाधिकारी बनता जाता है । अमरीका में भी यही हुआ था । यदि इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो हमारी औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था पर कुछ मुट्टी भर व्यावसायिक संस्थाओं का अधिकार हो जायेगा । इसलिये हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिये ।

वित्त मंत्री ने इसे रोकने के लिये सुझाव रखा है कि सहायक समवायों का निर्माण अपेक्षाकृत कठिन बनाया जाये । लेकिन उस से हमारी औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में पूंजी-धारियों की संख्या नहीं बढ़ेगी ।

हमारी अर्थ-व्यवस्था का ढांचा बदल चुका है । उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन तो केवल ४५ प्रतिशत बढ़ा है, पर मध्यम उत्पादों और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ८५ प्रतिशत बढ़ गया है । इसीलिये आवश्यकता इसी बात की थी कराधान के ढांचे और अधिक विविधिकरण हो । वित मंत्री ने यही किया है और इसी के लिये मैं ने उन को बधाई दी है । लेकिन अब हमें देखना यह है कि यह आय-व्ययक समस्त समाज के हितों की दृष्टि से संतोषजनक है या नहीं ।

इस नयी आर्थिक परिस्थिति में, इस विकासशील अर्थ-व्यवस्था में हमें आय-व्ययक बनाने के नये-नये ढंगों और पद्धतियों की खोज करनी पड़ेगी । इस क्षेत्र में अभी बड़ी गुंजाइश है । इस दिशा में अभी बहुत कम कार्य हुआ है ।

भारतीय सांख्यकीय संस्था ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत में कारखानों की केवल ४०--४५ प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो पाता है । इसे बढ़ना चाहिये ।

कराधान ऐसा होना चाहिये कि जिस से पूंजी-बचत को प्रोत्साहन मिले ।

१९५१ से १९६१ तक के काल में विकास संबंधी व्यय के साथ अनुपात बदल चुका है । वह जहां पहले ४८:५२ था, अब ६६:३४ हो गया है । यह बड़े संतोष की बात है ।

पूंजी-निर्माण का आधा भाग ऋणों, विदेशी सहायता और घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा जुटाया जा रहा है । इसका लाजिमी नतीजा है कि मूल्य ऊंचे चढ़ेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

मैं स आय-व्ययक को सामाजिक हित की दृष्टि से दोषपूर्ण इसीलिये कहता हूं कि एक ओर तो हम विनियोजन पर इतना अधिक ध्यान दे रहे हैं कि सामाजिक सामान्यता की कोई कोशिश भी नहीं करते, और दूसरी ओर हम एकाधिकारी प्रवृत्ति को भी नहीं रोक पा रहे हैं।

इसीलिये मैं कहता हूं कि इस नाजुक दौर में माननीय वित्त मंत्री ने आय-व्ययक के जरिये देश की अर्थ-व्यवस्था को एक नई दिशा देने की दूरदर्शिता नहीं दिखाई है ।

†अध्यक्ष महोदय : श्री अ० प्र० जैन के भाषण से पहले, मैं सभा पटल पर पत्रों या ज्ञापनों के रखने के बारे में जो नियम हैं वे आपको बताना चाहता हूं । नियम यह है कि यदि कोई मंत्री किसी ज्ञापन विशेष का उल्लेख करें, तो सभा उस ज्ञापन को सभा-पटल पर रखने का अनुरोध कर सकती है । यदि उसे सभा पटल पर रखने से लोकहित को कोई खतरा पैदा हो सकता हो, तो मंत्री उस से इन्कार कर सकते हैं ।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों की बात है, वे हर पत्र सभा-पटल पर नहीं रख सकते । उस को पहले अध्यक्ष के सामने रखा जाना चाहिये । अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही गैर-सरकारी सदस्य उसे सभा-पटल पर रख सकते हैं । मुझे ऐसा कोई भी नियम नहीं मिला है जिस के अन्तर्गत मैं गैर-सरकारी सदस्यों को सभा-पटल पर रखने के लिये बाध्य कर सकूं । लेकिन अच्छा यही होगा कि यदि सभा के सदस्य चाहते हों तो वह पत्र स्वयं माननीय सदस्य द्वारा पटल पर रख दिया जाये । तब अन्य माननीय सदस्य स्वयं देख लेंगे कि उद्धरण ठीक है या नहीं । इसलिये ऐसी परिस्थिति में गैर-सरकारी सदस्य को ऐसे पत्र या कम से कम वे उद्धरण पटल पर रखने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

†श्री अशोक मेहता : यदि संस्था या व्यक्ति का नाम मुझ से न पूछा जाये, तो मैं वह उद्धरण पटल पर रखने के लिये तैयार हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : उद्धरण ही को सभा-पटल पर रखना काफी होगा*

†श्री अ० प्र० जैन : मेरा यह प्रयोजन कभी नहीं था कि पत्र-लेखक का नाम बताया जाये । मैं यही चाहता था कि संगत उद्धरण पटल पर रख दिया जाये ।

मैं ने सभा के नेता और विरोधी दल के नेता---दोनों के भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुने हैं ।

श्री डांगे ने एक बुनियादी थ्योरी पेश करने की कोशिश की है । उन्हों ने कहा है कि समाजवाद की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य वृद्धि नहीं होती । मेरा अनुभव कुछ और है । मैं १९३९ में सोवियत यूनियन गया था । वहां उस समय सभी वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊंचे चढ़े हुए थे । मॉस्को में सभी विदेशी यात्री अपनी पुरानी चीजें अच्छे दामों पर बेच रहे थे ।

१९५५ में, मैं चैकोस्लोवाकिया गया था । एक जोड़ी जूते की कीमत ढाई सौ रुपये थी । वही जो यहां २०-३० रुपये में मिलता है । यहां जो ऊनी कपड़ा २५-३० रुपये गज मिलता है, वही ढाई सौ रुपये गज मिल रहा था । कम्युनिस्ट देशों में मूल्य बहुत ऊंचे हैं, भारत से कहीं ज्यादा ।

श्री डांगे की यह बात भी ग़लत है कि कम्युनिस्ट देशों में अप्रत्यक्ष करों का सहारा नहीं लिया जाता । उत्पादन-कर और क्या होता है ? श्री डांगे ने एक और बड़ा विचित्र सुझाव दिया था कि उत्पादन-शुल्क लगाते समय आदेश निकाल कर मूल्य-वृद्धि रोकी जाय ! क्या यह व्यावहारिक है?

---

†मूल अंग्रेजी में

*श्री अशोक मेहता द्वारा रखा गया उद्धरण बिलकुल वही है, जो उन्हों ने सभा में पढ़ा था ।

कम्युनिस्ट देशों में होता यह है कि राज्य द्वारा नियंत्रित मूल्य पर बिक्री की दुकानों के पास ही दूसरी दुकानें होती हैं—सहकारी क्षेत्र की दुकाने, जिन में दोगुने-तीन गुने मूल्य रहते हैं। एक जमाना था जब उन को ही काला बाजार कहा जाता था। रूस अभी तक समूची अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में मूल्य-नियंत्रित नहीं कर पाया है। श्री अशोक मेहता ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि हमारे देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में यह प्रवृत्ति है कि धनी और भी धनी होते जा रहे हैं तथा सारा धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो रहा है। मेरे विचार से हमारे वित्त मंत्री इस बुराई से अवगत हैं तथा वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्री अशोक मेहता ने यह भी कहा है कि प्रगतिशील टैक्नोलोजी और रोजगार के बीच समायोजन करना चाहिये। हम दोनों में से एक भी पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं अतः इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

वित्त मंत्री ने मुख्यतः अप्रत्यक्ष कर ही लगाये हैं। तथापि मेरे विचार से अभी प्रत्यक्ष करों में भी कुछ गुंजाइश है उदाहरणार्थ वे अतिलाभ कर लगा सकते हैं।

वित्त मंत्री ने कुछ प्रकार के मशीनों के पुर्जों में ५ से १० प्रतिशत तक सीमाशुल्क लगाया है। इस का यह फल होगा कि प्रत्येक उपक्रमी को सामान्य लाभ से ५ या १० प्रतिशत अधिक लाभ होगा, इस में से होने वाले कुल लाभ का यदि ४५ प्रतिशत निगम कर के रूप में ले लिया जायेगा तो भी उन के पास काफी लाभ बच रहेगी। वित्त मंत्री को इस लाभ को लेने की कोशिश करनी चाहिये। वित्त मंत्री को चाहिये था कि वे इसी अनुपात में उत्पादन प्रतिशुल्क लगा लेते इस का यह परिणाम होता कि जो लाभ इस समय उपक्रमी को मिल रहा है वह राज्य को प्राप्त होता।

एक विचित्र बात यह है कि मुख्य शुल्कों से जो आय होगी वह १० लाख रुपये है जबकि प्रतिशुल्कों (काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़) की कुल रकम १२ लाख रुपये हैं। मैंने पिछले २५ वर्ष से ऐसा बजट नहीं देखा जहां कि मुख्य शुल्क से होने वाली आय प्रतिशुल्क से कम हो। मेरे विचार से वित्त मंत्री तथा उस के अधिकारियों को इस ओर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। मिट्टी तेल के उत्पादन शुल्क में जो वृद्धि की गई है मैं उस से सहमत नहीं हूं। यद्यपि वित्त मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया है कि इस से केवल दो नये पैसे प्रति बोतल वृद्धि होगी तथा सच्चाई यह है कि इतनी वृद्धि से विदेशी मुद्रा में होने वाले व्यय में कोई कमी नहीं होगी। यह भी कहा गया है कि यह वृद्धि केवल बढ़िया प्रकार के तेल में की गयी है तथापि इससे घटिया प्रकार के तेल का दाम भी अवश्य बढ़ेगा और इस प्रकार गरीब आदमी की जेब पर भार पड़ेगा।

अब मैं सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सम्बन्धों को लेता हूं। तीसरी योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि सरकारी क्षेत्र में ६,३०० करोड़ रुपयों का और गैर-सरकारी क्षेत्र में ४,१०० करोड़ रुपयों का विनियोजन किया जायेगा। इस में सन्देह नहीं कि सरकार सभी प्रकार से गैर-सरकारी क्षेत्र को सहयोग और समर्थन देती है तथा क्या गैर-सरकारी क्षेत्र भी सरकारी क्षेत्र की सहायता करता है।

इस सम्बन्ध में हम ने अभी तक किसी निश्चित नीति की घोषणा नहीं की है। वस्तुतः गैर-सरकारी क्षेत्रों को बहुत लाभ हो रहा है। यदि इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठा किये जायें कि देश के कुछ बड़े व्यवसायिक फर्मों की आर्थिक स्थिति में १६३६ से आज तक कितना अन्तर आ गया है तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि धनी व्यक्ति और भी अधिक धनी होते जा रहे हैं। अतः सरकार को चाहिये कि इन उपक्रमियों को जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है उसे सरकारी क्षेत्र में लगाने के लिये कुछ निश्चित नीति अपनाई जाय।

[श्री अ० प्र० जैन]

अब मैं बोनस अंशों पर कर के प्रश्न को लेता हूं। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि श्री अशोक मेहता ने बोनस अंशों पर शुल्क की कमी का समर्थन किया है। वित्त मंत्री ने यह सुझाव रखा है कि बोनस अंशों पर शुल्क ३० प्रतिशत से हटा कर १२ प्रतिशत कर दिया जाय। वे चाहते हैं कि अंशों का विस्तार हो और बहुत बड़ी राशि रक्षित राशि के रूप में न रह जाये। यदि वित्त मंत्री की योजना को स्वीकार कर लिया गया तो इस से आय-कर का अपवचन होगा। मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे मेरे सुझाव पर विचार करें और कम से कम उन बोनस अंशों पर जो कि समवाय के रक्षित अंश से जारी किये जाते हैं ३० प्रतिशत कर लिया जाय।

यह कहा गया है कि तीसरी योजना की अवधि में ४४० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र से होने वाले मुनाफे से आयेंगे। इस का यह अर्थ हुआ कि लगभग ६० करोड़ रुपये की प्राप्ति आगामी वर्ष में सरकारी क्षेत्र से होगी। तथापि बजट पत्रों में इस के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस में न तो यह कहा गया है कि कितने कारखाने खोले जायेंगे और न यह ही कहा गया है कि उन से कितना मुनाफा निकलेगा।

मैं यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री के भाषण अथवा बजट पत्रों में सरकारी क्षेत्र का जिक्र किया जाय। तथा उन में सरकारी क्षेत्र के परियोजनाओं का पुनरीक्षण उन के लाभ, कीमत संबंधी नीति तथा बातों का उल्लेख होना चाहिये।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार को करों से ३५० करोड़ रुपये एकत्र करने हैं। पहिले वर्ष ही वित्त मंत्री ने इस का ३० से ३५ प्रतिशत तक रुपये एकत्र कर दिये हैं। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मुझे हर्ष है कि साम्यवादी दल के नेता ने पिछले दस वर्षों में हुई प्रगति के लिये सरकार को बधाई दी है। उन्हें यह भी कहना चाहिये था कि यह प्रगति लोकतंत्रीय तरीके से हुई है।

राज्य सभा में वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या विकास कार्यों का लाभ गांवों को भी मिल सका है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी सड़कों, अच्छे पीने के पानी तथा अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के रूप में सब को मिला है।

कृषि श्रम जांच समिति का प्रतिवेदन इस सम्बन्ध में जानकारी से परिपूर्ण है। उस में कहा गया है कि २५ प्रतिशत कृषक श्रमिकों की अवस्था में भी सुधार नहीं हो रहा है अपितु उन की अवस्था गिरी है यदि ऐसा है तो निस्सन्देह बहुत दुख की बात है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्र को ४५० करोड़ रु० करों से एकत्र करना था किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस के स्थान पर १०४१ करोड़ रुपये एकत्र कर लिये हैं। इसी प्रकार यद्यपि इस वर्ष तृतीय योजना के अन्तर्गत ६३ करोड़ रु० एकत्र किये गये हैं और कहा गया है कि तीसरी योजना के करों का ३३ प्रतिशत जमा हो गया है। मेरे विचार से योजना के दौरान जमा होने वाली राशि अधिक रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री ने यह बात स्वीकार की है कि यद्यपि हम आर्थिक नीति का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं और आय की विषमतायें दूर करना चाहते हैं तथापि व्यावहारिक रूप से अमीर अधिक अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब अधिक गरीब बनते जा रहे हैं । कर नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि करों का बोझ सब पर समान पड़े और बढ़ी हुई आय का समान वितरण हो ।

सरकार कीमतों को रोकने में बिल्कुल असमर्थ रही है १९६० में भी मूल्य देशनांक में ७.५ की वृद्धि हुई है । वस्तुतः सरकार की नीति ही इस के लिये जिम्मेदार है ।

१९६० में यद्यपि सरकार ने घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं रखी तथा बैंकों से ऋण नहीं लिया तथापि कीमतों में वृद्धि हुई इसका कारण यह है कि बैंकों द्वारा ८० से ८५ प्रतिशत तक रुपया पेशगी के तौर पर गैर सरकारी फर्मों को दिया गया और उन्होंने इसका उपयोग सट्टेबाजी में किया ।

वित्त मन्त्री ने यह कहा है कि यदि बजट प्रस्तावों की घोषणा होने के पश्चात् कुछ व्यापारियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं तो उसके जिम्मेदार नहीं हैं । मेरे विचार से मुनाफाखोरी को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है । सरकार को कीमतों पर नियन्त्रण करने में कड़ाई से काम लेना चाहिये सरकार एक ओर तो समाजवादी ढांचे की अर्थ व्यवस्था तथा समानता के सिद्धान्तों को अपनाती है और दूसरी ओर वह व्यापारियों के चंगुल से उपभोक्ताओं को बचाने में असमर्थ है । उपभोक्ता की भी एक सीमा होती है वह उससे अधिक दबाव बरदाश्त नहीं कर सकता है । अभी तक जनता करों के भार को खुशी खुशी वहन कर रही है तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उपभोक्ताओं के शोषण करने की उन्हें पूरी छूट मिले । इस मामले में सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ।

अब मैं कर प्रस्तावों को लेता हूं । घटिया कार के तम्बाकू पर और बढ़िया प्रकार के मिट्टी के तेल पर शुल्क लगाया गया है । इसका प्रभाव बीड़ी और घटिया प्रकार के मिट्टी के तेल पर भी पड़ेगा । और ये वस्तुएं जिनका उपयोग मुख्यतः गरीबों द्वारा किया जाता है, उनकी कीमतों में वृद्धि होगी ।

करारोपण की नीति ऐसी होनी चाहिये कि उससे राज्य नीति के बुनियादी सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़े । अभी तक देश की बारह बड़ी फर्मों के हाथ गैर सरकारी क्षेत्र की ५० से ६० प्रतिशत तक पूंजी केन्द्रित है । यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है इस पर कोई अंकुश नहीं रखा गया है । सरकारी अधिकारियों का रवैया, उनके द्वारा जारी किये गये निदेश इस प्रकार के होते हैं कि उनसे इस प्रकार के केन्द्रीकरण को सहायता ही मिलती है ।

प्रत्यक्ष करों द्वारा केवल ३ करोड़ रुपये एकत्र किये गये हैं जबकि अप्रत्यक्ष करों द्वारा ६० करोड़ रुपये एकत्र किये गये हैं । वित्त मन्त्री को चाहिये कि वे अतिरिक्त लाभ कर भी लगायें । इससे काफी आय होगी और जनता को यह अनुभव होगा कि सभी पर कर लगाया जा रहा है ।

सरकार ने फर्मों के मनोरंजन व्यय पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं । मैं इनसे सहमत हूं । तथापि ये फर्में पदनिवृत्त सरकारी अधिकारियों को बहुत बड़ी तनख्वाहें देकर सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करती हैं और ये अधिकारी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं अतः इन पर रोक लगानी चाहिये ।

तीसरी योजना के लिये ७५०० से ८००० करोड़ के व्यय का अनुमान किया गया है । मैं यह नहीं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में वित्त आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है या नहीं। केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली राशियो में तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार परिवर्तन होगा । अतः केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली राशियों में तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार परिवर्तन की व्यवस्था करनी चाहिये ।

[श्री अ० चं० गुह]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान करों से १०४१ करोड़ रुपये एकत्र किये गये उसमें से केवल २४ प्रतिशत विकास कार्यों में व्यय किये गये इससे जनता के हृदय में सन्देह पैदा होता है कि उनके द्वारा दिये गये करों का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरे विचार से अब भी प्रशासन में मितव्ययता की गुंजायश है। अपेक्षाकृत प्रभावशाली जोन बना दिये जायें।

प्रशासन को अधिक कुशल और भ्रष्टाचार रहित बनाने की आवश्यकता है। प्रशासन में अभी सुधार की काफी गुंजायश है सरकार को इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिये।

†**डा० कृष्णास्वामी** (चिंगलपट) : हमें एक गम्भीर स्थिति का सामना करना है। यदि हम कर लगाते हैं तो वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं यदि नहीं लगाते हैं तो मांग बढ़ने से स्वतः ही कीमतों में निरंकुश वृद्धि हो जायगी।

यद्यपि सभा की सलाह से सरकार ने अधिक विनियोग व्यय नहीं किया है तो भी आगामी वर्षों में विनियोग व्यय के अधिक बढ़ने की सम्भावना है अतः हमारे पास केवल यही मार्ग है कि हम करों का व्यापक विस्तार करें।

वित्त मन्त्री ने एक अच्छे सिद्धान्त का अनावश्यक सीमा तक प्रयोग किया है फलस्वरूप इससे उल्टे परिणाम होने की सम्भावना है। उदाहरणार्थ पूंजीगत माल के आयात पर रोक लगाना उचित नहीं है और मिट्टी तेल व डीजल पर शुल्क लगा कर एक तो मार्ग परिवहन पर आघात होगा और और दूसरे सुदूर गांवों पर रहने वाले गरीब व्यक्तियों पर भी इसका प्रभाव होगा।

अतः हम इन शुल्कों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव देंगे आशा है सरकार इन संशोधनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

माननीय वित्तमन्त्री ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि कराधान, अर्थनीति ही का एक साधनमात्र है। इससे असहमति नहीं हो सकती। किन्तु इसके साथ ही हमें यह भी देखना होता है कि व्यय किस दिशा में हो रहा है। सरकार को इस चीज का निश्चय करना है कि अर्थ व्यवस्था में किसी सीमा तक असन्तुलन रह सकता है और किन किन क्षेत्रों में मांग की अपूर्ति सहन की जा सकती है। कच्चे माल के क्षेत्र में यह अभाव असहनीय है। अनाज और कपड़े का अभाव सहा नहीं जा सकता।

अतः साधनों के आवंटन में सरकार को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा। हर क्षेत्र के महत्व को समझ कर तदनुसार व्यवस्था करनी होगी। उदाहरणार्थ यदि सरकार अलौह धातुओं के आयात को सीमित करना चाहती है अर्थात् तारों आदि के आयात को तो उसे वातानुकूलन यंत्रों के नये कारखानों की स्थापना की अनुमति नहीं देनी चाहिये। योजना आयोग को इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिये। सीमित साधनो का प्रयोग ऐसे क्रम से होना चाहिये कि अनिवार्य चीजों पर पहले व्यय हो और साधारण चीजों पर बाद में।

निरोध तथा मितव्ययता की बात की जाती है पर हमें यह तो सोचना चाहिये कि क्या हमारी सरकार वास्तव में इसके महत्व को समझती है? अधिक कर लगा कर कुछ चीजों को अधिक महंगा कर देने से ही हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिये योजना आयोग तथा सरकार को प्राथमिकताओं का सही निर्धारण करना चाहिये। भारत जैसे विकासोन्मुख देश में विनियोजन सम्बन्धी नीति को ठीक दिशा देना अत्यावश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें आशा है कि योजना आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने का हमें पर्याप्त अवसर मिलेगा। तब हम यह देखेंगे कि क्या भारत के विशेषज्ञों ने देश की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी समझा है या नहीं।

जहां तक अनाज के मूल्यों का सम्बन्ध है १९५२–५३ की अपेक्षा गेहूं के मूल्यों में १० प्रतिशत की कमी हुई है। दूसरे अनाज के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस कारण इस समय हमें अनाज की पैदावार में ही सबसे ज्यादा पूंजी लगानी चाहिए ताकि जनता को खाने पीने की ो सुविधा रहे।

इन बातों के अलावा हमें संगठनात्मक प्रशासन को भी सुदृढ़ करना चाहिये। सरकार का विचार गलत है कि संगठनात्मक विकास पर धन का व्यय नहीं होता। आज हमारे योग्य पदाधिकारी जिलों में काम करने की बजाय सचिवालय में आना ज्यादा पसन्द करते हैं। सरकार को चाहिए कि उन्हें उपयुक्त प्रेरणा देकर जिलों में सेवा करने पर तत्पर करे। विकास सम्बन्धी काम ही श्रेष्ठ काम है।

घटिया चाय की खेती पर रोक लगाने के लिये सरकार ने आर्थिक उपाय का प्रयोग किया है किन्तु इतना ही काफी नहीं है। चाय बोर्ड को भी अच्छी किस्म की चाय पैदा करने का उद्योग करना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो पूर्वी अफ्रीका के देशों की चाय के मुकाबले हमारी चाय कोई न खरीदेगा।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है उस विषय में आय कर विभाग को निराशापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए विभिन्न विभागों में अधिकाधिक समन्वय करने से हम इन करों की आय बढ़ा सकते हैं। यह विचित्र बात है कि भारत जैसे विशाल देश में प्रत्यक्ष कर देने वाले लोगों की संख्या केवल १०,००० ही हो। यदि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड मे सब का इन्डेक्स रखा जाय तो काम ठीक ढंग पर चल सकता है।

माननीय वित्त मन्त्री अब यह सोच रहे हैं कि सारे देश में मद्य निषेध लागू कर दिया जाय किन्तु ऐसी नीति अपनाने से राज्यों की वित्तीय स्थिति बड़ी खराब हो जायगी। यह पुरानी नैतिकता हमें दूर फेंकनी चाहिये। मेरा विचार है कि आर्थिक दृष्टि से मद्य निषेध लागू करना हानिकारक है।

प्रत्यक्ष करों के बारे में मैं वित्त विधेयक के समय अपने विचार रखूंगा। वस्तुतः हमारी अर्थ व्यवस्था तभी प्रगति कर सकती है जबकि मुद्रा का फैलाव रुक जाय और आवश्यक चीजों का उत्पादन बढ़े। तभी जनसाधारण सुख से रह सकता है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा): माननीय वित्त मन्त्री ने बजट को स्पष्ट रूप से पेश किया है और इससे हमें देश की प्रगति का भी ज्ञान होता है। किन्तु मैं प्रार्थना करती हूं कि वे हमें ऋणों की जानकारी सामूहिक रूप से दिया करें ताकि हम बजट को ठीक तरह से समझ पायें।

हम प्रगति कर रहे हैं, यह बात तो स्पष्ट है। गांवों में जाकर देखते हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं और तरह तरह के काम हो रहे हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यद्यपि सामूहिक कार्य प्रशंसनीय है तब भी हमें सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये। अभी तीसरी योजना शुरू हो गयी है किन्तु उसे अन्तिम रूप देने से पूर्व हमें यह सोचना होगा कि अब सामाजिक बराबरी की योजनाओं को चलाने की व्यवस्था हम कैसे करें। हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है। अभी शिक्षा के क्षेत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

श्री डांगे के वक्तव्य से हमें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। श्री जैन ने बताया कि हम बाटा के जूते निर्यात करते हैं और रूस में एक जोड़ी ८५ रुपये तक बिकती है। यह प्रवृत्तियां मनन योग्य हैं।

अप्रत्यक्ष करों को जनसाधारण पर भार माना जाता था परन्तु इस वर्ष के बजट में सरकार ने अधिक अप्रत्यक्ष करों ही का निर्धारण किया है। इससे जनता पर भार पड़ेगा। हमारी जनता पहले ही गरीब है। अतः सरकार को ठीक समझ से काम लेना चाहिए। यह ठीक है कि तीसरी योजना के पहले वर्ष में वित्त मंत्री ६२ करोड़ रुपया करों से प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु जनता के स्तर का ध्यान भी तो रखना चाहिये। इन करों का भार ज्यादातर वेतन पाने वाले दरम्याने दर्जे के लोगों पर ही पड़ता है।

वित्त मंत्री यह कर इस कारण लगा रहे हैं कि चीजों का उपभोग कम हो और इस तरह बचत होने लगे किन्तु उनकी यह धारणा गलत है। एक चीज के ऊपर कर लगने से उसी वर्ग की सभी चीजें महंगी हो जाती हैं और इस प्रकार मुद्रा बाहुल्य का प्रभाव कम नहीं हो पाता।

शराब और सिगरेटों पर कर लगाना तो उचित है लेकिन मिट्टी के तेल पर कर लगाना किधर का न्याय है। गांवों की जनता इसी से अपने घरों को प्रकाशित करती है और बच्चे इसी की रोशनी में पढ़ते हैं। यदि गांव वालों को फिर से घटिया तेल इस्तेमाल करना पड़ा तो उन्हें काफी हानि होगी। अतः माननीय मंत्री को इस दिशा में रियायत देनी चाहिए।

इस कर व्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक न्याय से आवेष्टित होना चाहिए। इस समय वेतन भोगी जनता को पूरा कर देना पड़ता है और दूसरे लोग अपवंचन कर जाते हैं। अतः जिनको अधिक लाभ की प्राप्ति हो उन पर अधिक कर लगना चाहिए जो वसूल करना भी आसान होता है।

यद्यपि कर अपवंचन की काफी रोकथाम हुई है तथापि और ज्यादा रोकथाम की जानी चाहिए। इससे जो लोग बेईमानी से धनवान बन रहे हैं उनकी स्थिति ठीक हो जायगी। हमारे समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिएं।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि धन विधेयकों को पारित करने का काम लोक-सभा का है अतः माननीय वित्त मंत्री को दूसरी सभा में किन्हीं ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकृत करने का वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो इस सभा के सामने न आए हों।

श्री अनिरुद्ध सिंह (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में वर्तमान शासन पद्धति के अन्तर्गत शासन चालू होने के कुछ ही दिनों के बाद देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। अभी द्वितीय पंच वर्षीय योजना को बीतने को केवल दो सप्ताह रह गये हैं। परन्तु हमें देखना है कि विगत दस वर्षों में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च करके हमने देश के सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में क्या परिवर्तन किए हैं। राष्ट्रीय विकास का काम देश में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए है। अभी तक राष्ट्रीय विकास सेवा का प्रसार देश के करीब करीब तीन चौथाई भाग में हुआ है और संभव है कि १९६३ तक तमाम देश में यह फैल जाए। जहां तक आंकड़ों का सवाल है इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े देश में राष्ट्रीय सेवा का प्रसार हो जाना कोई मामूली बात नहीं है और कोई भी सरकार अपने लिए इस पर गौरव अनुभव कर सकती है। राष्ट्रीय विकास योजना गांवों में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है

गांवों में अच्छी खेती हो, पैदावार बढ़े, अच्छी अच्छी सड़कें बनें, स्कूल खुलें, अस्पताल खुलें और छोटे छोटे कल-कारखाने चालू हों ताकि लोगों को रोजी मिले। अब देखना यह है कि इतना खर्च करके हम अपने लक्ष्य की पूर्ति में कितनी दूर तक पहुंच पाये हैं।

देहाती क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्यों को स्वयं का अनुभव होगा कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने के बावजूद भी देहातों में बसने वाले और खास तौर पर मध्यम श्रेणी के लोगों की आर्थिक दशा दिनोंदिन नीचे जा रही है और वे भविष्य के लिये शंकाशील हो उठे हैं। वे विकास के कार्यों में गति चाहते हैं किन्तु गति आ नहीं पा रही है। मुश्किल तो यह है कि हमारी सरकार योजना की सफलता कागजों पर तथा उसके खर्च के अनुपात पर कूतती है, उसके भौतिक रूप को देख कर नहीं। हमारे देश की आबादी का करीब ८३ प्रतिशत भाग गांवों में बसता है और आबादी के आधे से अधिक भाग में राष्ट्रीय विकास सेवा का प्रसार हो चुका है किन्तु गांवों के जीवन में, उनके आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि शहरों की आबादी धड़ल्ले से बढ़ रही है। राष्ट्रीय विकास के कार्यों में जहां जन-सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है वहां सरकारी अफसरों की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। इस काम में कोई परिवर्तन न देख कर लोग क्षुब्ध हैं। बेचारे देहातों में रहने वाले लोग भारत सरकार की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। राष्ट्रीय विकास कार्य के लिये जो अफसर नियुक्त हैं उनका काम विकास कार्यों से कम रहता है किन्तु प्रशासनिक कार्यों से अधिक रहता है। अगर यही ढांचा राष्ट्रीय विकास कार्य के प्रशासन का रहा तो भगवान ही जाने, इसका भविष्य क्या होगा।

सबसे पहले यातायात की सुविधा को आप लें जो ग्राम्य जीवन के विकास के लिये परम आवश्यक है। मैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर नहीं किन्तु निजी अनुभव के आधार पर कुछ उत्तर बिहार और खास कर दरभंगा जिले की समस्या सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि उत्तर बिहार की आबादी बड़ी घनी है। उसके २१,१५९ वर्ग मील में सवा दो करोड़ लोग बसते हैं उसकी आबादी आसाम से दूनी, उड़ीसा, पंजाब और केरल से अधिक है किन्तु अन्य राज्यों के विकास पर जितना खर्च हुआ है उसका १००वां हिस्सा भी उत्तर बिहार में खर्च नहीं हुआ। उत्तर बिहार में तो हर जगह पर रेल है भी नहीं। वहां की व्यापार की बड़ी बड़ी मंडियां जिला और सब डिवीजन के सदर मुकाम से पचासों मील पर बनी हुई हैं। पहले तो मंडियों को अच्छी अच्छी सड़कें जिला और सब डिवीजनों के सदर मुकामों से मिलाती थीं, लेकिन जब से देश में विकास का कार्य प्रारम्भ हुआ है, उन सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई है। फलतः उनकी दशा इतनी खराब हो गई है कि बैलगाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। परिणाम यह हुआ है कि देहाती बाजार गिर रहे हैं और उनकी चिताओं पर बड़े शहरों तथा रेल हैड के नजदीक बाजार पनप रहे हैं, जिससे देहातों में बड़ी बेकारी फैल रही है, उनका जीवन स्तर नीचे गिर रहा है, उनकी आर्थिक दशा चिन्तनीय हो रही है और वह दिन दूर नहीं है जब वह अपना धैर्य खो बैठें। दरभंगा जिले के मधुबनी सब डिवीजन की आबादी १६ लाख है, जो कि आबादी के खयाल से देश का सब से बड़ा सब डिवीजन है। उसके तीन चौथाई लोग मधुबनी सदर मुकाम से पूर्व की ओर बसते हैं, लेकिन, हालांकि विकास कार्य प्रारम्भ हुए दस वर्ष हो गये, एक बालिश्त अलकतरा सड़क पूर्वी इलाके को मधुबनी से मिलाने के लिये नहीं बनी हैं, यद्यपि वह सीमा क्षेत्र है और मधुवनी के बाद नेपाल ही है।

सन् १९६० में रेलवे प्रशासन की ओर से बिहार में ८ रेलवे आउट एजेन्सीज खोलनी मंजूर हुई थीं, जिसमें से पांच केवल मधुबनी के पूर्व के इलाकों के लिये थीं, कारण यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और सीमावर्ती क्षेत्र है। लेकिन रेलवे प्रशासन के बार बार विज्ञापन देने के बाद भी कोई ठेकेदार आगे नहीं आया क्योंकि वहां सड़कें नहीं थीं। मोकामा में गंगा नदी पर पुल बन जाने के बाद जहां उत्तर बिहार के बड़े बड़े शहरों का विकास होना संभव है, वहां सड़कें न होने से देहात का

[श्री अनिरुद्ध सिंह]

बहुत बड़ा भाग विकसित होने से वंचित रह जायेगा और पीछे तो मुकाबले में कभी पनप भी नहीं सकता है। इस सिलसिले में एक बहुत बड़े मार्के की बात यह है कि विदेशी विनिमय की दिक्कतों तथा स्वेज नहर की मार्फत माल की ढुलाई बन्द हो जाने के बाद भी, जहां रेलवे प्रशासन ने निर्धारित समय के अन्दर मोकामा का रेलवे पुल बना दिया, राजेन्द्र पुल, वहां उस के बाद भी उत्तर बिहार वालों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है कारण यह है कि राजपथ नं० २८ जो दलसिंह सराय को बरौनी से और राजपथ नं० ३१ जो बरौनी को पूर्णिया से मिलाते हैं, बन कर तैयार नहीं हुए हैं हालांकि न उसके लिये कोई सामान विदेशों से मंगाने की जरूरत है और न ही किसी विदेशी विनिमय की जरूरत है।

सन् १९४३ में नागपुर रोड कांग्रेस में कहा गया था कि ३० वर्षों के अन्दर देश का कोई भी विकसित भाग किसी भी पक्की सड़क से ५ मील से ज्यादा दूरी पर नहीं होगा। अभी सन् १९५८ में जो दूसरी रोड कांग्रेस हुई है, उसमें कहा गया है कि देश का कोई भी भाग किसी भी पक्की सड़क से चार मील या कच्ची सड़क से डेढ़ मील से ज्यादा दूर नहीं होगा। आज नागपुर रोड कांग्रेस को हुए १८ साल हो गये। कहा जाता है कि नागपुर रोड कांग्रेस में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा हो गया, परन्तु आज नागपुर रोड कांग्रेस को १८ वर्ष के बाद भी मैं बिना किसी प्रतिवाद की आशंका के यह कहूंगा कि कम से कम दरभंगा जिले में हालत यह है कि वहां के जो हिस्से आज से पचास वर्ष पहले जितनी दूरी पर पक्की सड़कों से थे वहां पर आज भी हैं।

एक माननीय सदस्य : छपरा की भी वही हालत है।

श्री अनिरुद्ध सिंह : अगले दो हफ्तों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है, लेकिन इसमें बेकारी मिटाने के जो प्रयास हुए हैं, उनसे बेकारी मिटती नजर नहीं आती, यद्यपि योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना और गरीबी मिटाना है। कहा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी कुछ लोग बेकार रह जायेंगे, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी प्राय: डेढ़ करोड़ लोगों को रोजी देने का प्रबन्ध करना होगा। देहातों की हालत बहुत भयंकर हो चली है। लोग धड़ल्ले से शहरों की ओर, जहां पर नये कल-कारखाने खुल रहे हैं, भाग रहे हैं। ससे शहरों की बेकारी बढ़ रही है। अत: लाजिमी है कि इंटीरिअर में और भी ज्यादा कुटीर शिल्पों की स्थापना हो, जिससे लोगों को रोजी मिले। सहकारी समितियां बना कर उनके सामान को बेचने का भी प्रबन्ध हो, नहीं तो यह समस्या हमारे लिये आगे चल कर बहुत बड़ा सिर दर्द बन जायेगी।

अब आप खेती की हालत सुनिये। प्रति वर्ष करोड़ों रुपये खेती की उपज बढ़ाने और कृषि में सुधार करने के लिये खर्च किये जाते हैं। कागज पर तो सब प्रबन्ध ठीक है, किन्तु मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सुदूर देहातों में क्या अभी तक उन्नत बीज या खाद पहुंचाने का प्रबन्ध सरकार की ओर से हो सका है? सन् १९५६-५७ से देश में बीज वृद्धि अथवा सीड मल्टिप्लिकेशन का कार्य प्रारम्भ हुआ। बिहार के जिलों में प्रत्येक थाने में भारत सरकार की ओर से सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म बनाया गया है। सन् १९५९ में बिहार राज्य में कुल ३७२ सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म थे। मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक किसी फार्म में क्या एक छटांक बीज भी पैदा किया गया है? कहा जाता है कि पिछड़े इलाकों का विकास पहले होगा। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है।

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : इतनी बातों के होते हुए भी आप कांग्रेस में हैं?

श्री अनिरुद्ध सिंह : कांग्रेस के साथ रहने से मुझे गर्व है और मैं सरकार को तथ्यों से अवगत करा रहा हूं जो कांग्रेस के सामने जिम्मेदार है ।

इसी प्रकार उत्तर बिहार में अभी तक सिंचाई का प्रबन्ध नहीं हो सका है यद्यपि बाढ़ की रोक थाम का काम समाप्त हो गया है । हां, जहां तहां बिजली से सिंचाई के नलकूप गढ़े भी हैं, पर फील्ड चैनेल के अभाव में उन का भी उपयोग नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि उत्तर बिहार में जो कि हिन्दुस्तान में सब से शस्य श्यामल भूमि कहा जाता था, क्योंकि हम अपने जिले में एक साल में बिना पानी के तीन फसलें उपजा लेते थे, आज कल इतना कष्ट है । पहले इतनी आबादी भी नहीं थी । अब हमारे जिले की आबादी क ीब ४२ लाख के है । पहले इतनी आबादी नहीं थी और नेपाल में जंगल होने की वजह से काफी पानी पड़ता था जो कि अब नहीं हो रहा है । यही कारण है कि पिछले दस वर्षों में तीन बार उत्तर बिहार को भीषण अकाल का सामना करना पड़ा है, और मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फुड सबसीडी देने के लिये और हार्ड मैनुअल लेबर के लिये करोड़ों रुपये देने पड़े हैं । अतः उत्तर बिहार देश का सब से बड़ा समस्याग्रस्त क्षेत्र हो गया है । अनेक समस्याओं में से इतनी ही समस्यायें मैं ने सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है । मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उन पर ध्यान दे कर उन्हें हल करे और यश की भागी बने ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बहरामपुर) : इस सम्बन्ध में मुझे एक मामले का स्मरण आ जाता है जिस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपनी राय दी है । रामदास तुली नाम का एक व्यक्ति कलकत्ते में रोजगार की तलाश में एक महीना मारा मारा फिरा । उसके पास एक बच्चा था । एक दिन भूखा बच्चा खाने को मांगने लगा मगर तुली के पास एक नया पैसा भी न था । उसने रोते हुए बच्चे को पागलों की तरह उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने को पुलिस के हवाले कर दिया । बच्चे की हत्या के अपराध में उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया । किन्तु अपील में उच्च-न्यायालय ने उसका दंड घटा दिया और न्यायाधीश ने लिखा कि इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि दो योजनाएं व्यर्थ ही रही हैं । जनसाधारण के लिए कुछ भी नहीं बना ।

इसी प्रकार देश में निर्धनता का राज्य है । आज हमारे देश के ४७ प्रतिशत किसानों के पास एक एकड़ प्रति परिवार से भी कम भूमि है और इधर हम भूमि की उच्चतम सीमा की बातें करते हैं । कृषक मजदूरों की हालत और भी ज्यादा खराब है और वे कर्जे के सागर में पूर्णतया डूब चुके हैं । अतः जब सरकार कराधान के अर्थोपाय की बातें करती हैं तो यह सोचना पड़ता है कि यह उपाय हैं किन के लिए ?

हाल ही विनियोजन केन्द्र का उद्घाटन करते समय हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि उनके सतत प्रयत्नों से ही विदेशियों का यह भ्रम दूर हुआ है कि सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिपक्षी क्षेत्र है । उन्होंने यह भी कहा कि तब से गैर-सरकारी क्षेत्र ने पांच गुनी तरक्की की है । यह है प्रगति की सामान्य दिशा ! अतः जो यह चीज हो रही है कि आम जनता गरीब होती जा रही है और सारा धन कुछ ही लोगों के पास जा रहा है वह इसी कारण हो रहा है कि सरकार की नीतियां ही त्रुटिपूर्ण हैं ।

इन्हीं चीज़ों को देखकर इन करों से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई । इस वर्ष माननीय मंत्री ने अप्रत्यक्ष कर ही अधिक लगाए हैं । मैं यह नहीं कहता कि वह इनमें बड़ा भारी फेर बदल करें परन्तु उन्हें गरीबों पर तो दया करनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

कांच के सामान, बर्तनों आदि पर लगाये गये शुल्कों पर उन्हें फिर से विचार करना चाहिए। बिजली से चलने वाले करघों पर जो कर लगा है उससे सहकारी संस्थाओं का तो लोप ही हो जायगा। आज जनता केवल कर भार ही से त्रस्त नहीं बल्कि घाटे की बजट व्यवस्था और भी घातक सिद्ध होती चली जा रही है। हर चीज की कीमत का निर्धारण विक्रेताओं के हाथ में रह गया है। इसी कारण उपभोक्ता पिसे जा रहे हैं। नोट छाप कर काम चलाना भी हमारे देश के लिए घातक होगा। इस कारण हमे सोचना चाहिए कि हम इसका क्या उपाय कर सकते हैं। यदि हम कोई उपाय नहीं कर सकते तो फिर समाजवाद का नारा लगाने का क्या फायदा है। अब तक हम ने अपनी वृत्ति को पूंजीवादी समाज के अनुरूप ढाला है। हम पूंजी वादी रहें किन्तु पूंजीवाद के कुछ एक अमानुषिक पहलुओं का परित्याग हमें अवश्य करना चाहिए।

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, इस दफ़ा के बजट में इस तरह से टैक्स लगाया गया है कि किसी को शोर मचाने की कोई गुंजायश नहीं है। अगर अपने देश का विकास करना हो, तो सब को कुछ न कुछ देना पड़ेगा ही, क्योंकि जब पैसा हम को चाहिये, तो कोई न कोई रास्ता पैसे का निकालना पड़ेगा। हम को परदेशी शासन के नीचे कई साल रहने से ऐसी आदत पड़ गई है, हमारा ऐसा स्वभाव हो गया है कि हम को सरकार को कर देना अच्छा नहीं लगता है और हम कहते हैं कि ग़रीब आदमी कर कहां से दे सकेगा। बात सही है, परन्तु अगर हम सब लोगों को सहूलियतें चाहिए, तो सब को कुछ न कुछ देने की आदत लगानी पड़ेगी और इस प्रकार का मानस तैयार करना पड़ेगा।

जो टैक्स लगाये गये हैं, उन के बारे में कुछ दिक्कतों की चर्चा की गई है। अगर हम को यह कहना है कि यह टैक्स ठीक नहीं है, तो उस की जगह दूसरा टैक्स हम को बताना चाहिए कि अपने प्लान को पूरा करने के लिये कौन सा टैक्स लगाने से कितना पैसा हम जमा कर सकते हैं। मैं इस बारे में सरकार का ध्यान इस तरफ़ खींचना चाहती हूं कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे पान वाले हैं, जो रेकड़ी चलाते हैं, वे शाम तक बीस पच्चीस रुपये कमा लेते हैं। उन को न दुकान का भाड़ा देना पड़ता है और न कुछ और देना पड़ता है, परन्तु मैं जानती हूं कि वे लोग एक कौड़ी भी टैक्स नहीं देते हैं। बात यह है कि टैक्स देने से इतनी तक्लीफ़ नहीं होती है। ज्यादा तक्लीफ़ इनकम टैक्स वालो के परेशान करने से होती है। अगर उस में से निकलने का कोई रास्ता निकाला जाय, तो मैं मानती हूं कि काफ़ी लोग टैक्स देने मे झिझकेंगे नहीं। परन्तु आज स्थिति यह है कि हर उस आदमी को, जिस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, चोर माना जाता है और हर इनकम टैक्स लगाने वाला अफ़सर अपने आप को साहूकार मानता है। यह मानस बदलने की ज़रूरत है।

एक बात सोचने की यह है कि परदेशी कम्पनियों को यहां पर अपने कारखाने डालने के लिये या अनेक प्रकार के उद्योग बढ़ाने के लिये काफ़ी सहूलियतें दी जाती हैं। यह बात ठीक है। परन्तु जो उद्योग हमारे देश के लोग चला सकते हों, उन्हें परदेशी कम्पनियों को चलाने देना और उन को सहूलियतें देना कहां तक ठीक है, यह सोचने की बात है। मेरी विनती है कि इस बारे में उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को ठीक ठीक सोचना चाहिए। हमारे ऊपर तो एसा आभास पड़ रहा है जो कि आज-कल परदेशी कम्पनियों को और परदेशी लोगों को हमारे यहां उद्योग डालने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है, ज्यादा शीघ्रता से सहूलियतें दी जाती हैं, जब कि हमारे

लोगों को लाइसेन्स मिलने म काफी परेशानी होती है । हमारे लोगों को कहा जाता है कि इस उद्योग के बारे मे आप कुछ कीजिये, आप इस बारे में परदेशी स कालैबोरेशन कीजिये, कहां करेंगे, किस तरह करेंगे, सब बात कीजिये, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पीछे वह काम हमारे देश के आदमी को न दे कर परदेशी को दिया जाता है। इस बारे में और सोचने की ज़रूरत है कि क्या यह सरकार की नीति है या किसी कारण से या गलती से यह चीज़ हो रही है ।

एक दूसरी बात यह सोचने की है कि एक तरफ़ हम कहते हैं कि हम को सहकारी ढंग से काम करने के लिए लोगों को उत्तेजन देना चाहिए को-आपरेटिव ढंग से प्रोत्साहन देना चाहिये और दूसरी तरफ़ में देखती हूं कि जहां तहां जो डेयरी का उद्योग खोला जा रहा है, वह सरकार की तरफ़ से हो रहा है और सहकारी ढंग से नहीं हो रहा है। इस का परिणाम यह होगा कि जो फ़ायदा देहात में ग़रीब किसानों को मिलना चाहिये, उन को वह नहीं मिलेगा और डेयरी चलाने वाला केवल यही देखेगा कि हमारी डेयरी किस तरह अच्छी चले और कैसे मुनाफ़ा हो। इस को सहकारी ढंग से करने का लाभ यह होगा कि ग़रीब किसान जो गाय भैंस रखेंगे, उस से उसको नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा और उस को खेती के साथ एक दूसरा उद्योग मदद देने वाला होगा। सरकार जिस नीति पर चल रही है, उस से ऐसा नहीं हो सकेगा। इस तरह तो एक बड़ी कालोनी गाय भैंसों की रखी जायगी और उसके पीछे हड़ताल और दूसरे प्रकार की जो समस्यायें खड़ी होती हैं, वे होंगी, परन्तु जो फ़ायदा किसान और देहात को होना चाहिये, वह नहीं होगा । इसलिये मेरा कहना यह है कि इस नीति में जो फ़र्क़ दिखाई देता है, उस पर फिर से सोचने की ज़रूरत है और डेयरी के उद्योग को सहकारी ढंग से चलाया जाना चाहिये ।

अपने यहां से और राज्यों में भी कई चीजों के लिये ग्रान्टस दी जाती हैं—कालेजों को, स्कूलों को, मकान बनाने के लिये और कम्यूनिटी प्राजेक्टस के लिये ग्रान्टस दो जाती हैं । परन्तु ये ग्रान्टस देने में, जिन को ग्रान्टस दी जाती हैं, उन को काफ़ी तकलीफ़ होती है और तब उन को मिलती हैं। अगर रुपया मार्च की १५, १७ या २० तारीख को दिया जायगा, तो वह ३१ मार्च तक किस तरह खर्च किया जायेगा। क्या आप चाहते हैं कि वे गलत हिसाब रखें या यह चाहते हैं कि वे किसी से कर्जा लें या गिरह से खर्च कर लें या फिर आप को गलत वाउचर्ज़ दिखा दें कि मार्च में उन का क्या खर्चा है। इस तरह की चीजें वे करें, यह ठीक नहीं होगा। दिसम्बर के आखिर तक जितना पैसा भी आप को देना है, दे ही देना चाहिये। उस को रोक कर और ३१ मार्च को या २८ मार्च को या २० मार्च को देने में क्या मज़ा आता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस के बारे में खास तौर पर सोचने की और खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है।

आज सवेरे यहां वनस्पति के बारे में काफी प्रश्न पूछे गये हैं। इस प्रश्न को बार बार यहां उठाया जा रहा है। अगर सरकार के दिल में यह हो कि वनस्पति में किसी प्रकार के रंग का संशोधन हो और आप चाहते हैं इस रंग को बतलाने के लिये कोई आगे आये तो इस के लिये आप को इनाम देने की घोषणा करनी होगी। कोई भी प्राइवेट कम्पनी या प्राइवेट संस्था जो भी इस काम को करना चाहे, उस को ऐसा करने का आप को प्रोत्साहन देना चाहिये और कहना चाहिये कि जो भी इस रंग को बतलाने में सफल होगा उस को इनाम दिया जायगा। ऐसा कर के ही यह चीज़ सफल होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि वनस्पति में रंग का संशोधन होने के अन्दर बाधा डालने में काफी पावरफुल इंटिरेस्टस का हाथ है। वे इस काम में रुकावट डाल सकते हैं और उन्हो ने डाली है। अगर ऐसी बात न होती तो आज तक रंग न मिलता ऐसा मैं नहीं मानती हूं। अगर सचमुच आप

[सुश्री मणिबेन पटेल]

को इस काम को करवाना हो तो आप को इनाम निकालना होगा और लोगों को बतलाना होगा कि जो इस काम में सफलता प्राप्त करेगा उस को इतना इनाम दिया जायगा। यदि ऐसा किया गया तो इस काम को आप सफलता के साथ पूरा कर सकते हैं।

एक बात अब मुझे मद्यनिषेध के बारे में कहनी है। अभी एक भाई ने इस के बारे में शिकायत की है। देश में इस समय श्री ढेबर की अध्यक्षता में एक बैकवर्ड क्लासिस कमिशन घूम रहा है और उस के कुछ सदस्यों को मिलने का मुझे दो चार बार मौका मिला है। उन से मैं ने सुना है कि आज तक कोई भी आदिवासी या हरिजन जो उन से मिला है उस ने यह नहीं कहा है कि हम को मद्यनिषेध हटाना चाहिये या इस को लागू कर के उन को कोई फायदा नहीं हुआ है। जितने भी लोग उन से मिले हैं उन्हों ने यही कहा है कि कृपा कर के आप दारू फिर से यहां चालू न कीजिये। मद्यनिषेध से उन को बहुत से लाभ हुए हैं। यहां पैसे की बात कही गई है। परन्तु आप सोचें कि जहां जहां मद्यनिषेध का कार्यक्रम है वहां वहां सरकार को और तरह से कितना पैसा मिल रहा है। परन्तु बात यह है कि हम को जो कर और तरह से मिल रहे हैं, सेल्ज़ टक्स के ज़रिये, प्रापर्टी टैक्स के ज़रिये, उन को यह लोग देना नहीं चाहते। इसलिये दारू से जो आमदनी होती है, उस को भी त्यागना होगा। गरीब आदमी दारू पियें और हम को पैसा मिले, इस तरह की बात हम को नहीं करनी चाहिये। आदमी को हैवान बना कर टैक्स लेना अच्छी बात नहीं है। आदमी को इन्सान बना कर, आदमी बना कर टैक्स वसूल करना हमारे लिये ज्यादा अच्छा होगा। अहमदाबाद में, बम्बई में, जहां मद्यनिषेध सफल हुआ है, वहां जा कर देखें कि लोग किस तरह से खुश हैं। वहां पर जा कर आप मज़दूरों को देखें, मध्यम वर्ग के आदमियो को देखें तो पता नहीं चलेगा कि कौन मजदूर है और कौन नही। उन के घरों को, उन के कपड़ों को उन के बच्चों को, वे कैसे पढ़ते हैं, इस को आप देखें तो आप को पता चलेगा कि कितनी तबदीली उन में आ गई है एक अंग्रेज़ मैनेजर ने बम्बई में कहा है कि जब मद्यनिषेध नहीं था तब दुपहर को खाना ले कर मजदूर की स्त्री आती थी तो रोज़ झगड़ा दोनों के बीच में होता था और कहा जाता था कि खाना ठीक से नहीं बना है और आज हमारा यह अनुभव है कि दोनों शान्ति से बैठते हैं, खाना भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा है और उन का काम भी अच्छा है। जो पढ़े लिखे आदमी हैं उन को पीना हो तो पियें, मगर मैं नहीं चाहती कि वे भी पियें। परमिट ले कर वे पीना चाहें तो पियें। लेकिन गरीब लोगों को दारू देना, उन को दारू पिलाना, मादक पदार्थ देना और ऐसा कहना कि हमारे यहां देश में शिक्षण के लिये पैसे की आवश्यकता है और हमें उसे हासिल करना है, इसलिये हमें दारूबन्दी नहीं करनी चाहिये, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर आप शिक्षण देना चाहते हैं तो दारू और शिक्षण का आपस में कैसे मेल बैठना है? इन का मेल नहीं बैठता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो दारू पीते हैं और दारू पीकर हैवान हो जाते हैं, उनकी हालत को आप देखें। कोई भी स्त्री, कोई भी मध्यम वर्ग की स्त्री, कोई भी शिक्षित स्त्री आप को नहीं मिलेगी जो ऐसा कहेगी कि दारू निषेध नहीं होना चाहिये। मैं कई बहनों को जानती हूं कि जो पढ़ी लिखी हैं जिन के पति पहले पीते थे लेकिन इस तथ्य को वे खुले तौर से नहीं कह सकती थी क्योंकि बेचारी ऐसा कहते हुए शर्माती थीं, पर आज मद्य निषेध के फलस्वरूप, उन के घर सुखी हैं और आप को वे आशीर्वाद देती हैं, भगवान को धन्यवाद देती हैं कि उस ने उन को घरों में सुख से रहने का मौका दिया है। इसलिये जो यह हठ ले कर हम बैठे हुए हैं, इस को हमें छोड़ना होगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं और जिन की इस प्रकार की सोचने की आदत है, वे जरा कृपा कर के ठीक तरह से सोचें और जहां जहां मद्यनिषेध हुआ है वहां वहां जा कर अच्छी

तरह से देखभाल करें और फिर उन का जो हठ है दारूबन्दी के खिलाफ, ओपन माइंड रखें तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन मैं समझती हूं कि आप को इस हठ को छोड़ना चाहिये और मद्यनिषेध के लिये कदम उठाना चाहिये।

अब मैं परदेशी कम्पनियों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। वे भी यहां हमारे देश में कारखाने चालू करती हैं। वे भी जो हमारे देश के लोग हैं वे कर सकते हैं या करते हैं, उन्हीं कामों को करती हैं। जब एक ही क्षेत्र में परदेशी कम्पनियां और देशी कम्पनियां चलती हैं तब हमारे लोग जो इस उद्योग में काम करना चाहते हैं या करते हैं, वे उन के सामने कैसे टिक सकते हैं। परदेशी कम्पनियों के जो रिसोर्सेस होते हैं, जो साधन होते हैं, जो सम्पत्ति होती है उस का मुकाबला हमारे लोग नहीं कर सकते हैं, उन की प्रतिस्पर्धा में हमारे लोग नहीं टिक सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस उद्योग में हमारे लोग काम कर सकते हैं, उस उस क्षेत्र में, उस उस उद्योग में परदेशी कम्पनियों को काम करने की छूट नहीं दी जानी चाहिये। मुझे लगता है कि दिन-ब-दिन हमारे यहां परदेशी लोग नौकरियों में, कारखानों में अधिकाधिक संख्या में आ रहे हैं और जो हमारे कारखाने भी चल रहे हैं उन के अन्दर भी उन की संख्या बढ़ रही है। परदेशियों को आप ज्यादा सहूलियतें देते हैं लेकिन यहां वालों को नहीं देते। जब कारखाने यहां लग जाते हैं तो देखा जाता है कि यहां के जो मजदूर होते हैं, क्लर्क होते हैं या दूसरे लोग होते हैं उन को तो १००, १५०, २०० या ३०० रुपया दिया जाता है और जो परदेशी आदमी वे लाते हैं उन को पांच हजार, सात हजार और आठ हजार दिया जाता है। उन की जरूरत है या नहीं, सचमुच व लोग इतने काबिल हैं या नहीं, एक्सपर्ट हैं या नहीं, इस के बारे में कोई छानबीन नहीं होती है। मेरी बिनती है कि इस के बारे में भी आप को सोचना चाहिये।

†**डा० विजय आनन्द** (विशाखापटनम) : मैं पूर्ण रूप से बजट के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। यह बजट देश की भावी आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाया गया है।

कलकत्ता के अखबार "कैपिटल" ने बजट के सम्बन्ध में अपना मंतव्य प्रकट करते हुए लिखा है :—

> "सामान्य रूप से इस बजट का समर्थन ही हुआ है जिस के लिये वित्त मंत्री को संतुष्ट होना चाहिये। जनता विकास के लिये और भी भार सहन करने को तत्पर प्रतीत होती है। इस बजट से जनता को और भी प्रेरणा मिलती है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि श्री देसाई ने असंभव को भी संभव बना कर दिखा दिया है।"

मुझे तो इस बात पर खुशी हुई है कि खेलो कूदों से सम्बद्ध संस्थाओं पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया गया। उन की वित्तीय स्थिति पहले ही डांवाडोल थी। इसलिये यह अच्छी कार्यवाही है।

मैं सभा को एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि भारत में एक निधि का निर्माण किया जाय जिस के आधार पर हर भारतवासी दो साल तक सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। फ्रांस में हर व्यक्ति को सैनिक शिक्षा लेनी पड़ती है। इस से देश में अनुशासन पैदा होता है और देश की रक्षा का काम भी समय आने पर हो सकता है। जब देश में सैनिक शिक्षा अनिवार्य हो जायेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विजय आनन्द]

मैं चाहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिक से अधिक राशि निर्धारित की जाय । मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि देश में अनिवार्य सैनिक शिक्षा की प्रणाली चालू की जानी चाहिए । देश भर में स्टेडियमों का निर्माण कर नवयुवकों की व्यायाम शिक्षा की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए विशाखपटनम् पतन का विकास किया जाना चाहिए और अपने परिवहन साधनों का भी भरसक विकास करना चाहिए । मुझे इस बात का हर्ष है कि वित्त मंत्री ने पर्यटक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया है और आगामी दस वर्षों तक देश में नये होटलों पर कर नहीं लगाया । इन शब्दों से मैं आय-व्ययक प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कर और करदाता की बात जब हम सोचते हैं तो खयाल आता है कि हमारे सदन में हर साल बजट पेश किया जाता है, लेकिन अब की मर्तबा हम आशा करते थे कि शायद करदाता की कमर टैक्स के बोझ से नहीं तोड़ी जायेगी । लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दुस्तान की पंचवर्षीय योजनाओं और दूसरे निर्माण कार्यों को सफल बनाने के लिए जरूरत इस बात की है कि करदाता कर देता रहे । मैं यह समझता हूं कि किसी देश के निर्माण कार्य को सफल बनाने के लिये कर की जरूरत है । लेकिन आज मैं सदन का ध्यान हिन्दुस्तान में बढ़ती हुई बेकारी की तरफ ले जाना चाहता हूं और इसके साथ साथ उस कर के लगने के बाद मध्यम वर्ग के या मामूली इंसान की हालत क्या होगी, इसका भी कुछ नक्शा खींचना चाहता हूं । मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह कहना नहीं चाहते कि देश में कोई भी उन्नति नहीं हुई है । मैं तो कहता हूं कि उन्नति हुई है और उन्नति होगी और हिन्दुस्तान का स्थान एक दिन दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा ऊंचा होगा । लेकिन आज टैक्स के बोझ से लोगों की कमर टूट चुकी है । कुर्बानी करनी चाहिए और जिन्दगी की कुछ आहुति देश के निर्माण में लगनी चाहिये, यह बात सही हो सकती है । लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी सोचना है कि क्या करदाता की हालत ऐसी है कि वह और कर दे सके । कहा यह जायेगा कि यह रुपया आयेगा कहां से ? मैं समझताहूं कि हमारे मंत्री महोदय शायद इस देश के बारे में मुझ से ज्यादा सोचते हैं और उनके सोचने की शक्ति भी शायद मुझसे ज्यादा है, लेकिन क्या यह बात सत्य नहीं है कि देश को आजादी मिलने के १३ साल बाद भी एक तरफ महलों में रहने वालों ने अपने और महल बना लिये और दूसरी तरफ जिसकी ,आमदनी १०० रु० थी उसके पैसे की कीमत महंगाई की वजह से सिर्फ ६० या ७० रुपये रह गई ? ७० रुपया पाने वाले की आमदनी ४० रुपया रह गई है और यह हकीकत है कि कुछ घर ऐसे भी हैं जहां कि फाकाकशी की नौबत आ गई है । अभी कुछ दिन पहले कलकत्ते में एक दुर्घटना हुई जो कि अखबारों में सुर्खी की शक्ल में आई थी और वह इस प्रकार है कि एक होम्योपैथिक डाक्टर जो कि क्वालिफाइड थे उन्होंने ८ महीने या ९ महीने मुतवातिर कोशिश की कलकत्ते जैसे शहर में कि किसी तरह से वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें । ८ साल का हंसता खेलता हुआ बच्चा उनकी धर्मपत्नी और दो और भी दूसरे आदमी उन के परिवार में थे । कलकत्ता जैसी जगह में उसको एक मुट्ठी आटा नहीं मिला और अन्त में यह हालत हुई कि उस शख्स ने तेजाब पिला कर अपने बच्चे को मारा,अपनी बीबी को मारा और खुद मरा . . .

†श्री स० मो० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, एक पिता होकर अपने पुत्र को किस तरीके से जहर दे सकता है यह सोचने की बात है । क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि आज बेकारी इतनी बढ़ चुकी है कि एक नौजवान को जीविका धारण करने का मौका जब नहीं मिला तो उसने अपने हंसते

†मूल अंग्रेजी में

खेलते हुए बच्चे को मारा। अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि "ही मस्ट बी वैरी इनकौम्पीटैंट" अब इस सदन में बैठ कर मैं जानता हूं कि हम लोग ज्यादा कौम्पीटैंट बन चुके हैं ....

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : मेरा मतलब था कि अगर वह डाक्टर होशियार होता तो बीमारों की संख्या तो देश में बढ़ रही है वह कुछ न कुछ कमा ही सकता था।

श्री स० मो० बनर्जी : यहां सदन में तो यह बात है और बाहर देश में यह धारणा है और रूलिंग क्लास के पेपर्स के एडीटोरियल्स देखिए उनमें यह लिखा है कि हमारा सभ्य समाज कहां जा रहा है और मैं चाहता हूं कि वे लोग जिनके हाथों में शासन की बागडोर है, इसके बारे में ध्यान करें। देश में बेकारी निरन्तर बढ़ती जा रही है और उसके साथ जो कुछ भी लोगों की हड्डियों में खून का आखिरी कतरा रह चुका था वह भी कर की शक्ल में निकाला जा रहा है। यह तो ठीक है कि करों से वसूल हुआ रुपया इस देश के निर्माण कार्यों में लगाया जायेगा लेकिन यह तो देख लिया जाय कि लोगों में अब अधिक देने की शक्ति रह भी गयी है अथवा नहीं।

हम इनडाइरैक्ट टैक्सेशन के जरिय देश के रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन इसी के साथ दूसरी तरफ फिजूल खर्ची का आलम अगर देखा जाये तो मैं उसको देख कर कभी कभी दंग रह जाता हूं। मेहमाननवाजी में करोड़ों रुपया हमारे देश में खर्च होता है। यह देश की एक परम्परा है कि मेहमाननवाजी की जाय। यह बात सच है। मैं जानता हूं कि अगर मैं सदन में कहूं कि हमारी इंगलैण्ड की महारानी के स्वागतार्थ जरूरत से ज्यादा खर्च हुआ तो यह कोई गलत बात न होगी। उस दिन कहा गया कि महारानी के स्वागत पर भारत सरकार ने २५ करोड़ रुपया खर्च किया जिसके लिये कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि यह फीगर फैनटास्टिक है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर २५ करोड़ नहीं तो फिर कितना रुपय खर्च हुआ, १५ करोड़ रुपया खर्च हुआ या २ करोड़ रुपया भी खर्च हुआ या नहीं हुआ। कलकत्ते में जाकर जब मैंने महारानी के स्वागत का इन्तजाम देखा तो मैं दंग रह गया। मुझे वहां जाने पर मालूम हुआ कि जिन जिन इलाकों से वह गुजरने वाली थी उन इलाकों में जितने भी फकीर थे, जितने भी बैगर्स, गरीब आदमी थे, अपाहिज थे और जो बेचारे भीख मांगते थे उनको वहां से कोसों दूर हटा दिया गया ताकि हिन्दुस्तान में भिखारी भी रहते हैं यह शक्ल कहीं महारानी की आंखों के सामने न आ जाय ....

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य की तकरीर से आ जायगी।

श्री स० मो० बनर्जी : अब अगर महारानी पूछ बैठतीं कि तुम्हारे देश में फकीर क्यों हैं तो हाथ जोड़ कर हम उनसे यह कह देते कि यह देन तुम्हारी और तुम्हारे पिता की है जो कि हमारे देश में आज भी भिखारी हैं लेकिन जहां एक तरफ भिखारी हैं वहां दूसरी तरफ भाखड़ा नंगल भी बना है। लोगों की हालत सुधरी भी है। इसलिये मैं समझता हूं कि आज अगर ६० करोड़ रुपये में पूरा प्लान आपका कामयाब हो जाता है तो मैं लोगों से यह जरूर कहूंगा कि उनको कर देने चाहिएं। लेकिन आप देखिये कि छोटे छोटे उद्योग और दस्तकारी के धंधे बन्द होते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल मैं कानपुर में था। वहां पर जो लोग बर्तन बनाने का काम करते हैं उन्होंने कहा कि इस एक्साइज ड्यूटी के बाद यह उनका बर्तन बनाने का धंधा चाहे वह कानपुर में हो अथवा मुरादाबाद में, वह नहीं चल सकेगा। स्मौल काटेज इंडस्ट्रीज को आखिर किस तरीके से आप प्रोत्साहन दीजियेगा? अगर इस तरह से टैकसेशन जमा करते हैं तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को सोचें कि आखिर यह छोटे छोटे उद्योग वाले जिनको कि प्रोत्साहन देना हमारा फर्ज है किस तरीके से यह सफलतापूर्वक चल सकते हैं।

[श्री स० मो० बनर्जी]

मुरारी के ऊपर, किरोसीन आयल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मैं जिस प्रदेश से आया हूं उस प्रदेश में कोयले का संकट है। अब उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी है कि वहां पर अन्न की कमी थी तो कोयला था और जब अन्न मिलने लगा तो कोयला नहीं मिलता और कोयले का वहां पर संकट है। कोयले के संकट को देख कर वहां पर लोगों ने जनता स्टोव और और दूसरे स्टोव खरीदने शुरू किये अब यह मिट्टी के तेल पर टैक्स बढ़ाने के कारण मेरे ख्याल में स्टोव भी नहीं जला पायेंगे. अब स्टोव भी न जले और चूल्हा भी न जले ऐसी पद्धियां तो हमारे घर में नहीं हैं जो बगैर तेल और कोयले के खाना पका लें। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कहीं पर तो लोगों को सहारा मिले। उनकी कमर टूट चुकी है और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जनता की कमर तोड़ने के बाद हम देश को आगे बढ़ा सकेंगे ?

डाइरेक्ट टैक्सेशन की बात जब भी आती है हमारे माननीय मन्त्री कहते हैं कि क्या डाइरेक्ट टैक्सेशन इस सीमा तक पहुंच चुका है कि अब उसमें और अधिक बढ़ोत्री की गुंजाइश नहीं है और उससे ज्यादा रुपया आखिर आयेगा कहां से। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी भी उस दिशा में गुंजाइश है। जब मैं अपने प्रान्त में देखता हूं तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं। इनकम टैक्स कहिए, वैल्थ टैक्स कहिए, गिफ्ट टैक्स कहिए या सेलस टैक्स की बात अगर आप लें तो हमारे पूंजीपति और धनिक लोगों ने किसी भी चीज का पेमेंट करना सीखा ही नहीं है और हमारे सरमायेदारों ने तो कसम खा रक्खी है कि कोई भी टैक्स उनको देना नहीं है क्योंकि टैक्स न देना ही वह ही उनका मूलधन है। वही उनका कैपिटल है। मैं समझता हूं कि आज उन टैक्सों की वसूली अगर सही तरीके से हो, लूपहोल जितने भी हो उनको जोड़ा जाय तो मैं समझता हूं कि कुछ पैसा आ सकता है।

मैं कहता हूं कि आज देश में मेहमाननवाजी करने के लिये बंगाल के मुख्य मन्त्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मलिका मुअज्जमा जो हमारे देश में आईं खास कर कलकत्ते में उनके स्वागत पर जो रुपया खर्च हुआ उससे ज्यादा रुपया श्री बुलगानिन और ख्रुश्चेव के आने के समय हुआ था। क्या सांत्वना है ? अब यह क्या बात हुई कि हमने तब रुपया ज्यादा ज्यादा खर्च किया था और, अब महारानी के स्वागत पर कम रुपया खर्च किया है। मैं कहता हूं कि हमारा देश एक गरीब देश है और गांधीजी के आदर्शों पर अगर इमानदारी के साथ हम चलना चाहते हैं तो हमारे देश की मेहमान नवाजी की वह परम्परा होनी चाहिये जो कि हमारे नेता ने हमको बतलाई थी और जो कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हो।

मैं समझता हूं कि जिन चीजों पर वित मन्त्री महोदय ने टैक्स लगाया है उनके बारे में दुबारा विचार किया जाय। राज्य सभा में उन्होंने जो तकरीर की उसको मैंने गौर से पढ़ा। वैसे मैं कोई अर्थ-शास्त्र का पंडित नहीं हूं और विद्यार्थी भी अच्छा नहीं था। मैं उन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से कि एक विद्यार्थी समझने की कोशि करता है लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि आखिर यह इनडाइरैक्ट टैक्सेशन के आधार पर अगर इस तरीके से लोगों की कमर तोड़ दी जाये तो देश को चलायेगा कौन। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान अच्छा भी बन सकता है और बनेगा लेकिन वह इस तरह से बन सकता है कि सरमायेदारों से सरमाया लें और गरीब की मेहनत लें। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि दोनो को मिला कर एक नया हिन्दुस्तान बन सकता है। विदेशी पूंजी हमारे देश में आ रही है। उसके लिये कोई ऐतराज नहीं है लेकिन कभी कभी मुझे खतरा पैदा होता है कि कहीं राजनैतिक तरीके से हम किसी बंधन के अन्तर्गत न चले जायें। विदेशी पूंजी हमारे देश में आये लेकिन उसी के साथ कोई बन्धन कोई जंजीर की आखिरी कड़ी जो कि हिन्दुस्तान से हम लोग दूर कर चुके हैं, कहीं ऐसा न हो कि जंजीर की आखिरी कड़ी की शक्ल में हमारे गिर्द पड़

जाय। यह विश्वास किया जाय कि जब मैं यहां पर इसकी चर्चा करता हूं और खास कर अपने देश के प्रधान मन्त्री की आलोचना करता हूं तो बहुत सोच समझ कर करता हूं और देश के भले की खातिर करता हूं वरना मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं . . . . . .

†**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : यह आप कैसे स्वप्न देखते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : अब जनता की आपने कोई मोनोंकली नहीं ले रक्खी है। मैं भी जनता में काम करता हूं और जब मैं जनता में एक हाहाकार देखता हूं और असन्तोष पाता हूं तो एक नागरिक और खास तौर से संसद् का सदस्य होने के नाते मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं सही तस्वीर इस सदन के जरिये सरकार तक पहुंचाऊं और आप इसका विश्वास करें कि जब मैं जनता में सर्वत्र हाहाकार देखता हूं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं होती है और मेरी यह कदापि मंशा या इच्छा नहीं होती है कि मैं उस असन्तोष और हाहाकार से कोई नाजायज फायदा उठाऊं। मैं तो यह सोचता हूं कि अगर हमारे देश में लोगों का विश्वास प्रजातान्त्रिक उसूलों से उठ गया, तो फिर इस देश का क्या होगा।

अभी हमारी मुअज़्ज़िज बहन, सुश्री मणिबेन पटेल, ने बम्बई की हालत बताई कि वहां शराब बन्द होने से खुशहाली आ गई है। यह तो ठीक है, लेकिन जिस बस्ती की बात उन्होंने इस सिलसिले में कही, वैसी बस्ती मुझे तो बम्बई में नहीं मिली, जहां लोग खुश हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जिन के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। मैंने उन इलाकों को देखा है, जिन को मजदूरों की बस्ती कहा जाता है, लेकिन मुझे यह सब देखने को नहीं मिला।

मेरा ख्याल है कि इन टैक्सों के बढ़ने से जो परिवार सत्तर रुपये में चल सकता था, अब उसको पचासी या नब्बे रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सवाल यह है कि ये पन्द्रह या बीस रुपये कहां से आयेंगे। होगा यह कि अगर हमने बच्चों की फीस दे दी, तो मकान का किराया रह जायगा और अगर किराया दे दिया, तो बच्चों की फीस रह जायगी और कर्ज़े का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जायगा। अन्त में इस कर्ज़े से परेशान होकर लोग आत्म हत्या करेंगे और हिन्दुस्तान में आत्म हत्याओं की तादाद और बढ़ेगी।

जब हम लोगों ने सरकारी कर्मचारियों की तरफ से कहा था कि सरकार प्राइस लाइन को होल्ड नहीं कर सकी है और वह चीजों के दाम घटाने में नाकामयाब हुई है, तो इस पर नुक्ता-चीनी हुई थी। आज मैं जानना चाहता हूं कि प्राइस लाइन को होल्ड करने के लिये और चीजो के दाम बढ़ने से रोकने के लिये क्या योजनायें अपनाई जा रही हैं। आज हम देखते हैं कि चीजों के दाम उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। उनके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस हालत में अगर सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिये, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यह राष्ट्र-विरोधी मांग है, यह मांग मत करो।

अभी कल मर्दुम-शुमारी से मालूम हुआ है कि अब दिल्ली की आबादी छब्बीस लाख हो चुकी है, लेकिन अगर आज सदन में यह कहा जाये कि चूंकि दिल्ली की आबादी छब्बीस लाख हो गई है, इस लिये उस को "ए" क्लास सिटी कर दिया जाये, तो कहा जायगा कि इसके लिये फाइनेंसिज़ नहीं हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब वर्किंग क्लास या मध्यम वर्ग के लोग कोई आर्थिक मांग करते हैं, तो सरकार की ओर से उन मांगों को राजनैतिक तरीके से डील किया जाता है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और हमारी कमर टूट रही है और अगर लोगों पर साठ करोड़ रुपये का बोझ और डाल दिया जाये, तो वे कहां तक चल सकेंगे ? आज समय आ गया है कि अपने रीसोर्सिज़ को हासिल करने के लिये हमें कुछ और कदम उठाने चाहियें।

[श्री स० मो० बनर्जी]

इस विषय में जब बैंक्स के राष्ट्रीयकरण की माग की जाती है,तो कहा जाता है कि वह मुमकिन नहीं है। पालाई बैंक और लक्ष्मी बैंक के फ़ेल होने पर सरकार ने यह महसूस किया कि बैंक्स का रैशनलाइजेशन होना चाहिए, उन का ऐमलगमेशन होना चाहिए, ताकि बैंको में लोगों का पैसा महफ़ूज़ रहे। लेकिन यह एमलगमेशन की बात कैसे आई ? जब पालाई बैंक फ़ेल हुआ, तो वित्त मंत्री महोदय ने यह सोचा कि डिपाज़िटर्स को ऐसी प्रोटेक्शन, शोर्टी और सिक्योरिटी दी जाये कि उन के दिमाग़ में बैंको के फ़ेलयोर की बात न आये। वित्त मंत्री महोदय मुझे जवाब दें कि बैंक्स का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो सकता है। इसी तरह यद्यपि लाइफ़ इन्शोरेंश का नैशनलाइज़ किया जा चुका है, लेकिन जेनरल इन्श्योरेंस के बारे में कहा जाता है कि उस को नैशनलाइज़ करना मुमकिन नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इन तमाम प्लानों को कामयाब बनाने के लिये ज़रूरत इस बात की है कि हम सरमाये का इन्तज़ाम करें--जहां पर भी सरमाया है, उस को खोज कर वहां से निकालें और करदाता पर कर का बोझ डालते वक्त यह सोचें कि वह ज़िन्दा रहे, ख़त्म न हो जायें।

इन शब्दों के साथ अन्त में मैं यह कहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय टैक्स एग्ज़ेम्प्शन्ज के बारे में फिर से सोचें और मैं नम्र निवेदन करता हूं कि उन के पास जो रिप्रेज़ेन्टेशन आये हैं--चाहे वे बर्तन वालों के हैं और चाहे हैंडलूम वालों के--उन पर वह विचार करें और मैं आशा करता हूं कि अगर वह विचार करेंगे, तो कुछ न कुछ उन को रिलीफ़ दिया जायेगा।

†**श्री आचार** (मंगलौर): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आय-व्ययक के पूंजी विनियोजन के भाग के सम्बन्ध में अधिक जानकारी दी जानी चाहिये। इस में लगभग १००० करोड़ रु० की राशि के व्यय की बात है। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या धन समझदारी से खर्च किया जा रहा है अथवा नहीं ? और क्या खर्च में कमी की जा सकती है अथवा नहीं ? इस बात को आज सर्व-साधारण में अनुभव किया जा रहा है कि परियोजनाओं पर बहुत ही व्यर्थ में धन खर्च किया जा रहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इमारतों पर खर्च किये गये धन की बड़ी सावधानी से जांच की जाय। हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि तीसरी योजना के अन्त में हमारा कर्जा १०,००० करोड़ तक जा पहुंचेगा। मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें और जापान की तरह भारत में भी थोड़ी इमारतों से ही काम चलाया जाये।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि अप्रत्यक्ष करों का भार ग्रामीण जनता पर नहीं पड़ता। ग्रामीण जनता देश की कुल जनसंख्या की ८० प्रतिशत है और यह स्पष्ट ही है कि अप्रत्यक्ष करों का भार अन्ततोगत्वा ग्रामीण जनता पर ही पड़ता है। यह समझना भूल है कि कृषि सम्बन्धी आय सामान्यतः बढ़ गई है। मैं मानता हूं कि तीसरी योजना के लिये हमें साधन चाहिये परन्तु यह भी तथ्य है कि गांव के साधारण व्यक्ति की आय बहुत ही कम है। कृषि श्रम जांच समिति के दूसरे प्रतिवेदन में इस बारे में प्रकाश डाला गया है। वित्त मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच वृद्धि का अनुपात समुचित है अथवा नहीं ? क्या बड़ी बड़ी आय वाले लोगों अथवा निकायों पर अधिक कर नहीं लगाया जा सकता। सरकार को कुछ वस्तुओं पर कर लगाने सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर विचार करना चाहिये और जहां कहीं भी सम्भव हो छूट देनी चाहिये। अधिक आय कर लगा कर इस कमी को पूरा किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री राधे लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है, और उस के द्वारा जो देश की स्थिति सामने रखी गई है, उस को देख कर सभी को प्रसन्नता होगी । इस में कोई शक नहीं कि पिछले दस वर्षों में हमारी अर्थ व्यवस्था के प्राय: सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है । औद्योगिक उत्पादन में जहां ६६ प्रतिशत वृद्धि हुई है वहां खाद्य की उपज में भी ३३ प्रतिशत वृद्धि हुई है और हमारी योजनायें प्रथम और द्वितीय, दोनों काफी सफल रही हैं । दूसरी योजना समाप्त हो रही है और हम अब तीसरी योजना को हाथ में लेने वाले हैं । इन योजनाओं का उद्देश्य, जैसाकि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, मुख्य रूप से जो हमारे करोड़ों लोग गरीबी में जकड़े हुए हैं उन को गरीबी के चंगुल से छुड़ाना है, और इसीलिये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह बहुत बड़ी योजना के रूप में सामने रक्खी गई है ।

योजना को सफल बनाने के लिये टैक्स भी लगाने की जरूरत है क्योंकि पैसा भी चाहिये, और यह भी सही है कि हम हमेशा नोट छाप कर उसे पूरा नहीं कर सकते हैं । इस दृष्टि से जो टैक्स आदि लगाये गये हैं उन को कोई गैर वाजिब नहीं कह सकता । यह भी सही है कि हमारे देश की आबादी काफी है और करोड़ों गरीब लोगों के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वे भी अपने ऊपर कुछ कर का भार उठायें । इस दृष्टि से टैक्स के जो प्रस्ताव रक्खे गये हैं, मैं समझता हूं, वे बिल्कुल उपयुक्त हैं । जहां तक लोगों का सवाल है उन को टैक्सों के देने के बारे में उतनी शिकायत नहीं है, बल्कि अगर देश की गरीबी को मिटाना है, लोगों को सुखी बनाना है, तो लोग और भी अधिक त्याग करने को तैयार हो जायेंगे । गरीब भी कुछ न कुछ धन दे देताहै । यह हमारे देश की परम्परा रही है कि में अपने समाज के लिये, अपने देश के लिये लोगों ने अपनी जान तक दे दी है, इसलिये वे थोड़ा टैक्स देने गुरेज नहीं करेंगे । लेकिन लोगों को जो शिकायत है वह यह कि जो पैसा लिया जाता है, उस का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है । लोगों को ऐसा अनुमान है कि इस पर जितनी देख रेख रखनी चाहिये, जितनी निगाह रखनी चाहिये कि वह पैसा फुजूल खर्च न हो, अनुत्पादक कार्यों में खर्च न हो, और उस का ठीक रिटर्न मिले, एक एक पैसे का सदुपयोग हो, उतनी रक्खी नहीं जा रही है । इस बारे में लोगों को शंकायें हैं और उस के लिये कारण भी हैं । हमारे प्रधान मंत्री जी ने और दूसरे मंत्रियों ने बार बार यह कहा है कि हमारे देश में चपरासी वगैरह की जितनी संख्या है, उतनी दूसरे देशों में नहीं रहती है । ठीक है आप टैक्स लगाइये, पैसा उगाहिये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समय नहीं आ गया है जब हम को विचार करना चाहिये कि हमारे यहां की एकानमी कहां ऐसी है जिस में खर्च कम किया जा सकता है । उस खर्च को कम कर के हम करोड़ों रुपया अपने परिश्रम से बचा कर योजना के महत्वपूर्ण कार्य में क्या नहीं लगा सकते हैं ? कहा गया है कि नया रिक्रूटमेंट हम ने बन्द कर दिया है और इस पालिसी को हम जारी रखना चाहते हैं । लेकिन यही काफी नहीं है । जब हम देखते हैं कि हमारे कर्मचारियों के घरों में बच्चों को रखने के लिये चपरासी हैं, खाना बनाने वाले भी चपरासी हैं, बाजार का काम करने वाले भी चपरासी हैं तो हमें बड़ा दुःख होता है । जिन लोगों को बढ़ी बड़ी तन्ख्वाहें मिलती हैं, वे ऐसे काम करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि केवल डाइरेक्शन्स इश्यूकर देने से काम नहीं चलेगा, इसके लिये कानून बना देना चाहिये कि जुर्माना होगा अगर कोई अधिकारी सरकारी कर्मचारियों से ऐसे काम लेगा, उन के इस काम को अपराध माना जायेगा और इस के लिये चालान हो कर न्यायालय से सजा भी मिल सकती है । इस बात को साफ कर दिया जाना चाहिये क्योंकि केवल डाइरेक्शन्स से या सर्कुलर इश्यू करने से यह चीज रुकने वाली नहीं है । मेरा विश्वास है कि चपरासी और दूसरे लोग काफी जागृत हो गये हैं, और मैं ने ऐसी जगहें देखी हैं जहां उन्होंने इस तरह के काम करने से इन्कार कर दिया है । वे घर का काम नहीं करेंगे भले ही वे वहां पर बैठे रहें । अगर उन की जरूरत न हो तो आप को उन की संख्या को कम करना चाहिये ।

[श्री राधे लाल व्यास]

इसी तरह से कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप ने इन्स्पेक्टर वगैरह रक्खे हैं। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग उन को अपने काम के लिये मुकर्रर करते हैं। इस के बारे में भी जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि क्या एक ही आदमी दो तीन महकमों का काम नहीं कर सकता। अगर इस तरह जागरूकता से काम नहीं किया जाय और काफी प्रयत्न किया जाय तो मेरा विश्वास है कि बहुत कुछ रुपये की बचत हो सकती है और खर्चा कम हो सकता है, और आप जो टैक्स का भार गरीब आदमियों पर अधिक डालते हैं, उस में भी कमी हो सकती है।

अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम सब को अभिमान है, और जितनी प्रगति हुई है वह सराहनीय है। बाहर वाले भी जब यहां आते हैं तो उन को आश्चर्य होता है। लेकिन आखिर हमारी योजनाओं का उद्देश्य क्या है? आखिर लोगों को सन्तोष देना ही तो? आज कई ऐसी बातें हैं जिन की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हमें केवल इस से सन्तोष नहीं करना है कि हम ने जो आंकड़े पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित किये हैं उन को पूरा करना है या उन को पूरा करने के लिये रुपया जुटाना है या आज हमें टैक्स द्वारा या विदेशों से कर्ज ले कर वह करना है। यही काफी नहीं है कि हमारे आंकड़े पूरे हो जायें। देखना यह है कि जिन लोगों के लिये यह काम किये जाते हैं उन को पूरा सन्तोष होता है या नहीं।

एक चीज और मैं यह रखना चाहता हूं। हम ने कहा कि लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं न्यायालयों में? न्याय महंगा हो गया है। कोर्ट फीज़, प्रोसेस फीज वगैरह काफी बढ़ गई हैं और अदालतों में मुकदमे महीनों चलते हैं। मैं आप से आज की हालत क्या निवेदन करूं? आज से कुछ साल पहले जब हम अर्जेन्ट कापी के लिये ऐप्लाई करते थे तो २४ घंटों में वह हमें मिल जाती थी, लेकिन अब १५ दिन में वह नकल मिलती है। मामूली नकल में तो चार चार महीने लग जाते हैं और वह नहीं मिलती है। लोग पूछते हैं कि आखिर यह क्या स्थिति आ गई है। लोगों में यह चर्चा का विषय होता है और राजनीतिक तथा और तरह की टीका टिप्पणी होती हैं। चाहिये तो यह कि न्याय सुलभ हो, सस्ता हो और जल्दी मिले। लेकिन आज तो वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं। आवश्यकता इस चीज की है कि आधुनिक साधनों के द्वारा या पंचायतों को और अधिकार दे कर लोगों को न्याय दिया जाये।

इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र को लीजिये। काफी प्रगति हुई, काफी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और असंख्य कालेज हायर सेकेन्डरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स, टेकनिकल स्कूल और कालेज, इंजीनियरिंग कालेज वगैरह खोले गये हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम सुनते हैं कि हमारी शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिरता चला जा रहा है, चरित्र निर्माण जो मनुष्य और बालकों का होना चाहिये वह नहीं होता है। क्या यह एक महत्वपूर्ण बात नहीं है। क्या हमारी डिमाक्रेसी सफल हो जायेगी जब तक ठीक तरह की शिक्षा लोगों को नहीं मिलेगी? अब यह आसाम और जबलपुर के कांड क्यों हुए हैं? यह लोगों को ठीक तरीके की शिक्षा न मिली होने के कारण घटित हुए। यह भ्रष्टाचार क्यों होता है यह इनएफिशियेंसी क्यों होती है? यह रीजन्लिज्म, कैस्टिज्म वगैरह क्यों फैलती है? यह सरकारी नौकरियों आदि देने के मामले में पक्षपात क्यों होता है। नौकरियां अपने अपने मिलने वालों को दे देते हैं। हालत यह हो गई है कि जुडिशिएरी भी उस से बची नहीं रह सकी है। जब मैं भावनगर गया था तो मुझे एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सैशन जज ने बतलाया कि पहले डिस्ट्रिक्ट सैशन जज के लेविल तक कोई भी उंगली उठा कर नहीं देख सकता था लेकिन अब यह पक्षपात और करप्शन डिस्ट्रिक्ट सैशन जज की **लेविल** तक पहुंच गया है ऐसी लोग शंका करते हैं। पहले हाईकोर्ट के जज की तरफ कोई उंगली नहीं **उठा** सकता था लेकिन अब वहां सिफारिशें वगैरह चलने लगी हैं। अब

क्या यह सब बातें हमारे लिये अच्छी हैं ? इन सब की रोक केवल सरकुलर्स और कानून पास करने से ही नहीं हो सकेगी । इस के वास्ते हमें लोगों के दिल और दिमागों को तबदील करना पड़ेगा । यह तब तक संभव न हो सकेगा जब तक कि ठीक तरीके से लोगों को शिक्षा न दी जाये और वह भी बचपन से । इसलिये इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है । यह तभी सम्भव होगा जब लोगों को मौरेल एजुकेशन भी दी जायेगी । जब ज्यादा से ज्यादा बोर्डिंग हाउसेज़ बनाये जायेंगे जहां कि विद्यार्थियों को रक्खा जायेगा और सुबह से शाम तक जो उन का दैनिक कार्यक्रम होता है उस पर ध्यान रक्खा जायगा ।

आज हमारे देश में सुरक्षा का सवाल भी सामने है । हम देखते हैं कि हमारे एक पड़ौसी राष्ट्र चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण कर के हमारा कुछ भाग अनधिकृत रूप से दबा रक्खा है । उस के लिये यह कहा जाता है कि उस की रक्षा के लिये केवल आदमियों की ही जरूरत नहीं होगी अपितु अन्य तैयारियां भी करनी होंगी, यह बिलकुल ठीक है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि लोगों का मौरेल एक बहुत बड़ी आप में ताकत होती है । बगैर मौरेल के और बगैर मौरेल फोर्स के कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता है और कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है । पुराने जमाने में इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहां के लोग सावधान नहीं थे और तैयार नहीं थे और जिस का कि नतीजा यह हुआ कि मुट्ठी भर लोग बाहर से यहां आये और उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया था। आज समय आ गया है जब कि हमको तमाम कालिजेज और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है । हमें अपने नौजवानों को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि देश में जबलपुर आदि जैसे कांडों को लेकर जो झगड़े वगैरह हो जाया करते हैं उनकी रोकथाम करें और लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। हमें उनको इस तरह से शिक्षित करना चाहिए कि समय पड़ने पर वे अपने आप को जोखिम में डालने को भी तैयार हो जायें। अपने देश के नौजवानों को इस तरह का शिक्षा देने की आज बड़ी आवश्यकता है और इस ओर सरकार का विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। अगर हमने इस ओर ध्यान नही दिया तो जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया एक समय ऐसा आ सकता है कि हमारी सारी करी करायी मेहनत पर पानी फिर जाय और एक गड़बड़ी और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है और जिस उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं वह बेकार हो सकता है ।

एक्साइज ड्यूटी के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं उनका समर्थन करता हूं । हमें रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है । जैसे कि पहले कुछ राज्यों में मस्लन मैसूर, ट्रावनकोर-कोचीन, बीकानेर, ग्वालियर और इंदौर में सरकारी कर्मचारियो का लाइफ इंश्योरेंस कम्पलसरी किया तो क्या हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, आमदनी को बढ़ाने के लिए इस लाइफ इंश्योरेंस को सारे देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए कम्पलसरी नहीं कर सकते हैं ? मेरी समझ में वह कम्पलसरी होना चाहिए । उसका प्रीमियम भी कम हो और जो एजेंट को कमिशन दिया जाता है वह उसमें से काट कर के यह कम्पलसरी इंश्योरेंस की स्कीम लागू कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि सरकारी नौकर इसका स्वागत ही करेंगे । यह योजना सरकारी कर्मचारियो के हित में ही होगी । इसके साथ ही देश में विकास कार्य करने के लिए आपको करोड़ों रुपया भी मिल जायगा । एक कम्पलसरी सेविंग हो जायगी । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करें और इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयत्न करें ।

[श्री राधे लाल व्यास]

इसी तरीके से इस इंश्योरेंस को जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं उनमें भी इसको लागू कर देना चाहिए जिससे कि करोड़ों रुपयों की आमदनी हमको मिल जाय।

दो शब्द मैं लोगों की हैल्थ के बारे में भी आपसे कहना चाहूंगा। हमारे यहां अस्पताल बड़ी संख्या में खुलते जा रहे हैं और करोड़ों रुपया उसके लिए खर्च भी हो रहा है लेकिन उन बातों की तरफ कम ध्यान है जिनमें कि पैसा खर्च करना नहीं होता है। अब नदियों का पानी गन्दा होता जा रहा है, तालाबों का पानी गन्दला हो रहा है, कुओं का पानी खराब है। इस गन्दगी को रोकने के लिये अभी तक कोई बात नहीं की गई है। मैंने अखबारों में देखा कि अभी थोड़ा समय हुआ हैल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी और उसमें इस पर विचार किया गया लेकिन बात तो तब होती जब इस नये साल में कोई उसके वास्ते नई चीज या कोई कानून सामने आता। अमरीका आदि देशों में गन्दगी को रोकने के वास्ते कानून बने हुए हैं। अगर पीने का पानी और हवा भी लोगों को शुद्ध न मिल सके तो यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो और जो करोड़ों रुपया आज अस्पतालों में दवाइयों पर खर्च हो रहा है उसमें बचत हो जायगी।

अन्त में मैं एक शब्द और कहने के लिए आपसे क्षमा चाहूंगा और वह यह है कि हमारे यहां ग्वालियर में ए० जी० का आफिस है। वहां कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। यह तो ठीक है कि अगर जिन लोगों ने हड़ताल की थी तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए लेकिन इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि दूसरी जगह हड़ताल करने वालों के साथ जिस तरह से पेश आया गया है वैसा ही बर्ताव वहां के कर्मचारियों के साथ भी होना चाहिए। अब वहां कुछ नौजवान कर्मचारी गुमराह हो गये और उन्होंने हड़ताल कर दी। उन हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है जब कि दूसरी जगह इतना कड़ा कदम नहीं उठाया गया और उन पर जुर्माना कर दिया गया और उनको वार्निंग दे दी गई। मेरा कहना तो यही है कि इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर दूसरी जगह भी इतना सख्त कदम उठाया गया हो तो मैं नहीं कहता। यह मेरा निवेदन है कि इस पर गौर किया जाय और उनके मामलों पर ध्यानपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय खास कर उन लोगों के बारे में जिन्होंने कि माफी भी मांग ली है। इन शब्दों के साथ मैं आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री कुट्टि कृष्णन् नायर** (कोजीकोड) : मैं आयव्ययक प्रस्थापनाओं का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह तीसरी योजना का प्रथम आयव्ययक है। यह योजना बड़ी व्यापक है। तीसरी योजना का लक्ष्य सामने रख कर ही तो आयव्ययक बनाया जाना था। दोनों योजनाओं में हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। रोजगार के साधनों में भी काफी वृद्धि हुई है। आयव्ययक में करारोपण के जो प्रस्ताव हैं उनको आम तौर पर पसन्द किया गया है। एक कल्याणकारी राज्य में अप्रत्यक्ष करारोपण में वृद्धि अपरिहार्य है। यह तो ठीक है कि हमारी कठिनाइयों का हल करने का केवल एक उपाय शीघ्र औद्योगिकरण है। परन्तु इस दिशा में मेरी शिकायत यह है कि औद्योगिक नीति के कार्यान्विय में विभिन्न प्रदेशों के बीच सन्तुलन रखने को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। अविकसित क्षेत्रों को कोई ठोस सहायता नहीं दी जा रही है। उदाहरण के लिए मैं केरल का नाम लेता हूं। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत उसकी उपेक्षा की गई है। इस राज्य में स्थापित किये जा रहे उद्योगों को अन्य राज्यों की अपेक्षा कम धन दिया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़े सन्तोष की बात है कि जहाज बनाने का दूसरा कारखाना केरल में स्थापित किया जा रहा है। शायद इसलिए कि केरल के प्रति जो अन्याय होता रहा है उसकी कुछ तलाफी कर ली जाये। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि केरल में कर अधिक होंगे क्योंकि वहां संसाधनों का अभाव है। ऐसे क्षेत्रों की तो भारत सरकार को सहायता करनी चाहिए। केरल को जो सहायता इस समय मिल रही है वह काफी नहीं है। वहां के ७५ उद्योगों के आवेदन पत्रों में से केवल २० को अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त हुआ है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के आवेदन पत्रों का शीघ्रता से निपटारा किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि केरल में कुछ बैंकों को मिलाने का जो प्रस्ताव है उसे शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने कर्तव्य का बड़े साहस से पालन करते हुए काफी सोच विचार के पश्चात यह आय व्ययक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। तीसरी योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए यह बड़ा आवश्यक है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में १३ मार्च, १९६१ को श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा :—

> "कि रेलवे यात्री किराया अधिनियम १९५७ निरसित करने और उसमें कुछ आनुषांगिक व्यवस्थायें करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहना था कह दिया है अब मुझे और कुछ नहीं कहना। यह बहुत ही छोटा सा विधेयक है।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : इस विधेयक के सम्बन्ध में दो आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। एक यह कि इसे संविधान के अनुच्छेद २८०, २८१ के अन्तर्गत अपेक्षित राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं है। यह साधारण प्रकार का विधेयक नहीं यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद २८० और २८१ में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना परम आवश्यक है। इस सम्बन्ध में संविधान की व्यवस्था बड़ी स्पष्ट है।

इस सिफारिश के अनुसार, जिसे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था, सम्पदा शुल्क विधेयक और रेलवे यात्री किराया कर अधिनियम संसद् द्वारा पारित किये गये थे। अब निरसन के बारे में हमें क्या आपत्ति हो सकती है? परन्तु इस बात का ज्ञान मुझे नहीं है कि क्या राष्ट्रपति ने दूसरे वित्त आयोग की सिफारिशों में संशोधन करने की अनुमति दे दी है? राष्ट्रपति की सिफारिश तो केवल यह है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है और करों में परिवर्तन किया जाना है।

इसके बाद मेरी प्रार्थना है कि उद्देश्यों और कारणों का विवरण भी विधेयक ही का अंग है क्योंकि उनमें लिखा है :

> "रेलवे अभिसमय समिति, १९६० ने सिफारिश की है कि १ अप्रैल, १९६१ से यात्री किराया कर को किराये ही में मिला दिया जाय और राज्यों को निर्धारित रकम दी जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

किन्तु इस विधेयक में यह तो बताया ही नहीं गया कि वितरण किस आधार पर होगा। रेलवे मंत्री ने कहा था कि इसके बाद सामान्य राजस्व में १२.५ करोड़ रुपया दिया जायगा। किन्तु जब तक आप आवंटन का आधार निश्चित नहीं करते तब तक आप सभा में आकर निरसन की मांग किस प्रकार कर सकते हैं।

यह सारी बात सांवैधानिक है। राज्यों को आखिर एक प्रणाली के अनुसार ही तो धन मिलता है। अतः इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपेक्षित अनुच्छेद के अधीन अनुमति नहीं दी है। इस की अनुपस्थिति में हम इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकते।

इसके अतिरिक्त जब दो निकायों की सिफारिशें परस्पर विरोधी हों तब किसकी सिफारिश मान्य होगी? रेलवे अभिसमय समिति सांवैधानिक समिति से अधिक विशिष्ट तो नहीं हो सकती। इस सभा को भी यह अधिकार नहीं कि वह सांवैधानिक निकायों का उल्लंघन कर सके। इन कारणों से मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक शक्ति परस्तात है और हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या इसका उत्तर इसी समय दिया जाय?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस बात में संदेह नहीं कि सांवैधानिक समिति ही को प्राथमिकता प्राप्त है किन्तु यह तो प्रश्न यहां उठता ही नहीं। किन्तु यहां तो एक अधिनियम का मामला है। जब एक चीज से राजस्व ही नहीं होगा तो राज्यों को क्या दिया जायगा? माननीय सदस्य इस चीज पर विचार करें। मैं उद्देश्यों और कारणों के विवरण को भी विधेयक का अंग नहीं मानता।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने औचित्य की बात कह दी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे स्थिति से अवगत करायें।

†**सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) :** उनका कहना है कि वित्त आयोग ने सिफारिशें की थीं जिनके अनुसार संविधान के अनुच्छेद २८० तथा २८१ के अधीन राज्यों को कुछ रकमें आवंटित की गयीं। आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद २८० के अन्तर्गत होती है। अब सरकार ने १९५७ के अधिनियम के निरसन के लिये विधेयक पेश किया है। अतः माननीय सदस्य की आपत्ति यह है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना संविधान का उल्लंघन होगा।

उनकी दूसरी आपत्ति यह है कि चूंकि पहला विधेयक आयोग की सिफारिशों के अनुसार पारित है। इस कारण उसके सामने यह विधेयक शक्ति परस्तात होगा। मैंने सदस्य से दो प्रश्न पूछे थे; एक तो यह कि वित्त आयोग केवल आवंटन की प्रणाली के बारे में ही सिफारिशें करता है न कि कराधान के बारे में। यह तो संसद् ही कर सकती है। इसलिये जब संसद् ही पहले अधिनियम का निरसन कर रही है तो इसमें क्या हानि है। दूसरी बात यह थी कि जब राजस्व ही नहीं होगा तो फिर वितरण किस चीज का होगा? अब राज्यों को एक निर्धारित रकम दी जाया करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** माननीय सदस्य इस बात का जवाब दें कि क्या संसद् को वित्त आयोग की सिफारिशें जरूरी माननी पड़ती हैं

†मूल अंग्रेजी में

†श्री महन्ती : संसद् के लिये ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। किन्तु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। यदि संसद् आयोग की किसी सिफारिश को बदलना चाहे तो इसके लिये अनुच्छेद २८१ के अन्तर्गत आज्ञा लेना आवश्यक है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या सभा ने स्वीकृति सूचक संकल्प पारित किया था ?

†श्री महन्ती : श्रीमान् आप कृपा १९५७ के अधिनियम का शीर्षक तो देखें। उससे ज्ञात होगा कि वह अधिनियम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बना था। अब भी यदि अनुच्छेद २८१ के अधीन राष्ट्रपति की मंजूरी होती तो मैं आपत्ति न करता।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अनुच्छेद २८१ में यह चीज नहीं है कि संसद् वित्त आयोग का उल्लंघन कर ही नहीं सकती। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को सभा के समक्ष रखवाता है।

इस विधेयक द्वारा रेलवे यात्री किराया कर अधिनियम को निरसित किया जा रहा है। जिसमें राज्यों की भी रुचि है। सम्पदा शुल्क अधिनियम में भी इसी के फलस्वरूप होने वाले अपेक्षित सुधार किये जा रहे हैं। अतः संविधान के अनुच्छेद ११७(१) तथा (२७४) (१) के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिशें प्राप्त कर ली गयी हैं। इससे आगे जहां तक धन के वितरण का संबंध है वित्त आयोग का संबंध वहीं तक का है। यदि कर ही नहीं होगा तो आयोग वितरण किस चीज का करेगा। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न ही नहीं उठेगा। संसद् अब रेलवे वालों को यह अनुज्ञा दे रही है कि वह सामान्य राजस्व में १२.५ करोड़ रुपये की निर्धारित रकम दे दिया करें। जब यह रकम एकत्रित होगी तभी इसके बांटने का उतरदायित्व आयेगा। तभी यह निश्चय वित्त आयोग करेगा।

जहां तक इस चीज का संबंध है कि राज्यों को घाटा हो रहा है, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। वर्तमान आंकड़े १९५८-५९ से १९५९-६० तक के हैं। इन्हीं वर्षों को आवंटन के लिये आधार माना गया है। इसलिये यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि राज्यों को किसी प्रकार की हानि होगी। उन्हें पहले जितनी रकम अब भी मिलती रहेगी। फर्क केवल इतना ही पड़ेगा कि अब आम किराये में से यह अंश मिला करेगा। इस कारण राज्यों को इस दिशा में कोई खतरा नहीं रहना चाहिये कि उन्हें किसी भी प्रकार की हानि होगी। यह उपबन्ध केवल इसी कारण किया जा रहा है कि इसी के साथ रेलवे की आमदनी भी बढ़ जाय।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक अनुच्छेद २७४ की अपेक्षितता का संबंध है वह इस स्थान पर पूरी कर दी गयी है।

जहां तक वित्त आयोग की सिफारिशों का संबंध है उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि संसद् को सदा पूरी शक्ति प्राप्त है। अतः इस समय वह निरसन भी कर सकती है। यहां संविधान के विपरीत आचरण का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस विधेयक के खंड ३ के अनुसार धारा ५ का निरसन हो जायेगा। किन्तु इसके बाद राज्यों को एक निर्धारित रकम की अदायगी की जायगी। यदि राज्यों को उससे सन्तोष नहीं होगा तो वे राष्ट्रपति को लिखेंगी किन्तु इस विधेयक से राज्यों को हानि नहीं पहुंचती। अतः यह विधेयक अनियमित नहीं है। अब इस विधेयक पर शेष कार्यवाही कल की जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

"पूर्व की यात्रा करो वर्ष"

†अध्यक्ष महोदय : अब श्री तारिक आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे ।

†श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : मिस्टर स्पीकर, मैं ने यह आध घंटे का डिस्कशन उस जवाब के सिलसिले में उठाया है जोकि जनाब वजीर ने मेरे स्टार्ड क्वेश्चन नम्बर ८०७ के बारे में ९ दिसम्बर सन् १९६० को लोक-सभा में दिया था ।

मैं इस हाफ ऑवर डिस्कशन के जरिये अपने वजीर साहब की तवज्जह इस जरूरी बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में बाहर के सैयाहों के लिये इस कदर इन्तजामात नहीं हैं जिस कदर कि सैयाह हमारे मुल्क में आते हैं । यह हकीकत है कि जहां तक हमारी पबलिसिटी का ताल्लुक है या जहां तक टूरिस्ट्स के हिन्दुस्तान आने का ताल्लुक है हम बहुत अच्छा काम करते हैं और इस बारे में मैं वजीर साहब की तवज्जह उस स्टटमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं जोकि २१ मेम्बरों की एक ट्रैविल एजेंट्स टीम ने जिसको कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैविल एजेंट्स ने स्पौंसर किया है, दिया है । उनके लीडर जौन मार्टिन ने हिन्दुस्तान में टूरिस्ट्स फैस्लिटीज के बारे में २३, अक्तूबर, सन् ६० के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह लिखा है :—

> "अमेरिका में पर्यटन संबंधी प्रचार भारत काफी कर रहा है । किन्तु दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर यहां पर सुविधायें बहुत कम हैं । यहां तक कि बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों में भी ज्यादा होटलों की आवश्यकता है ।"

हाउस में बार बार इस बात की चर्चा की जाती है कि हमारे मुल्क में इस टूरिज्म के जरिये करोड़ों रुपये की आमदनी होती है । मैं समझता हूं कि अगर यह दुरुस्त हो और यह फिलवाकिया प्रोपेगेंडा नहीं है और यह हकीकत है कि हम फौरेन टूरिस्ट्स के जरिये इस मुल्क में करोड़ों रुपया लाते हैं और उसको फाइनेंस मिनिस्टर साहब के हवाले करते हैं तो फिर हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम उन सैयाहों को जोकि हमारे मुल्क में आते हैं उनको मुनासिब सहूलियात बहम पहुंचायें ।

अभी ३० अक्तूबर, सन् १९६० के टाइम्स आफ इंडिया में अमेरिकन एक्सप्रेस के प्रेसीडेंट मि० हावर्ड एल० क्लार्क ने फेस्लिटीज फौर टूरिस्ट्स के बारे में जो सुझाव दिया है और स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने यह कहा है :—

> "उनके सुझावों में एक यह भी था कि दर्शनीय स्थानों पर होटल बनाये जायें । उन्हें बताया गया कि इस समय भारत में ९,००० से १०,००० यात्रियों के ठहरने का इंतजाम है ।"

मैंने इसी सिलसिले में वजीर साहब से पूछा था :—

> "क्या इस वर्ष १ लाख से भी ज्यादा पर्यटकों के आने की आशा है ?"

मेरे इस सवाल के जवाब में वजीर साहब ने यह कहा कि हमारे देश में होटल एकौमोडेशन सफशिएंट न होने की वजह से हमारे टूरिज्म को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा । मैं अब अपने वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि जहां तक टूरिस्ट्स को हिन्दुस्तान में लाने का ताल्लुक है उसकी पबलिसिटी वगैरह माकूल और दुरुस्त है लेकिन उनको अपने इस मुल्क में सहूलियात पहुंचाने के क्या इंतजामात हैं ? दिल्ली में लीजिये, कलकत्ते में लीजिये, चाहे बम्बई में लीजिये सन् १९४७ के बाद से हुकूमत

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*आधे घंटे की चर्चा

कितने नये और अच्छे होटल बनाने में कामयाब हुई है । अलबत्ता दिल्ली में एक अशोक होटल है और जनपथ होटल है । अब जहां तक अशोक होटल का ताल्लुक है इस वक्त उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उसका मसला एस्टिमेट्स कमेटी के पेशेनजर है । लेकिन जिस वक्त अशोका होटल के मुताल्लिक रिपोर्ट इस ऐवान में आयगी, तो उस वक्त मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूंगा । जहां तक जनपथ और दूसरे होटलों का ताल्लुक है, यह हकीकत है कि न सिर्फ टूरिस्ट्स को बल्कि हिन्दुस्तान के लोगों को भी उनमें बहुत दिक्कत और तकलीफ होती है । उनमें कमरे मिलने में बहुत दिक्कत होती है, जिनके रेट भी मार्केट रेट्स से ज्यादा होते हैं । इसका नतीजा यह है कि हमारे मुल्क में टूरिज्म को नुकसान पहुंचता है । मैं आपके सामने ३० अक्तूबर, १६६० के टाइम्ज़ आफ इंडिया में छपी उस खबर को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जो कि मि० चिब की साउथ अमरीका की विजिट के बारे में थी :—

"दक्षिण अमेरिका के हाल के दौरे में श्री चिब का एक प्रयोजन यह होगा कि वह उस भाग से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करें । इसबार उन देशों से ५०० पर्यटक भारत आये थे । उन्हें आशा है कि वहां से ५००० पर्यटक भारत आ सकते हैं ।"

यह बात मेरी समझ में नहीं आई और मैं समझना चाहता हूं कि जब हमारे यहां पचास आदमियों के खाने का इन्तजाम है, तो फिर दो सौ आदमियों को क्यों बुलाया जाता है । इससे एक तो खाने में लज्जत नहीं रहती है और दूसरे बाहर के मुल्कों में हमारी बदनामी होती है ।

इस मुल्क में होटल वालों का मसला है । उनको पैसा चाहिए । चन्द एक तबकों और फिर्कों के पास होटल हैं और उनमें एक सब से बड़ा फिर्का, जिसका नाम लिये वगैर आप समझ सकते हैं, ऐसे बिजिनेस में पैसा नहीं लगना चाहता है, जहां गोश्त काटा और पकाया जाता है । हुकूमत पैसा लगाना नहीं चाहती और बाहर से पैसा आ नहीं रहा है । तो फिर सवाल यह है कि होटल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ायेंगे । अमरीका और दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े अखबारों में हमारी तरफ से इश्तहार छपते हैं कि खुजराहो विजिट कीजिये, यहां जाइये, वहां जाइये और इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की पब्लिसिटी करने से पहले यह सोचना चाहिए कि आया खुजराहो में उन लोगों के रहने का कोई इन्तजाम भी है या नहीं । मैं बड़ी दयानतदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हुकूमत इस पब्लिसिटी से हिन्दुस्तान की कोई खिमदमत नहीं कर रही है, बल्कि वह उन अच्छे मुल्कों में, जो कि टूरिज्म को सीरियसली लेते हैं, हिन्दुस्तान को बदनाम कर रही है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन वजूहात की बिना पर बीस फीसदी टूरिस्ट्स, जिन्होंने इस मुल्क में आना था, यहां नहीं आये और वे टोकियो और होनूलोलू वगैरह चले गये और उन्होंने यहां की विजिट कैन्सल कर दी ।

मैं आपके सामने बाहर के मुल्कों की राय नहीं, बल्कि इस मुल्क के साबिक वजीर बराये टूरिज्म, श्री पाटिल, की यह राय रखना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में होटल एकामोडेशन, गाइड्ज और दूसरी फैसिलिटीज की हालत इतनी अफसोसनाक है कि हमको उस पर शर्म आनी चाहिए ।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपकी एक अहम एपायंटमेंट है और मुझे भी रोजा खोलना है । मैं साफ लफजों में सिर्फ यह जनाना चाहता हूं कि जहां तक होटल फिमांस कार्पोरेशन का तॉल्लुक है, हुकूमत उस बारे में कितनी मदद करना चाहती है, क्या

[श्री अ० मु० तारिक]

हुकूमत इस बात को जरूरी समझती है कि हमारे मुल्क में होटल इंडस्ट्री को बढ़ना चाहिए और होटल वालों को सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए, और अगर वह मिल सकती है, तो किस जरिये से मिल सकती है, क्या होटल फिनांस कार्पोरेशन बनाना जरूरी है और अगर जरूरी है, तो हुकूमत किस हद तक मदद कर सकती है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : क्या सरकार देश ही के पर्यटकों को भी १९६१ में सुविधायें देने जा रही है। क्या पर्यटन सम्बन्धी दूसरा निदेशालय भी खोला जायगा। क्या अभी तक राज्यों में पर्यटन सम्बन्धी पदाधिकारी नहीं है? इसके अलावा यह भी बताया जाय कि सरकार उन राज्यों को क्या सहायता देगी जिनमें प्राचीन हिन्दू मंदिर है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: श्रीमान् मैं श्री तारिक से जो पर्यटन संबंधी काम में काफी अभिरुचि लेते रहे हैं, सहमत हूँ। जहां तक होटलों में जगह की व्यवस्था का सम्बन्ध है हम उतनी जगह की व्यवस्था नहीं कर सके जितने कि पर्यटक आते हैं।

यह सच है कि देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में ५०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है और होटलों के स्थान में केवल ३० या ३३ प्रतिशत की। होटलों के निर्माण के लिए अपार धन की आवश्यकता है। गैर-सरकारी उपक्रमी अन्य चीजों में ही धन लगाना ज्यादा लाभदायक समझते हैं।

इसके अलावा हमने इस उद्योग को बढ़ावा देने के जो उपाय किए हैं वे अब तक उतनी हद तक फलीभूत नहीं हुए जिस हद तक उन्हें होना चाहिए था। फलीभूत होने तो लगे हैं।

उन्होंने एक सवाल किया कि हम लोगों को इस उद्योग में पैसा लगाने के लिए क्या बढ़ावा देने की सोच रहे हैं।

सबसे पहले तो हमने यह काम किया था कि हमने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम का संशोधन किया ताकि होटल उद्योग के लिए भी बिना-सीमा के ऋण प्राप्त हो सके। किन्तु यह सुविधा उन्हीं को उपलब्ध है जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के रूप में काम करते है। इसलिए उनसे ज्यादा लाभ नहीं उठाया जा सका। केवल बम्बई के नटराज होटल को ९ लाख रुपये का ऋण मिला था।

इस कारण राज्यों को यह सलाह दी गयी है कि कि वे राज्यों के तत्सम्बन्धी कानूनों में ऐसा सुधार करें जिससे ये सुविधाएं लोगों को ज्यादा मिल जांय।

माननीय सदस्य ने यह बात ठीक ही कही है कि या तो सरकार को इस सम्बन्ध में आगे ही बढ़ना चाहिए या फिर हमें एक होटल वित्त निगम बनाना चाहिए जो इस दिशा में पूंजी जुटाने की व्यवस्था कर सके। इन दोनों प्रस्तावों पर विचार होना चाहिए। किन्तु जब

†मूल अंग्रेजी में

तक कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकलता तब तक मैं इनके सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता ।

माननीय सदस्य शायद यह जानना चाहें कि होटल व्यवस्था में इन दिनों कहां तक प्रगति हुई है। होटेल स्टैंडर्ड समिति ने ४, ५ जगहों में होटल सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार की सिफारिश की थी। उस समिति ने कहा था कि कलकत्ता, आगरा दिल्ली और मद्रास में यह व्यवस्था बढ़ानी चाहिए।

बम्बई में नटराज नामक एक नया होटल बना है जिसमें १०० आदमियों के ठहरने की जगह है। हम इसे पूरा सहयोग देते हैं । टेलीफोन सज्जा तथा अन्य सज्जा आदि के आयात के लिए भी हमने पूरी सुविधाएं इसे प्रदान की हैं।

इसके बाद एक और होटल बनने वाला है जिसका नाम होगा "सन-इन-सेंड"। इस होटल में १५० आदमियों के ठहरने की व्यवस्था होगी?

दिल्ली के आल्पस तथा क्लेरिज होटलों में २० और कमरों की वृद्धि कर दी गई इनका और विस्तार करने का भी प्रस्ताव है जो निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय के विचाराधीन है। यह मंत्रालय जनता होटल के निर्माण करने के बारे में भी विचार कर रहा है। ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड द्वारा चलाये जाने वाले उवेरॉय इंटरनेशनल ने भी आई० एफ० सी० से ऋण मांगा है उनकी इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है। मैसर्स रिट्ज प्राइवेट लिमीटेड ने विदेशी सहयोग से एक पब्लिक लिमीटेड कम्पनी चालू करके १०० कमरों का होटल बनाने का प्रस्ताव किया था जिसकी स्वीकृति हमने दे दी है। जहां तक कि इस समवाय के करार को सभा पटल पर रखने का प्रश्न है यदि वह समवाय ऐसा करने के लिये तैयार हो गया तो हम उसे सभा पटल पर रख सकते हैं। वर्ना हम सभा पटल पर उन्हीं शर्तों एवं निधनों को रख देंगे जो कि हमने उनके साथ की हैं।

होटलों की सहायता के लिये एक योजना चालू की है जिसके अनुसार होटलों को पहले ५ वर्षों में जो आय होगी उस पर कुछ शर्तों के अधीन कोई कर नहीं लिया जायेगा। साथ ही होटल बनाने के लिये उपयुक्त स्थान दिलाने के बारे में भी हम प्रयत्न कर रहे हैं।

"भारत भ्रमण" कार्यक्रम में हमने सहयोग देने का निश्चय कर लिया है। हम पर्यटकों को विदेशों से आमंत्रित करेंगे ताकि यह कार्यक्रम सफल हो। विदेशी पर्यटकों को जो छूट दी जायेगी संभव है कि वह छूट अपने देश के पर्यटकों को न दी जा सके। एक पृथक पर्यटक निदेशालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । पर्यटक विभागों की देखरेख करने के लिये कुछ राज्यों ने तो अपने यहां विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और शेष राज्यों से हम निवेदन कर रहे हैं कि वे भी ऐसा ही करें। दक्षिण के मन्दिरों के बारे में हम जो भी साहित्य तैयार कर रहे हैं उसे मैं सभा पटल पर रखने का प्रयत्न करूंगा अथवा माननीय सदस्यों को भेजने का प्रयत्न करूंगा। हमने जो कुछ भी साहित्य इन मन्दिरों के बारे में तैयार किया है उससे स्पष्ट है कि हम इन मन्दिरों का प्रचार करने के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। विदेशी पर्यटकों को कुछ मंदिरों को देखने के लिये बुलाने से कई बार धर्मसंकट उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उन्हें मन्दिरों के पुजारी आदि मंदिरों में जाने नहीं देते। अतः यह बात भी विचारणीय है । अतः इन मंदिरों के बारे में इस कारण से हम अधिक प्रचार नहीं कर सकते।

[श्री राज बहादुर]

अंत में मैं श्री मुहम्मद तारिक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि हम इस मामले में यथासंभव कार्य कर रहे हैं। मेरा विचार है कि आप सभी लोग इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि होटलों की कमी केवल भारत में ही नहीं है अपितु प्रायः हर एक देश में है जहां विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिये आते है। लेकिन फिर भी सरकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा सभी संभव कार्यवाही कर रही है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १५ मार्च, १९६१/२४ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १४ मार्च, १९६१

२३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	२३३१—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
८०४	वक्फ जायदाद का प्रशासन	२३३१-३२
८०५	सरकारी प्रशासनों में वनस्पति का विज्ञापन	२३३२-३३
८०६	दिल्ली-लन्दन बस-सेवा . .	२३३४-३५
८०७	बच्चों के लिये तीन गुणों वाले टीके .	२३३५-३६
८०८	बिहार में तापीय विद्युत् संयंत्र .	२३३६
८१०	संयुक्त अरब गणराज्य से चावल .	२३३७-३८
८११	विद्युत उत्पादन के लिये अखिल भारतीय सुपर ग्रिड	२३३८—४०
८१२	टेलीफोन . .	२३४०-४१
८१३	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां . .	२३४१-४२
८१४	मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन . .	२३४३
८१६	ज्वार-बाजरे का आयात . . .	२३४४-४५
८१७	दक्षिण रेलवे पर भूतपूर्व एस० आई० आर० के वाणिज्यिक लिपिक	२३४५-४६
८१८	दंण्डकारण्य क्षेत्र में रेलवे लाइन .	२३४६-४७
८१९	बोइंग ७०७ विमान	२३४७—४९
८२१	डीजल इंजन . . .	२३४९-५०
८२३	श्रीनगर को वाइकाउंट विमान सेवा . .	२३५०
८२५	खाद्य उत्पादन में 'आइसोटोप' का प्रयोग .	२३५०—५२
८२७	त्रिपुरा में जल का अभाव	२३५२-५३
८२८	पब्लिक ला ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं . . .	२३५३
८२९	रेलवे के आहार-प्रतिष्ठान . . .	२३५३—५५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
६	अंकलेश्वर में तेल का पाया जाना . . .	२३५५-५६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उतर . . .	२३५७—२४१६
तारांकित प्रश्न संख्या		
८०६	डाक तथा तार विभाग में गबन . . .	२३५७
८१५	नागार्जुन सागर परियोजना के लिये इस्पात . .	२३५७–५८
८२०	भाखड़ा नांगल परियोजना . .	२३५८
८२२	बर्मा से रेलवे स्लीपरों की खरीद . .	२३५८–५९
८२४	हीराकुड निर्माण क्षेत्र में रेलवे कर्मचारी . . .	२३५९
८२६	राष्ट्रीय राजपथ	२३५९–६०
८३०	राष्ट्रीय राजपथों के लिय विश्व बैंक द्वारा ऋण .	२३६०
८३१	रेलों में ठेके	२३६०
८३२	वंशधारा परियोजना	२३६१
८३३	चीनी पर से नियंत्रण हटाया जाना . . .	२३६१
८३४	सिम्रोन-पनवेल सड़क	२३६१–६२
८३५	पर्यटन का पृथक निदेशालय	२३६२–६३
८३६	लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण . . .	२३६३
८३७	टेलीफोन निर्माण कारखाना . .	२३६३
८३८	'कोटिशः व्यक्तियों के लिये भोजन' . . .	२३६४
८३९	गाड़ियों में सिगरेट पीने वालों और न पीने वालों के लिये डिब्बे	२३६४
८४०	रेलवे कर्मचारी के आश्रित पिता के लिये निःशुल्क पास	२३६४–६५
८४१	विवादों के निपटारे के लिये मध्यस्थ निर्णय . .	२३६५
८४२	कच्चे पदार्थों और तैयार माल का लदान .	२३६५
८४३	जयपुर में योग अनुसंधान-एवं-उपचार केन्द्र	२३६६
८४४	राज्यों में मंत्रियों का सम्मेलन . .	२३६६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५६०	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले . . .	२३६६–६७
१५६१	रेल दुर्घटनायें	२३६७
१५६२	१९६०–६१ में फसल प्रतियोगितायें . . .	२३६७
१५६३	क्षय रोग के लिये औषधि	२३६७
१५६४	महाराष्ट्र में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें .	२३६७
१५६५	पानी की दरें	२३६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उतर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५६६	मध्य रेलवे में हड़तालियों का मुअत्तिल किया जाना . .	२३६८–६९
१५६७	विज्ञान शुल्क	२३६९
१५६८	राजस्थान के कुष्ठ रोग	२३६९
१५६९	उड़ीसा सर्कल में अदत्त मनीआर्डर तथा बीमा किये हुए पार्सल .	२३६९
१५७०	पर्यटकों के लिये सर्किट हाउस	२३६९–७०
१५७१	पंजाब में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण . .	२३७०
१५७२	पंजाब में पर्यटक सूचना केन्द्र	२३७०–७१
१५७३	गुन्तकल और द्रोणाचलम् स्टेशनों पर भिखारी . .	२३७१
१५७४	खाद्यान्नों का पंजाब लाया जाना तथा पंजाब से बाहर भेजा जाना	२३७१
१५७५	प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धि . . .	२३७२
१५७६	बतखों का उत्पादन . . .	२३७२
१५७७	सुपारी अनुसंधान केन्द्र	२३७२–७३
१५७८	सुपारी अनुसंधान केन्द्र	२३७३–७४
१५७९	सुपारी अनुसंधान केन्द्र में वातानुकूलन व्यवस्था . .	२३७४
१५८०	केरल में अनुसंधान केन्द्र	२३७४
१५८१	मत्स्यपालन	२३७४–७५
१५८२	कुक्कुटादि पक्षियों के लिये टीका . . .	२३७५
१५८३	कुक्कुटादि पक्षियों में सर्दी-जुकाम का रोग . . .	२३७५
१५८४	कुक्कुटादि पालन केन्द्रों में मृत्यु दर . . .	२३७५–७६
१५८५	कुक्कुटादि पक्षी	२३७६
१५८६	सुपारी वृक्षों की बीमारियां	२३७६–७७
१५८७	नारियल की फसल को हानि . . .	२३७७
१५८८	नारियल वृक्ष में बीमारी	२३७७
१५८९	नारियल के पत्तों और जड़ की बीमारी का अनुसंधान .	२३७७–७८
१५९०	नारियल की प्रति एकड़ उपज	२३७८
१५९१	कीड़ों आदि का नियंत्रण	२३७८
१५९२	केलों का उत्पादन	२३७८–७९
१५९३	सुअरों का उत्पादन . . .	२३७९
१५९४	सुअर पालन उद्योग	२३७९–८०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५९५	सुअर के मांस का उत्पादन	२३८०
१५९६	गाय के मांस का उपयोग	२३८०–८१
१५९७	पपीते का उत्पादन	२३८१–८२
१५९८	आयात की गयी चिड़ियां	२३८२
१५९९	टेपीओका	२३८२
१६००	टेपीओका	२३८२–८३
१६०१	आन्ध्र प्रदेश में भद्रचलम् पुल	२३८३
१६०२	पंचायत विभाग आदि में अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षण	२३८३
१६०३	उड़ीसा में रबी की फसल का नुक्सान	२३८४
१६०४	नगर आयोजन	२३८४
१६०५	खाद्य उत्पादन के लक्ष्य	२३८४–८५
१६०६	अधिक बड़ा आर० एम० एस० डिविजन	२३८५
१६०७	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का विकास	२३८५
१६०८	तीसरी योजना में बन्दरगाहों का विकास	२३८५–८६
१६०९	संघ राज्य क्षेत्रों में खेती योग्य परती जमीन	२३८६
१६१०	केरल के गांवों में बिजली लगाना	२३८६–८७
१६११	हिमाचल प्रदेश में कार्प मछली	२३८७
१६१२	पर्यटन	२३८७
१६१३	हिमाचल प्रदेश में नहरें	२३८७–८८
१६१४	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२३८८
१६१५	मछली का निर्यात	२३८८
१६१६	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	२३८८–८९
१६१७	इलायची का उत्पादन	२३८९
१६१८	उड़ीसा में पर्यटन	२३८९
१६१९	फल परिरक्षण एकक	२३९०
१६२०	लाख	२३९०
१६२१	कोयना परियोजना	२३९०–९१
१६२२	नई दिल्ली में बन्दरों का उत्पात	२३९१
१६२३	मोटरगाड़ियों पर करारोपण	२३९१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६२४	न्यायाधीश शंकर शरण न्यायाधिकरण पंचाट . .	२३६१
१६२५	यूगोस्लाविया से जहाज . . .	२३६२
१६२६	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन . . .	२३६२
१६२७	उत्तर प्रदेश में बी० सी० जी० आन्दोलन . . .	२३६२
१६२८	किसानों का राजनैतिक संगठन . .	२३६३
१६२९	हीराकुद बांध परियोजना . .	२३६३
१६३०	हीराकुद परियोजना . .	२३६३–६४
१६३१	हीराकुद में रहने के मकान	२३६४
१६३२	हीराकुद में फुटबाल का मैदान . . .	२३६४
१६३३	हीराकुद बांध	२३६४–६५
१६३४	हीराकुद बांध	२३६५
१६३५	तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर . . .	२३६५
१६३६	पंजाब के गुड़गांव जिले में पानी की पट्टी .	२३६६
१६३७	बम्बई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र से चोरियां	२३६६
१६३८	स्त्रियां और पुरुष . .	२३६७
१६३९	अण्डे के पाउडर के निर्माण के लिये संयंत्र .	२३६७
१६४०	टिड्डियों का आक्रमण . . .	२३६७–६८
१६४१	बोईपारीगुडा में बहुप्रयोजन आदिम जातीय खण्ड	२३६८
१६४२	वनस्पति तेल . . .	२३६८
१६४३	इम्फाल नगरपालिका द्वारा जोत-कर	२३६९
१६४४	इम्फाल में जल संभरण	२३६९
१६४५	किसानों का प्रशिक्षण . . .	२३६९
१६४६	रेलवे कर्मचारियों को देयराशि का भुगतान न किया जाना	२४००
१६४७	त्रिपुरा में पंचायत राज . .	२४००
१६४८	दिल्ली में जल संभरण योजनायें	२४००–०१
१६५०	दिल्ली में यमुना पर पुल .	२४०१
१६५१	रेलवे डाक सेवा	२४०१
१६५२	डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोग	२४०२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६५३.	दिल्ली का चिड़ियाघर	२४०२–०४
१६५४	रेलवे में मुअत्तिल कर्मचारी	२४०४–०५
१६५५	मायावरम् और करारकुडी के बीच डाक गाड़ियां	२४०५
१६५६	डाउटूहाजा और माईबांग स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतर जाना	२४०५–०६
१६५७	किराये की इमारतों में डाक घर	२४०६
१६५८	मदुरै हवाई अड्डा	२४०७
१६५९	मदुरै हवाई अड्डे पर सब-पोस्ट आफिस	२४०७
१६६०	लुधियाना और खन्ना के बीच रेल गाड़ी में डकैती	२४०७–०८
१६६१	कोंगा नदी की खुदाई	२४०८
१६६२	मनीपुर में विद्युत् संभरण योजनायें	२४०८
१६६३	दिल्ली में होटल स्थान	२४०९
१६६४	त्रिपुरा में पुल	२४०९
१६६५	त्रिपुरा में चावल के तेज दाम	२४०९–१०
१६६६	सिंचाई परियोजनायें	२४१०
१६६७	आसाम के लिये बुक किये गये कोयले में कमी	२४१०
१६६८	रेलवे में भूतपूर्व सैनिक	२४१०–११
१६६९	उत्तर रेलवे में नियुक्त भूतपूर्व सैनिक	२४११
१६७०	विलिंगडन अस्पताल	२४११–१२
१६७१	सूरतगढ़ फार्म	२४१२
१६७३	पूर्णा परियोजना	२४१२
१६७४	मध्यम सिंचाई परियोजनायें	२४१३
१६७५	कुष्ठ रोग	२४१३
१६७६	कमलाही (हिमाचल प्रदेश) का कुक्कुट्म पालन केन्द्र	२४१३
१६७७	हिमाचल प्रदेश में कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण	२४१४
१६७८	हिमाचल प्रदेश में बतख पालन	२४१४
१६७९	हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी	२४१४
१६८०	हिमाचल प्रदेश में अस्पताल	२४१४
१६८१	मछली पकड़ने का प्रशिक्षण	२४१५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६८२ विभागीय भोजन व्यवस्था . . . २४१५
१६८३ सुपारी अनुसंधान केन्द्र . . . २४१५
१६८४ उड़ीसा का खण्ड विकास कर्मचारी वृन्द . . २४१६
१६८५ उड़ीसा में पंचायत समिति . . २४१६

स्थगन प्रस्ताव २४१६-१७

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) रुद्रसागर के तेल कूप की दीवार के गिर पड़ने का समाचार। — श्री ब्रजराज सिंह

(२) १० मार्च, १९६१ को भारतीय राज्य-क्षेत्र में चीनियों का अनधिकृत प्रवेश। — सर्वश्री खुशवक्त राय और प्रेमजी आर० आसर

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २४१८-१९

श्रीमती इला पालचौधरी ने नागा विद्रोहियों द्वारा २५ फरवरी, १९६१ को उतरी सीमान्त रेलवे के लुमडिंग बदरपुर सेक्शन पर एक रेलगाड़ी पर गोली चलाये जाने के समाचार की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया :

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४१९

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच (टी) १४-४२७/५९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

विधेयक पारित किये गये २८२०-२१

(१) वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित हुआ ।

विषय पृष्ठ

विधेयक पारित किये गये--क्रमशः

(२) रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या २, विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा २४२१--५१

आय व्ययक (सामान्य) १९६१-६२ पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विधेयक--विचाराधीन . . २४५१--५३

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा २४५४--५८

'पूर्व की यात्रा करो' वर्ष के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ८०७ के ६ दिसम्बर, १९६० के उत्तर से उत्पन्न बातों पर, श्री अ० मु० तारिक ने आधे घण्टे की चर्चा उठाई।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

बुधवार, १५ मार्च, १९६१ / २४ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा और उसका पारित किया जाना तथा आय-व्ययक (सामान्य) १९६१-६२ पर अग्रेतर सामान्य चर्चा . . . .

GIPND--LS III--2331(AI) LSD--22-4-61--125